मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण

2020 - 2021

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश

का

आर्थिक सर्वेक्षण

2020-21

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

"मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21" नामक प्रकाशन में प्रदेश की समाजार्थिक अर्थ-व्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/ उपलब्धियों/ घोषणाओं एवं कार्यकलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन हेतु संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूॅं । यह प्रकाशन आर्थिक विश्लेषण संभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सतत् प्रयासों, संचालनालय के अन्य तकनीकी संभागों एवं कम्प्यूटर संभाग के सहयोग से ही समयावधि में तैयार किया जाना संभव हो सका है ।

आशा है प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति एवं प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । उक्त प्रकाशन राजनीतिज्ञों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है ।

भोपाल 15 फरवरी, 2021

आर. एस. राठौर
आयुक्त
आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्य प्रदेश

प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले अधिकारी/कर्मचारी

1.	डॉ. व्ही. एस. धपानी	संयुक्त संचालक
2.	श्रीमती अनिमा टोप्पो	उप संचालक
3.	श्रीमती शशि नागले	सहायक संचालक
4.	श्री अतुल आनंद अग्रवाल	सहायक संचालक
5.	श्री राजकुमार कड़वे	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
6.	श्रीमती दर्शना बाथम	सहायक सांख्यिकी अधिकारी
7.	श्री शंकर तायडे	वरिष्ठ कलाकार
8.	श्रीमती संगीता बाथरी	अन्वेषक
9.	कुमारी किरण पटेल	स्टेनोटायपिस्ट
10.	श्रीमती अरूणा वाहने	सहा. ग्रेड-3

अनुक्रमणिका

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	**आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा**	**1-22**
2	**लोक वित्त**	**23-28**
3	**बचत एवं विनियोजन**	**29-37**
	बैंकिंग	29
	बीमा क्षेत्र	36
4	**भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण**	**38-43**
	भाव स्थिति	38
	खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	40
5	**कृषि**	**44-90**
	कृषि	44
	मौसम एवं फसल की स्थिति	45
	वाणिज्यिक फसलें	51
	कृषि विकास योजनाएं	53
	कृषि यंत्रीकरण	60
	उद्यानिकी	62
	कृषि विपणन	71
	भंडारण सुविधा	73
	पशुधन एवं डेयरी विकास	75
	पशुधन एवं कुक्कुट विकास	78
	मत्स्य पालन से विकास	81
	वानिकी	83
6	**उद्योग**	**91-106**
	उद्योग विनिर्माण	91
	अधोसंरचना विकास	93
	हाथकरघा उद्योग	94
	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	94

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	96
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	97
	पर्यटन	99
	खनिज	102
7	**अधोसंरचना**	**107-129**
	ऊर्जा	107
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	118
	परिवहन/संचार	119
	पंजीकृत वाहन	121
	राज्य में सड़के	122
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	123
	सिंचाई	125
	कमांड क्षेत्र (विकास)	127
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	128
8	**सामाजिक क्षेत्र**	**130-192**
	प्रारम्भिक शिक्षा	130
	माध्यमिक शिक्षा	135
	उच्च शिक्षा	141
	तकनीकी शिक्षा	143
	स्वास्थ्य	144
	पेयजल व्यवस्था	148
	श्रम	149
	रोजगार	151
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	152
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	152
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	152
	स्वच्छ भारत मिशन	156
	नगरीय विकास/शहरी क्षेत्रों में रोजगार	157
	महिला एवं बाल विकास	163
	महिला वित्त एवं विकास	168
	अनुसूचित जातियों का विकास	170

	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	174
	पिछड़ा वर्ग का कल्याण	181
	अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	186
	सामाजिक न्याय	188
9	**सुशासन एवं कानून व्यवस्था**	193-197
	जेल (पुलिस) विभाग की योजनाएं	193
	गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं	194
10	**सामाजिक-आर्थिक विकास : उपलब्धियां एवं चुनौतियां**	**198-200**

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	201
2	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	203
3	महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य	204
4	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	205
5	रोजगार समंक	206
6	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	207

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	23
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां	24
2.3	राजस्व प्राप्तियों की संरचना	25
2.4	राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि	25
2.5	राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि	26
2.6	राजस्व तथा पूंजीगत व्यय	27
2.7	शुद्ध लोक ऋण	28
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	29
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	31
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	32
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	33
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	34
3.6	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण	35
3.7	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियॉ (मध्य क्षेत्र)	36
3.8	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)	37
4.1	कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक	38
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	39
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	39
5.1	वर्षा की स्थिति	45
5.2	प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादन	46
5.3	प्रमुख फसलों का उत्पादन	46
5.4	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	47

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.5	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	47
5.6	दलहनों फसलों का क्षेत्राच्छादन	48
5.7	दलहनी फसलों का उत्पादन	49
5.8	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	50
5.9	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	51
5.10	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	52
5.11	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	52
5.12	बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन	53
5.13	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	54
5.14	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	54
5.15	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	66
5.16	प्रमुख मसालों का उत्पादन	66
5.17	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	67
5.18	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	67
5.19	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	68
5.20	प्रमुख फलों का उत्पादन	68
5.21	प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	69
5.22	प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन	69
5.23	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता	73
5.24	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	73
5.25	पशुधन वृद्धि	75
5.26	दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां	79
5.27	वनोत्पादन का विवरण	86
5.28	तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन	89
5.29	काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	90

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
6.1	रेशम उत्पादन	97
6.2	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	103
6.3	नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार	105
6.4	प्रदेश के खनिज भण्डार	106
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	109
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	109
7.3	विद्युत प्रदाय	110
7.4	राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)	115
7.5	सकल राज्य मूल्यवर्धन में परिवहन/संचार का अंश	120
7.6	पंजीकृत वाहनों की संख्या	121
7.7	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	122
7.8	सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	126
7.9	सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	126
7.10	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	127
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं	130
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	132
8.3	शाला त्याग दर	132
8.4	शालाओं की संख्या की स्थिति	136
8.5	शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति	136
8.6	कुल छात्रों की संख्या/नामांकन की स्थिति (शा. एवं निजी)	136
8.7	कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन की स्थिति (शा. ,एवं निजी)	137
8.8	समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति	137
8.9	शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति	158
8.10	अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं	171
8.11	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान	175
8.12	अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	176
8.13	प्रोत्साहन राशि	183

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	1
1.2	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूलवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण प्रचलित भागों पर	2
1.3	विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	32
5.1	फसल क्षेत्र में विकास दर	44
5.2	दुग्ध उत्पादन	76
5.3	अंडों का उत्पादन	77
5.4	मांस का उत्पादन	78
6.1	पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	92
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड़ रूपये	92
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	93
7.1	विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)	111
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)	111
7.3	विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट	112
7.4	विद्युत का उपयोग	113

बाक्स की सूची

बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.1	किसान संदेश एवं फ.पी.ओ	55
6.1	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	104
7.1	उर्जा विभाग	108
7.2	सिंचाई	125
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण (समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उददेश्य)	131

अध्याय 01

आर्थिक स्थिति एक समीक्षा

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर मध्यप्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2020-21 (अग्रिम) में 3.37 प्रतिशत कमी का अनुमान है जबकि वर्ष 2019-20 (त्वरित) में वर्ष 2018-19 (प्रावधिक) की तुलना में 9.63 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर विगत वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

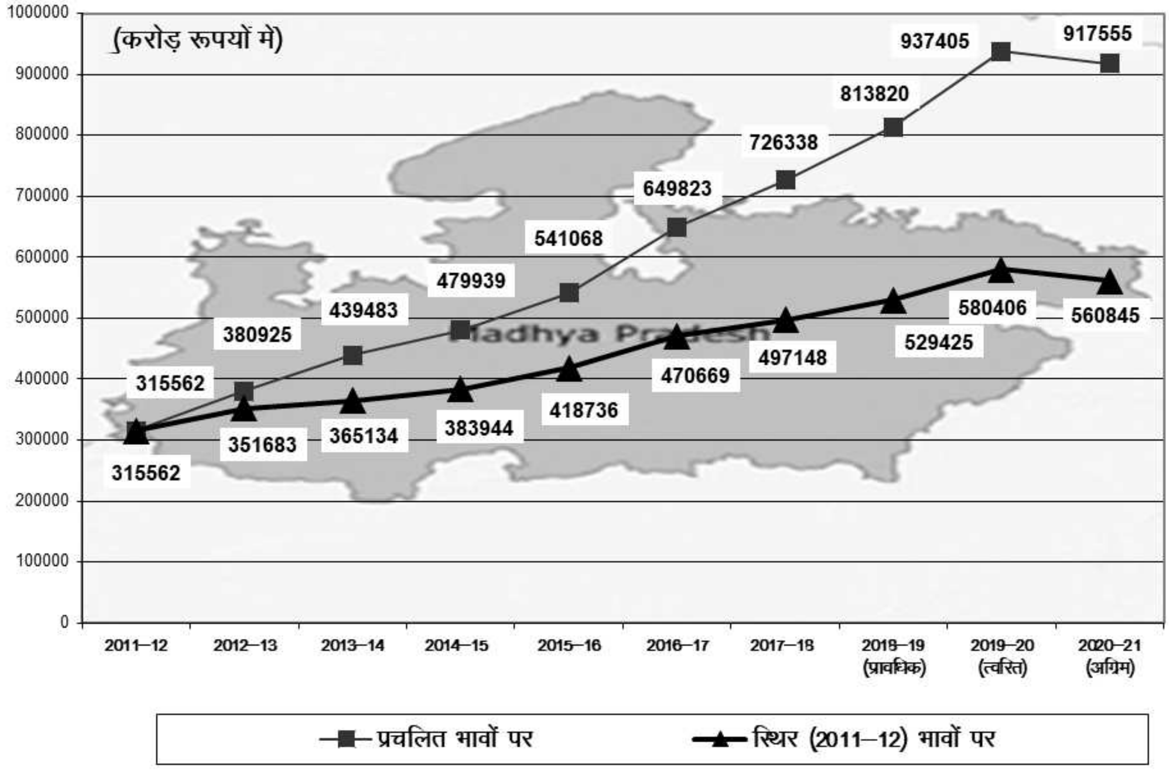

आधार वर्ष (2011-12) के स्थिर भावों पर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 315562 करोड़ रूपये था। जो वर्ष 2019-20 (त्वरित) एवं 2020-21 (अग्रिम) में बढ़कर 580406 करोड़ एवं 560845 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। जो आधार वर्ष से क्रमश: 83.93 एवं 77.73 प्रतिशत अधिक है।

1.2 सकल राज्य मूल्यवर्धन के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में प्राथमिक क्षेत्र के अंश में बढ़ोत्तरी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था जो वर्ष 2019-20 (त्वरित) एवं 2020-21 (अग्रिम) में बढ़कर 34.59 प्रतिशत एवं 36.82 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जबकि तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था । जो वर्ष 2019-20 (त्वरित) एवं 2020-21 (अग्रिम) में क्रमशः 39.73 प्रतिशत एवं 37.56 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जो **चित्र 1.3** में प्रदर्शित है ।

चित्र 1.2

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

प्रचलित भावों पर

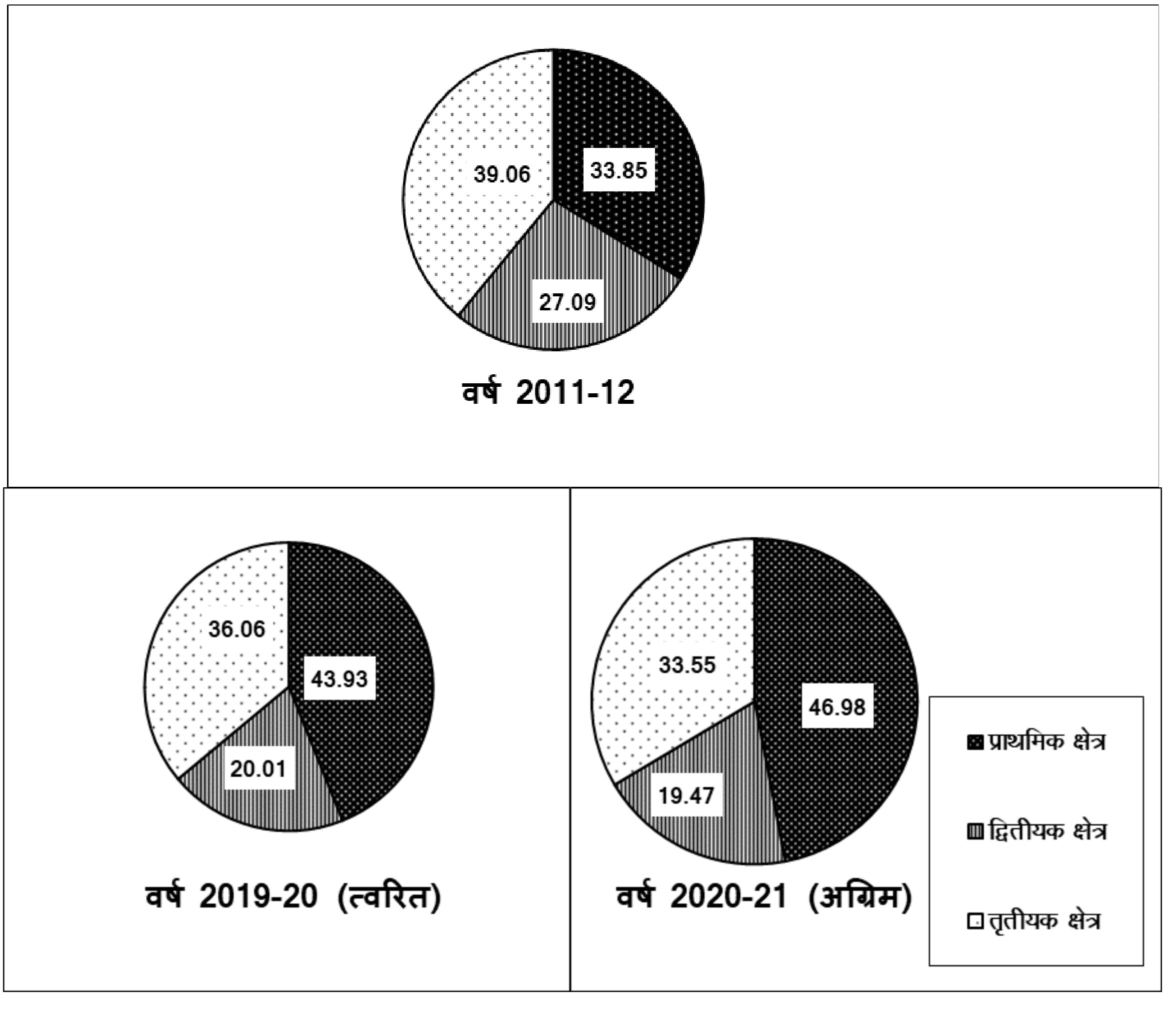

चित्र 1.3

विभिन्न क्षेत्रकों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण

स्थिर (2011-12) भावों पर

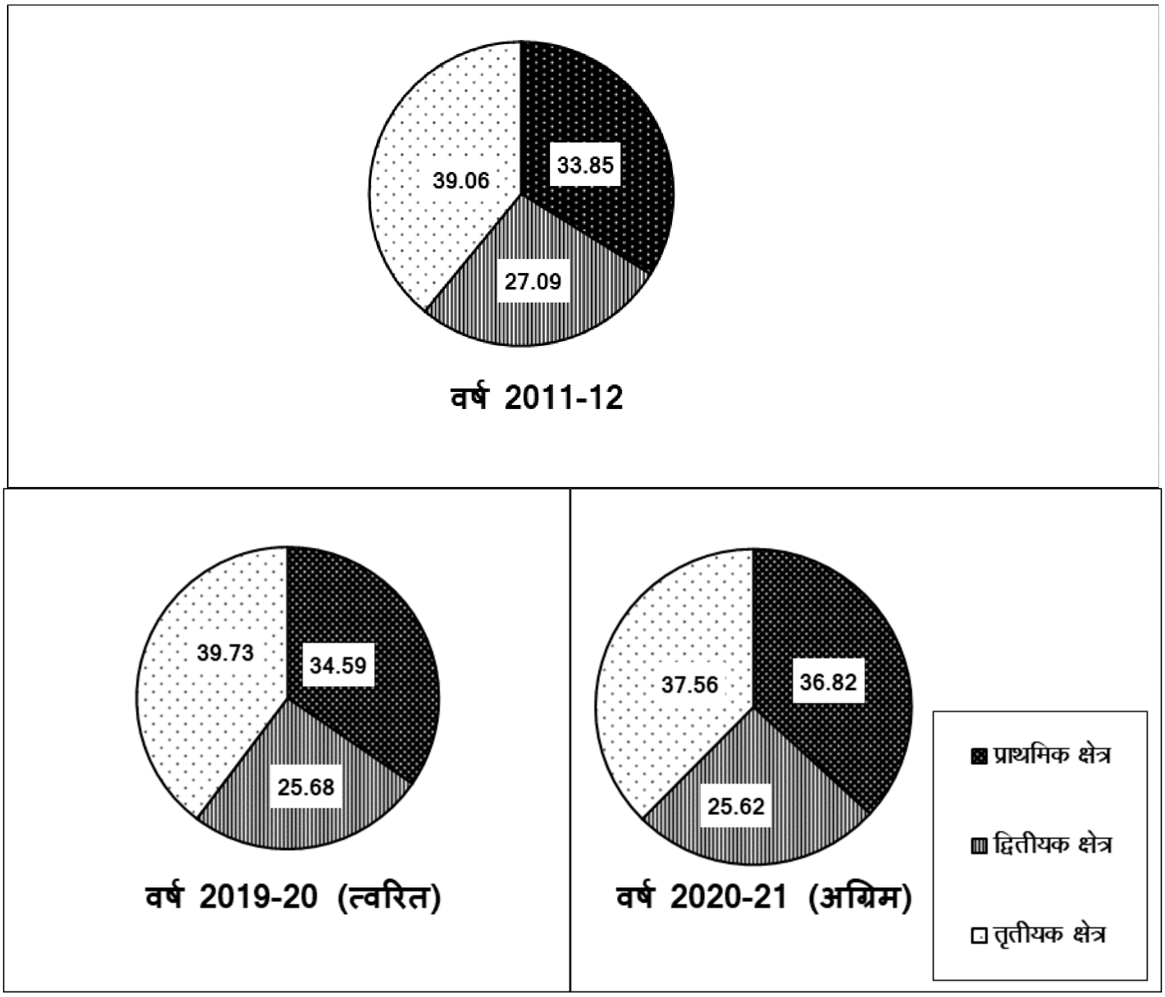

1.3 वर्ष 2020-21 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 2.12 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 3.37 प्रतिशत की कमी रही है। वर्ष 2020-21 (अग्रिम) दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 2.57 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है । इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 3.90 प्रतिशत की एवं 8.94 प्रतिशत की कमी अनुमानित रही है।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2019-20 (त्वरित) में 62236 रूपये थी जो घटकर वर्ष 2020-21 (अग्रिम) में रूपये 58425 हो गई है। जो गतवर्ष की तुलना में 6.12 प्रतिशत की कमी दर्शाती है । प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2019-20) में 103288 रूपये से घटकर वर्ष 2020-21 (अग्रिम) में 98418 हो गई, जो 4.71 प्रतिशत की कमी दर्शाती है ।

चित्र 1.4

प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर

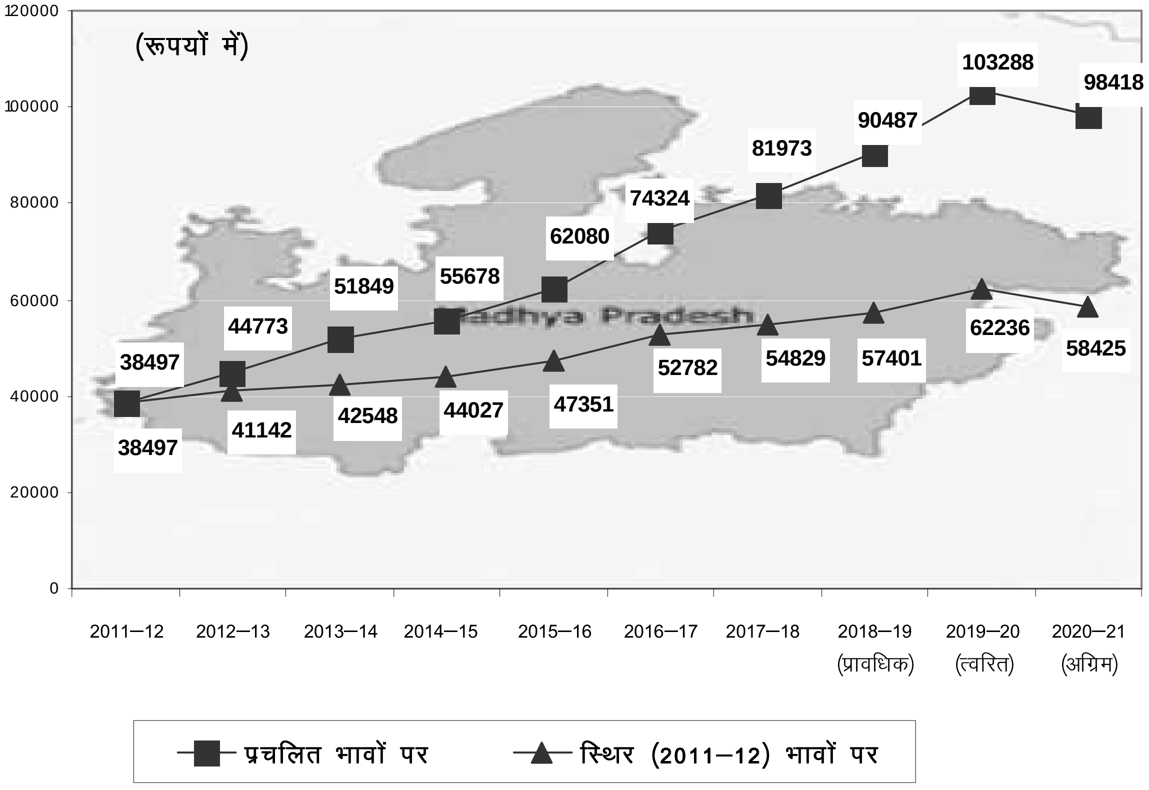

1.5 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है । ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक रहा है । वर्ष 2020-21 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 136596.36 करोड़ रूपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 8.05 प्रतिशत कम है । वर्ष 2015-16 तथा वर्ष 2020-21 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 87.51 तथा 74.22 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है । वर्ष 2019-20 में राज्य का प्राथमिक घाटा 18942.39 करोड़ रूपये था । वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा 30899.42

करोड़ रूपये अनुमानित है । राज्य के खनन राजस्व में कमी 15.85 प्रतिशत रही है। 31 मार्च 2020 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 159008.74 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

1.6 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है । बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान कुल जमा राशि में 7.82 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 7.56 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई । सितम्बर, 2020 की स्थिति में प्रदेश में साख-जमा अनुपात 73.99 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है।

किन्तु गतवर्ष की तुलना में इस वर्ष प्रथम छः माही में शाखा जमा अनुपात में 4.47 प्रतिशत की कमी आयी है। कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2018 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर सितम्बर, 2020 में 4.05 प्रतिशत की रही। इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 7.08 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है । कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक 75.29 प्रतिशत रहा है ।

1.7 किसान क्रेडिट कार्ड : भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों को रूपये किसान कार्ड जारी किये जा रहे है, जो माह सितम्बर, 2020 तक 62.15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं ।

1.8 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 799.00 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 620.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इस योजना में राशि रूपये 2212.00 करोड एवं पुर्नविनियोजन हेतु राशि रूपये 700.00 करोड को मांग शासन से की है।

1.9 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उददेश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ पत्रक उपलब्ध कराना है । जिससे किसानो को अधिक पैदावार मिल सके । प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉडल विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खण्डवार एक मॉडल ग्राम चयनित किया जाकर कृषकों के

काश्त योग्य खसरों से मृदण नमूना एकत्रिकरण कर विश्लेषण उपरान्त 1.01 लाख कृषकों को स्वाईल हेल्थ कार्ड वितरित किये गये है ।

1.10 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशस्त करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढावा देने के उददेश्य से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 से फिशरमेन क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ष 2019-20 में 5647 फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये । वर्ष 2020-21 में 15.00 हजार फिशरमेंन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 3678 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ।

1.11 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में भावों में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई । यह वृद्धि कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांको एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वृद्धि परिलक्षित रही है। राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100) में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसी अवधि में खाद्यान्न एवं अखाद्यान्नों के सूचकांकों में क्रमश: 2.0 तथा 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1.12 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षो से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य समूह एवं सामान्य समूह सूचकांकों में वृद्धि रही । यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 2018 की तुलना में औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत वर्ष 2019 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह एवं सामान्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में माह अगस्त, 2020 तक खाद्य सूचकांक सर्वाधिक छिंदवाड़ा केन्द्र 356 एवं भोपाल केन्द्र 344 रहा । इसी प्रकार कृषि श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्ष 2018 की अपेक्षा 2019 में वृद्धि परिलक्षित रही । तथा वर्ष 2020 में माह नवम्बर, 2020 तक कृषि एवं ग्रामीण श्रामिक का खाद्य में सूचकांक क्रमश: 813 एवं 818 रहा है तथा सामान्य सूचकांक 869 एवं 890 रहा है।

1.13 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 25.24 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिसमें सभी दुकानों में पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गई हैं।

1.14 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खादयान्न (गेहू,धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रो पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है । प्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षो से लगातार उर्पाजन बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 के विपणन में गेहू का 73.70 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2020-21 में 129.42 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हुआ है । इसी प्रकार धान के विपणन में वर्ष 2020-21 में 18.66 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन हुआ है।

1.15 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1024.3 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2019 में 1385.8 मिली मीटर तथा वर्ष 2020 (जून से सितम्बर तक) में 979.4 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 35.29 प्रतिशत अधिक एवं 4.38 प्रतिशत की कमी रही ।

1.16 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2019-20 में 1066.00 करोड़ रूपये प्रावधानिक थे जबकि वर्ष 2020-21 में 2427.00 करोड़ रूपये प्राप्त होना प्रावधानित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय, मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, के अंतर्गत जनहानि के मामलों में त्वरित राहत सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से योजना शीर्षो को केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली में सम्मिलित किया गया है।

देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान मध्यपदेश राज्य के ऐसे मजदूर जो अन्य राज्यों में फंसे हुये थे और अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे, उनकी बुनियादी आवश्यकताओं खाद्यान्न, दवाईयों एवं

रहने के स्थान इत्यादि की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये वित्त विभाग के अनुमोदन अनुरूप प्रवासी मजदूरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनके बैंक अकाउंट/पेटीएम के माध्यम से रूपये 1000/- हस्तांतरित किये जाने के प्रावधान करते हुये मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता 2020 लागू की गयी। यह योजना दिनांक 17.04.2020 से दिनांक 30.06.2020 तक लागू रही है। इस योजना में लगभग रूपये 15.50 करोड. प्रवासी श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित किये गये है।

अन्य राज्यों में फसे श्रमिकों को रेल से वापिस लाए जाने हेतु रूपये 7.00 करोड का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत जनहानि के मामलों में त्वरीत राहत सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत आहरण प्रणाली अनुसार राशि व्यय की जाती है, जैसे अग्नि पीड़ितो को राहत पर राशि रूपये 12.40 करोड़, ओला पीड़ितों को राहत पर राशि रूपये 166.61 करोड़, बाढ़,

चक्रवात आदि (नगद दान) पर राशि रूपये 158.44 करोड़, आर.बी.सी. 6.4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता राशि रूपये 770.17 करोड़ सर्पदंश पर आर्थिक सहायता राशि रूपये 74.63 करोड़ एवं वन्य प्राणियों द्वारा फसल क्षति पर राशि रूपये 0.86 करोड़ का वितरण किया गया है।

केन्द्रीयकृत आहरण व्यवस्था के अनुसार जिला एवं तहसील स्तर पर स्वीकृत प्रकरणों पर कोषालय के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शीघ्र किया जाता है। वर्ष 2020-21 में विभिन्न मदों में जिला कलेक्टरों को आवंटन राशि जारी की गई है। जैसे- शहरी पेयजल परिवहन में राशि रूपये 48.68 लाख, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिवहन पर 46.40 लाख पाला में राशि रूपये 72.64 लाख एवं कीट प्रकोप में राशि रूपये 169.00 लाख एवं चिकित्साशिक्षा लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण को राशि रूपये 10967.92 लाख का आवंटन राहत आयुक्त कार्यालय से आपदा प्रभावितों को राहत सहायता हेतु राशि जारी की गई है।

1.17 कृषि : प्रदेश में अभी भी कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है। प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिलों में

कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 23.36 प्रतिशत है।

1.18 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 में 16.08 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 21.27 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया है।

वर्ष 2019-20 में पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 206.57 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है। वर्ष 2019-20 में 42.52 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक (खरीफ एवं रबी) 22.55 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है।

1.19 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2019-20 में प्रमुख साग-सब्जी, फसलों का उत्पादन 190.43 लाख मीट्रिक टन, फलों का उत्पादन 79.09 लाख मीट्रिक टन, मसालों का उत्पादन 42.57 लाख मीट्रिक टन तथा पुष्पों का उत्पादन 3.81 लाख मीट्रिक टन रहा है ।

1.20 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.21 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2018-19 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 11356.2 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 10565.9 हजार हेक्टर से 7.48 प्रतिशत अधिक रहा ।

1.22 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2018-19 (प्रा.) की अपेक्षा वर्ष 2019-20 (त्व.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार मत्स्योत्पादन में 15.87 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2020-21 में समस्त स्त्रोतों से 2.41 लाख टन लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 1.16 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 48.22 प्रतिशत है। प्रदेश में वर्ष

2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन बीज उत्पादन 12881.26 लाख मीट्रिक टन रहा, जो लक्ष्य का 80.01 प्रतिशत है।

1.23 वानिकी : वर्ष 2019-20 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 2.04 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2019-20 में 1500.00 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 1036.83 करोड़ रूपये का सकल राजस्व प्राप्त हुआ जो निधारित लक्ष्य का 69.12 प्रतिशत है।

1.24 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2019-20 (त्व.) से वर्ष 2020-21 (अ.) में 3.90 प्रतिशत की कमी अनुमानित है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है। वर्ष 2019-20 में कुल 2.98 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 19285 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 10.30 लाख रोजगार उपलब्ध हुये। वर्ष 2019-20 में 2.88 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 19242 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 9.94 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2019-20 में 129.12 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 59.08 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को राशि प्रदान की गई।

1.25 पर्यटन : वित्तीय वर्ष 2019-20 में वैशिक महामारी के कारण निगम को बहुत बडी हानि हुई है। इस दौरान 8.90 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

1.26 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। प्रदेश का कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 (प्रा.) के प्रचलित

भावों के अनुमानों के अनुसार 3.15 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 3.34 प्रतिशत है।

1.27 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु किये गये सतत् प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2015-16 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल विद्युत प्रदाय 73309 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 2837 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 2277 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 23250 मिलियन यूनिट है। वर्ष 2018-19 प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 40.8 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया। इसके पश्चात घर-निवास हेतु 27.1 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा। विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु राशि रुपये 2865 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना के तहत् 20.39 हजार मजरें/टोले सहित ग्रामों का सघन विद्युतिकरण के साथ 145, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र, 21590 कि.मी., 11 के.व्ही. लाईन, 25633 कि.मी. एल.टी. लाईन, के कार्य सम्मिलित है, जिसमें से 19.56 मजरें/टोले में 145, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 21815 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25888 एल.टी. लाईन एवं सभी सांसद आदर्श ग्रामों में सघन विद्युतिकरण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

1.28 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजस्व में 14.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.29 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि स्थिर भावों पर (2011-12) पर वर्ष 2018-19 (प्रा.) में 9.63 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्व.) में 9.67 प्रतिशत है । प्रचलित भावों पर वर्ष 2019-20 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र की 2.76 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में इस भागीदारी का अंश वर्ष 2019-20 (त्व.) में 3.49 रहा।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2018-19 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.00 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.16 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 0.94 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.10 प्रतिशत है। मध्यप्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.52 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्व.) के अनुसार 1.36 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2018-19 में 1.87 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्व.) में 1.78 प्रतिशत अंश परिलक्षित है।

1.30 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : ग्रामीण यांत्रिकी द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नवम्वर,2020 तक 8220 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जाकर 8113 सडको का कार्य पूर्ण कराया गया जिस पर राशि रूपये 3344 करोड व्यय किये गये।

1.31 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2020 में माह नवम्बर, 2020 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सड़कों की लम्बाई 70.96 हजार, राष्ट्रीय राजमार्गो की लंबाई 8.86 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गो की लंबाई 11.39 हजार किलोमीटर रही है। प्रदेश में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

1.32 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2018-19 में 16361 हजार से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 17918 हजार हो गई जो गत वर्ष से 9.52 प्रतिशत अधिक रही।

1.33 शिक्षा : जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश: 73.0 एवं 69.3 प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच प्रदेश की साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही है, इसका मुख्य कारण प्रदेश में शुद्ध नामांकन अनुपात कम होना दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर की बराबरी करने के लिये नीति एवं कार्यक्रमों के स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 80.81 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 30.23 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं। इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 76.15 लाख एवं 42.96 लाख है। कुल नामांकन में बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 36.50 एवं 20.51 लाख है। वर्ष 2019-20 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 17.55 हजार है, जिनमें नामांकन 38.69 लाख है। वर्ष 2019-20 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा

छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 1.16 एवं 0.94 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 3.70 एवं 4.81 रही। प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्यान्ह भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.34 नि:शुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा 9वी में दूसरे ग्राम से अथवा ऐसे मजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से अधिक है अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकाओं/बालकों को नि:शुल्क सायकिल वितरित की जाती है। वर्ष 2019-20 में 5.60 लाख बालक/बालिका को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया गया है।

1.35 गांव की बेटी : राज्य शासन ने **"गांव की बेटी"** योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये योजनाएं बनाई है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 76.89 हजार छात्राओं को लाभान्वित कर राशि रुपये 3848 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.36 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना: वर्ष 2020-21 में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने पर लेपटॉप की राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया जाकर 40537 विद्यर्थियों को राशि रूपये 25.00 हजार के मान से राशि रूपये 101.34 करोड़ का व्यय किया गया है।

1.37 तकनीकी शिक्षा :प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2019-20 में 149302 प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 100449 प्रवेश ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग के माध्यम से किये गये है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन राशि रूपये 72575.99 लाख राशि प्राप्त हुई जिसमें राशि रूपये 49561.92 लाख का व्यय किया जा चुका है। जो आवंटन राशि का 68.29 प्रतिशत है ।

1.38 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है । विगत वर्षो में प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुये हैं। नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

मातृ मृत्यु दर एस.आर.एस. 2015-17 में 188 से कम होकर एस.आर.एस. 2016-18 में 173 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 1561 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रसव केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया गया है जिसके विरूद्ध, 1313 प्रसव केन्द्रों में प्रसव हो रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 179 स्वास्थ्य संस्थाओं को चिन्हांकित किया गया जिसमें 50 सिविल अस्पताल तथा 129 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है। कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चिन्हांकित संस्था पर क्वालिटी सर्कल का गठन सहयोगी संस्था का सहयोग एवं प्रत्येक संस्था पर एमएच कॉओर्डिनेटर एवं लक्ष्य नोडल अधिकारी का नामांकन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रत्येक संस्था पर नियमित रूप से मानिटरिंग सुनिश्चित करने का दायित्व इंटरनल असेसर्स को दिया गया वर्ष 2019-20 में 75 संस्थाओं को लक्ष्य अंतर्गत चिन्हित किया गया जिसमें 12 संस्थाओं को राष्ट्रीय प्रमाणीकरण तथा 62 संस्थाओं का राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण हो गया है।

प्रदेश में 11 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल कॉलेज में ऑब्सटेट्रिक आईसीयू जटिलताओं के प्रबंधन हेतु स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओ के कौशल में वृद्धि करने हेतु स्किल्स लैब प्रदेश के 5 संभाग में संचालित है,जिसका विस्तार कर 2 नवीन स्किल्स लैब उज्जैन एवं सागर में स्थापित किये जा रहे है। वर्ष 2020-21 में दस्तक अभियान के अतंर्गत कुल 64.23 लाख 05 वर्ष से छोटे बच्चों की चिकित्सकीय स्क्रीनिंग की गयी हैं । जुलाई, अगस्त 2020 में कुल 64.23 लाख बच्चों (9 माह से 5 वर्ष तक) को विटामिन "ए" की खुराक पिलाई गई तथा 79114 गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार किया गया तथा प्रदेश के रीवा एवं ग्वालियर में गंभीर चिकित्सकिय जटिलता वाले 1040 बच्चों तथा एम्स भोपाल में 310 गंभीर जटिलता कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक कुल 23028 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्तीकर प्रबंधन किया गया है।

नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबंन्ध हेतु दीनदयाल 108 ऐम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये है। वर्तमान में 796 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस संचालित है। वर्ष 2020-21 मे माह नवम्वर तक कुल 9.93 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया है।

1.39 क्षय नियंत्रण कार्यक्रम : राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक 1.34 हजार नये क्षय रोगियों को खोजे जाकर खोजे गये रोगियों में बच्चों के क्षय का प्रतिशत 56 है। क्षय रोगियों के प्रति भेदभाव खत्म करने एवं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से क्षय रोगियों के विभेदीकारी प्रावधानों में संशोधन किया गया है साथ ही क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु राज्य में 314 टी.बी. यूनिट केन्द्र एवं 838 डी.एम.सी. स्थापित है। वर्ष 2020 में 1.34 लाख टी.बी. मरीजों की खोज की जाकर उपचार किया गया । टी.बी.मरीजों हेतु राशि रूपये 500 प्रतिमाह उपचार निदान तक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान है।

1.40 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में माह सितम्बर, 2018 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 24.6 एवं 6.7 रही। इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 48 रही। प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तर से अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये गये जिसमें उल्लेखनीय कमी हुई।

1.41 पेयजल व्यवस्था : हेण्डपंप एवं नलजल प्रदाय योजना द्वारा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश की 1.29 लाख बसाहटों में लगभग 5.57 लाख हैंडपंपों एवं 16.38 हजार नलजल प्रदाय द्वारा 1.08 लाख बसाहटों को पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एकल ग्राम नलजल योजनांतर्गत 7904 नलजल योजनाओं की लागत राशि रूपये 4742.42 करोड़ की स्वीकृति दी गई । प्रदेश में 1473 ग्रामों तथा 100 पंचायतो को शत प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये गये है। तथा 12881 शालाऐं एवं 6284 आंगनबाडियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चूका है।

1.42 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2019 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 26.82 लाख व्यक्ति दर्ज रहे जो वर्ष 2020 के अंत में घटकर 24.72 लाख हो गये । राज्य में जीवित पंजी पर शिक्षित आवेदकों की संख्या वर्ष 2020 में 21.30 लाख है वर्ष 2019 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों का प्रतिशत 98.91 था जो वर्ष 2020 के अंत में 93.37 प्रतिशत हो गया ।

1.43 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2020 की स्थिति में कुल नियमित कर्मचारियों की संख्या 647795 है, जिसमें कार्यभारित, आकस्मिक निधी से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवार, संविदा के कर्मचारी सम्मिलित नहीं है। शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की कुल संख्या 554991 है, साथ ही सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध्द-शासकीय संस्थानों में कर्मचारियों की कुल संख्या 47028 है।

1.44 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : 1 जनवरी 2021 तक कुल 7119 कारखानें पंजीकृत है, जिसमें कुल नियोजन क्षमता 6.59 लाख है ।

1.45 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50.00 हजार रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत की 15-50 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान तक वर्ष 2019-20 में 12657 हितग्राहियों को 5702.13 लाख ऋण उपलब्ध कराया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 में493 हितग्राहियों को राशि रूपये 285.98 लाख की सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

1.46 ग्रामीण दीनदयाल अन्त्योदय योजना : इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । यह योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त ग्रामीण में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है। इसके अंतर्गत वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक भौतिक लक्ष्य 90,000 युवाओं के विरूद्ध 44490 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 1.23 करोड़ से अधिक मास्क 1.16 लाख सुरक्षा किट (पी.पी.ई.किट) 100883 लीटर सैनेटाईजर 18376 लीटर हैंडवाश एवं 2.39 लाख साबुन बनाये गये तथा विक्रय किये गये।

1.47 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वागींण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक,

मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं उन्हें कुपोषण से मुक्ति कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हुई। वहीं कम वजन के बच्चों का दर 60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत तथा गंभीर कुपोषण की दर 12.6 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत है ।

1.48 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : योजनांतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीडित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध कराना है। वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेन्टर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर 23.87 हजार महिलायें/बालिकायें पंजीकृत कर सहायता प्रदान की गयी ।

1.49 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष में 453 सरक्षण अधिकारी नियुक्त किये। इसके अतिरिक्त कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता आदि उपलब्ध कराते हुये उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में 14 जिलों में 16 स्वाधारगृह संचालित है। वर्तमान में 200 से अधिक महिलाए एवं 50 बच्चे निवासरत है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य के 60:40 के अनुपात में भार वहन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 240.87 लाख व्यय किया गया तथा वित्तीय वर्ष में 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

1.50 तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्येश्य महिलाओं को अपनी आर्थिक, सामाजिक एंव राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिये सशक्त करना है। योजना से जुडने के पश्चात 80 प्रतिशत महिलाओं की आय में बढोत्तरी हुई है। तथा 60 प्रतिशत परिवारों में भोजन उपलब्धता बढ़ी है। तेजस्विनी महिलाओं की औसत मासिक आय 163 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि इस योजना से जुडने के पश्चात 63 प्रतिशत महिलाए आर्थिक गतिविधियों से जुडी है।

1.51 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.62 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ - साथ इनके

जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढ़ाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 571 पोस्ट मेट्रिक एवं 1153 प्री मैट्रिक छात्रावास 189 महाविद्यालयीन छात्रावास, संचालित है। 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास तथा प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 4 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। इस समस्त छात्रावासों में 99.35 हजार विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2019-20 में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना आदि योजनाओं द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया।

1.52 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राशि रूपये 6.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के फीस नियामक समिति एवं निजी नियामक आयोग द्वारा निर्धारित पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6 से 8 तक 60 रूपये मासिक एवं कक्षा 9 वीं से कक्षा 11 वीं तक 130 रूपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। वर्ष 2019-20 में

37.50 हजार कन्याओं को लाभान्वित किया तथा वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2281.50 लाख की राशि पुर्नविनियोजन कर लोक शिक्षण संस्था को हस्तातरित की जा रही है।

1.53 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछडे वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत् राज्य छात्रवृति पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर अध्ययनरत के लिए प्रोत्साहन देने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है । जिनके अभिभावक आयकर दाता की सीमा में नहीं आते या 10 एकड़ से कृषि भूमि धारक नहीं है को छात्रवृत्ति दी जाती है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में वर्ष 2019-20 में कुल 3.87 लाख विद्यार्थियों पर राशि रूपये 580.81 करोड़ व्यय किये गये। वर्ष 2020-21 में 4.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 2.49 लाख विद्यार्थियों को कुल राशि रूपये 325.23 करोड़ की राशि वितरित की गई ।

1.54 राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावक अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रुपये प्रति माह की दर से शिक्षावृत्ति एंव नि:शुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1.06 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रुपये 70.00 लाख व्यय किये गये हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.55 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में आवंटन 89874.97 लाख रूपये में से माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 74050.47 लाख रूपये व्यय कर 25.24 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में आवंटन 7302.92 लाख रूपये के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 4442.33 लाख रूपये व्यय कर 99924 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। उक्त अवधि में निराश्रित निधी से राशि रूपये 862.25 लाख व्यय किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में आवंटन 114353.32 के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 72928.59 लाख रूपये व्यय कर 15.70 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना** ; इस योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में आवंटन 39201.32 लाख रूपये के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 23344.95 लाख रूपये व्यय कर 5.36 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

1.56 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह के अंतर्गत कन्या की गृहस्थी के लिये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 14.01.2019 में संशोधन कर सामुहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण निकायों को राशि रूपये 3000 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा कराई जाती है। वर्ष 2020-21 में आवंटन राशि रूपये 15000.00 लाख के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 8223.65 लाख व्यय किये जाकर 14900 कन्याओं के सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये गये हैं ।

1.57 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन व्दारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराने के लिये आर्थिक सहायता जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 3000 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि 48000 संबंधित कन्या के बैंक खाते में जमा की जावेगी। योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में आवंटन 1159.00 लाख के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 648.73 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1350 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया ।

1.58 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : अप्रैल, 2019 से इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नि में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नही, तथा हितग्राही आयकर दाता न हो तो उन

को 600 रूपये प्रति माह पेंशन दी जावेगी। वर्ष 2020-21 में आवंटन 3867.47 लाख रूपये के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 1898.56 लाख रूपये व्यय कर 59867 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक निराश्रित निधि से राशि रूपये 906.44 लाख व्यय किया गया है।

1.59 नगरीय विकास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना: भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी 378 निकायों में परियोजना स्वीकृत है जिसमें 7.27 लाख आवासीय इकाईयों की स्वीकृति प्राप्त की गई, जिसमें 2.20 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है। योजना अवधि में 11.52 लाख आवासीय इकाइयां बनाया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त 74.38 हजार हितग्राहियों को योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक से भी लाभान्वित किया गया है ।

1.60 स्मार्ट सिटी मिशन : इस योजना के तहत् 392 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 7217.91 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं। 188 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 11305 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। 81 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 5517.39 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है। 10 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत राशि रूपये 192.48 करोड़ की डीपीआर स्वीकृत हो चुकी है। 55 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत राशि रूपये 2091.41 करोड़ की डीपीआर बनाए जाने की प्रक्रिया में है। **भारत सरकार के India Smart City Award 2020 के अंतर्गत भोपाल स्मार्ट सिटी के प्रथम स्थान एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। देश में स्मार्ट सिटी रैकिंग में राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।**

1.61 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) : मध्यप्रदेश के समस्त निकाय 2 अक्टूबर, 2017 को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित किया जा चुका है। खुले में शौच से मुक्त के अगले चरण में 234 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस तथा 107 निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस घोषित किये जा चुके है। कचरा रहित शहरों में इन्दौर देश में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में देश के 4043 शहरो में नगर निगम इन्दौर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न श्रेणीयों में प्रदेश को कुल 10 पुरूस्कार प्राप्त हुये है।

1.62 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : मध्यप्रदेश तीर्थ स्थान मेला प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में लगने वाले मेलों में उचित प्रबंध हेतु अनुदान देकर मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों को अनेकों सुविधाये उपलब्ध कराई गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 मेलों हेतु कुल राशि रूपये 60.24 लाख राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्राधिकरण द्वारा जिला दतिया, शिवपुरी, सतना के चित्रकूट, निवाड़ी के ओरछा आगरा में तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु तीर्थ यात्री सेवा सदन का निर्माण कराया जा रहा है। माता रतनगढ़ तीर्थ स्थल के समग्र विकास कार्य योजना तैयार की स्वीकृती प्राप्त हुई है। जिला सागर मालवा में बगलामुखी माता मंदिर रतनगढ़ परिसर में तीर्थ यात्री सेवा सदन का निर्माण कराया जा रहा है। प्रदेश में तीर्थयात्रा में सुविधाजनक हो इस हेतु तीर्थ यात्री विश्राम गृह तीर्थ मेला एवं देवस्थान प्रबंधन से संबंधित पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। त्रिवेणी के लोकदेवता नामक पुस्तक आदिवासी लोकदेवता, संस्कृति एवं धार्मिक आधार पर प्रकाशित कराई गई है।

प्रदेश में स्थित शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 34 मंदिरों को माह दिसम्बर, 2020 तक कुल राशि रूपये 1.85 करोड़ का आवंटन किया गया है साथ ही जिलों में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को मानदेय माह जनवरी, 2020 तक राशि रूपये 25.05 करोड़ का वितरण किया गया हैं ।

राज्य आनंद संस्थान की गतिविधियां आनंदक के सहयोग से चल रही है। जिसमें 55.00 हजार से अधिक आनंद के रूप में स्वंयसेवकों का पंजीयन कराया गया है। अल्पविराम कार्यक्रम शांत समय में आत्म परिक्षण एवं स्वप्रेरणा से परिवर्तन लाने के उददेश से प्रदेश में 233 आनंदम सहयोगी तथा 35 मास्टर ट्रेनर को प्रोत्साहित किया गया है। कोरोना के चलते प्रदेश में 50 कार्यक्रम किये जिसमें 1928 प्रतिभागी ऑनलाईन आयोजन किये जा कर लाभान्वित हुये। साथ ही प्रदेश के 51 जिलों में कुल 172 निर्धारित स्थानों पर आनंदम केन्द्र संचालित है। यह स्थल स्वैच्छिक रूप से बिना किसी शासकीय आर्थिक सहायता के स्थानिय संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे है।

अध्याय 02

लोक वित्त

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय द्योतकों का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है, मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य में रहने के बाद वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान में रूपये 2697.77 करोड़ का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है। राजस्व व्यय में बजट अनुमान की अपेक्षा पुनरीक्षित अनुमान में कम राशि प्राप्त होने के कारण राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास किये गये । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान में राज्यों को केन्द्रीय करों में दी जाने वाली हिस्सेदारी की राशि को बहुत कम किया गया। इस कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ा । तत्पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को रूपये 4443 करोड़ के अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी गई इस अनुमति के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा म.प्र. राजकोषीय उतरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,2005 में 2019-20 में संशोधन किया गया है तथा इस आधार पर वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा अनुमानित किया गया है।

तालिका 2.1

राजकोषीय घाटा

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2018-19	2019-20 (पुअ)	2020-21 (बजट अनुमान)
राजस्व आधिक्य	8814.57	(-)2697.77	(-)17514.01
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	21616.66	32693.78	47359.63
प्राथमिक घाटा	8920.97	18942.39	30899.42
राजकोषीय घाटा का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	2.67%	3.61%	4.99%
राजस्व आधिक्य का प्रतिशत जी.एस.डी.पी. से	1.09%	(-)0.30%	(-)1.85%
ब्याज भुगतान का प्रतिशत राजस्व प्राप्ति से	8.44%	9.26%	12.05%

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान

(ब.अ.)=बजट अनुमान

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है। वर्ष 2015-16 तथा 2020-21 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 74 प्रतिशत से अधिक रहा है।

तालिका 2.2

राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पु.अ.)	2020-21 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	105510.59	123306.79	134875.39	150391.78	148561.30	136596.36
शुद्ध लोक ऋण	15124.94	24922.00	16115.78	18973.70	23681.58	47101.54
उधार वसूली	190.72	796.26	5088.83*	83.67	40.48	41.07
शुद्ध लोक लेखा	(-)251.10	1679.10	5988.84	(-)326.90	8775.41	303.61
आकास्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां (असमायोजित राशि)	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल प्राप्तियां	120575.15	150704.15	162068.84	169122.24	181058.77	184042.58
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	87.51	81.82	83.22	88.92	82.05	74.22

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान (ब.अ.)=बजट अनुमान।

*** विद्युत वितरण कम्पनियों के ऋणों की वित्तीय पुर्नसंरचना एव उदय योजना के कारण यह वृद्धि परिलक्षित हुई है । राशि रूपये 7361 करोड ऋण उदय योजना अन्तर्गत शामिल।**

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना **तालिका 2.3** में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियाँ **तालिका 2.4** में दर्शायी गई है । वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के मध्य राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 8.05 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पु.अ.)	वृद्धिदर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2020-21 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	40240.43	44193.78	44810.85	51126.49	54637.63	8.05	48801.05	(-)10.68
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	38371.06	46063.97	50853.07	57353.09	49517.61	7.39	46025.00	(-)7.05
केन्द्रीय अनुदान	18330.31	23962.53	30150.29	28624.68	33814.19	17.40	32910.05	(-)2.67

(पु.अ.) = पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.) = बजट अनुमान

* राज्य जी.एस.टी. के अन्तर्गत केन्द्र से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति शामिल।

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2020-21 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	276.86	406.65	490.99	383.91	533.26	21.18	500.00	(-)6.24
स्टाम्प व पंजीयन	3867.69	3925.43	4788.51	5277.99	5570.50	9.81	5000.00	(-)10.24
राज्य उत्पाद शुल्क	7922.84	7532.59	8245.01	9542.15	10786.00	8.32	9000.00	(-)16.56
बिक्री व्यापार आदि पर कर	19806.15	22561.12	14984.03	9903.24	10850.72	(-)11.00	11208.00	3.29
वाहन कर	1933.57	2251.51	2691.62	3008.26	3037.00	12.18	2500.00	(-)17.68
माल तथा यात्रियों पर कर	3084.76	3805.04	1159.30	117.50	142.78	(-)28.63	90.00	(-)36.97
विद्युत कर तथा शुल्क	2257.83	2620.53	2590.29	2616.29	2957.50	7.24	3000.00	1.44

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.4 राज्य के करेत्तर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेत्तर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्तियां **तालिका 2.5** में दर्शाई गई हैं । राज्य के करेत्तर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं।

तालिका 2.5

राज्य के करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रूपये में)

करेतर राजस्व	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2020-21 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
वानिकी और वन्य जीवन	1001.71	917.98	1112.25	2009.76	1043.60	11.36	1400.00	34.15
सिंचाई	482.90	574.36	523.90	1230.51	503.38	21.48	420.87	(-)16.39
अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3059.64	3168.28	3640.72	3933.56	4278.24	8.82	3600.00	(-)15.85

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

2.5 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 में मध्यप्रदेश के लिए वितरण योग कर का अंश 7.886 प्रतिशत निश्चित किया है, जब्कि चौदहवें वित्त आयोग द्वारा यह अंश 7.548 प्रतिशत निश्चित किया गया था।

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसरंचना उपलब्ध कराती है। अतः लोक व्यय का आकार, संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण **तालिका 2.6** में हैं ।

तालिका 2.6
राजस्व तथा पूंजीगत व्यय

(करोड़ रूपये में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (पु.अ.)	वृद्धि दर की प्रवृत्ति (%) (औसत)	2020-21 (ब.अ.)	वृद्धि प्रतिशत
राजस्व व्यय	99770.70	119537.37	130246.09**	141577.21	151259.06	11.08	154110.37	1.89
पूंजीगत व्यय	16835.47	27288.32*	30913.22**	29424.19	29159.32	17.41	28350.28	(-)2.77
ऋण एंव अग्रिम	3159.85	4940.93	1550.19	1090.71	877.17	(-)15.37	1536.41	75.16

(पु.अ.)=पुनरीक्षित अनुमान, (ब.अ.)=बजट अनुमान

* विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 7568 करोड, (4011 करोड़ राजस्व तथा 3557 करोड़ पूंजीगत) की सहायता।

** विद्युत वितरण कंपनियों के उदय योजना अंतर्गत 611 करोड़ राजस्व तथा 4011 करोड़ पूंजीगत का समायोजन।

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये। पिछले कुछ वर्षो में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 17.41 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 159008.74 करोड़ रूपये अनुमानित है। शुद्ध लोक ऋण की संरचना **तालिका 2.7** में दर्शायी गई है। लोक ऋण का 57.20 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 13.11 प्रतिशत है।

तालिका 2.7
शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रूपये में)

स्त्रोत वर्ष	31 मार्च, 2019	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2020 (पु.अ.)	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	98817.33	56.81	115532.33	57.20
केन्द्र	17388.60	10.00	20938.81	10.37
वित्तीय संस्था	17310.68	9.95	18127.05	8.97
अल्पबचत	23881.30	13.73	26481.30	13.11
अन्य (भविष्य निधि, समूह बीमा आदि)	16545.60	9.51	20909.81	10.35
योग	173943.50	100.00	201989.28	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	42143.85		42980.54	
शुद्ध लोक ऋण	131799.65		159008.74	

अध्याय 03

बचत एवं विनियोजन

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाऐं महत्वपूर्ण भूमिका का निवर्हन करते हैं। बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन का अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या **तालिका 3.1** में दी गई है। प्रदेश में विभिन्न बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक ग्रामीण शाखाओं में 30 तथा अर्द्धशहरी शाखाओं में 6 शाखाओं की कमी आयी है। जिसका मुख्य कारण कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के समामेलन के कारण एक ही स्थान पर कार्यरत एक से अधिक शाखाओं में से कतिपय शाखाओं को बंद किया गया है। वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में प्रदेश में कुल 36 शाखाओं की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि शहरी शाखाओं में 72 की वृद्धि हुई है।

तालिका 3.1

बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-19	मार्च-20	सितम्बर - 20
	ग्रामीण बैंक शाखाएं		
वाणिज्यिक बैंक	1551	1520	1483
सहकारी बैंक	297	297	297
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	854	854	854
स्मॉल फायनेंस बैंक	53	41	48
आई.पी.पी.बी.	---	---	---
योग	**2755**	**2712**	**2682**
	अर्द्धशहरी बैंक शाखाएं		
वाणिज्यिक बैंक	1623	1692	1673
सहकारी बैंक	470	470	470
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	318	318	318
स्मॉल फायनेंस बैंक	59	108	121
आई.पी.पी.बी.	---	---	---
योग	**2470**	**2588**	**2582**

बैंक का प्रकार	मार्च-19	मार्च-20	सितम्बर - 20
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	2122	2215	2258
सहकारी बैंक	110	110	110
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	148	148	148
स्मॉल फायनेंस बैंक	79	143	172
आई.पी.पी.बी.	---	42	42
योग	**2459**	**2658**	**2730**
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	5296	5427	5414
सहकारी बैंक	877	877	877
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1320	1320	1320
स्मॉल फायनेंस बैंक	191	292	341
आई.पी.पी.बी.	---	42	42
योग	**7684**	**7958**	**7994**

3.2 जन धन योजनाः प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया निर्धारित है। इस योजना अंतर्गत माह सितम्बर, 2020 तक 349.72 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 288.42 लाख से अधिक खाताधारकों को रूपे कार्ड जारी किये जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इन दोनो योजनाओं के तहत् क्रमश: रूपये 12 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा रुपये 2.00 लाख तथा रूपये 330 प्रतिवर्ष के बीमा प्रीमियम पर जीवन बीमा रुपये 2.00 लाख का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। इन दोनों बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक क्रमश: 122.65 लाख तथा 34.41 लाख लोगों को बीमित किया गया है ।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी जिला बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता हेतु समय-समय पर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांक : बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का

विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है। बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान 7.82 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में माह सितम्बर, 20 तक कुल जमा राशि में 8.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 7.56 प्रतिशत की दर से वर्ष 2017-18 से 2020-21 में माह सितम्बर, 2020 तक की अवधि के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में माह सितम्बर 2020 तक कुल अग्रिम राशि में 2.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम के समान अवधि में 1.52 प्रतिशत की वृद्धि ही परिलक्षित हुई है। कृषि क्षेत्र में सीधे फसल ऋण अग्रिम में समान अवधि में 0.88 प्रतिशत की कमी रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर 2020 तक की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 6.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर,2020 तक की अवधि में 75.29 प्रतिशत रहा है।

तालिका 3.2

बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक

(करोड़ रूपये में)

विवरण	**मार्च - 18**	**मार्च - 19**	**मार्च - 20**	**सितम्बर - 2020**	**मार्च -18 से सितम्बर- -20 तक वृद्धि दर**
कुल जमा	365432	393177	423556	458223	**7.82**
कुल अग्रिम	272924	307354	332321	339042	**7.56**
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	175083	184867	204332	207448	**6.28**
कृषि अग्रिम	99393	102143	109952	110774	**4.07**
सीधे कृषि अग्रिम	75823	75284	84143	83399	**4.05**
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अग्रिम	52518	55745	60228	64296	**7.08**
कमजोर वर्ग को अग्रिम	59808	77069	76196	68809	**4.18**

तालिका 3.3
राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च- 18	मार्च- 19	मार्च- 20	सितम्बर-2020
साख-जमा अनुपात	60%	74.69%	78.17%	78.46%	73.99%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	62.49%	60.15%	61.49%	61.19%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	36.42%	33.23%	33.09%	32.67%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	23.67%	22.90%	22.92%	20.30%

चित्र 3.1
राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति

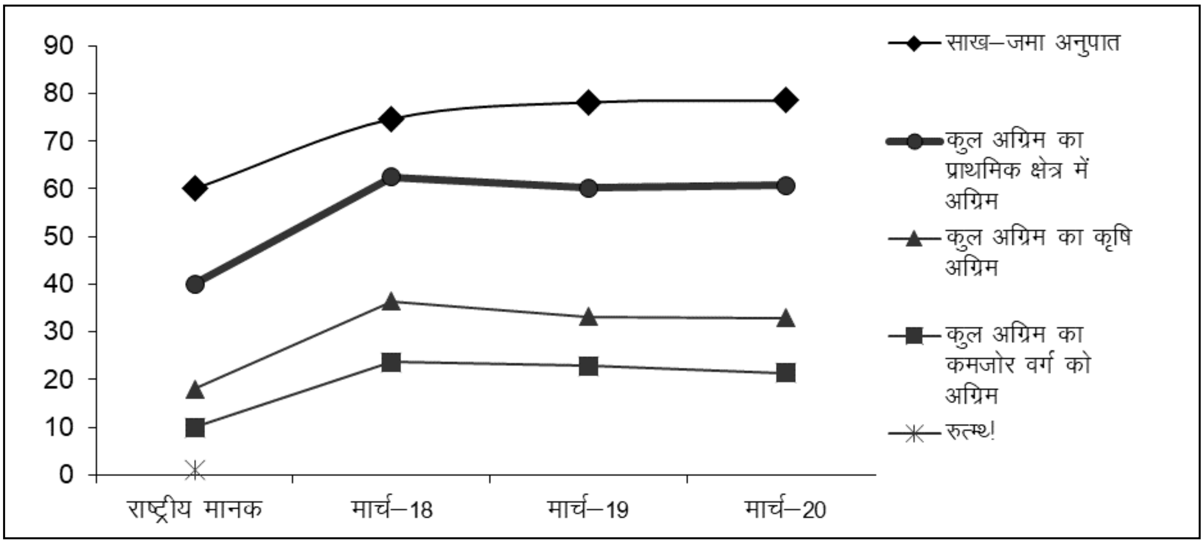

3.5 साख जमा अनुपातः वर्ष 2020-21 में माह सितम्बर, 20 तक प्रदेश का साख-जमा अनुपात 73.99 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है परंतु गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष की प्रथम छः माही में साख-जमा अनुपात में 4.47 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिला स्तर पर न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं। माह सितम्बर, 2020 को समाप्त छः माही पर प्रदेश के 11 जिलों यथा सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, डिण्डोरी, तथा निवाड़ी, पन्ना, मण्डला, टीकमगढ़, सीधी का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम पाया गया है। 14 जिलों का

साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है। 15 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, जबकि 12 जिलों का यह अनुपात शतप्रतिशत से भी अधिक है।

3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंक वार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण **तालिका 3.4** में है। प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण स्थिर परिलक्षित हो रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण वितरण में निरंतर सुधार हो रहा है। लघु उद्योगों के लिये ऋण वितरण में वृद्धि के फलस्वरूप ही इन उद्योगों की गतिविधियों में विस्तार होने का संकेत है।

तालिका 3.4

वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

गतिविधियां	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (सितम्बर -20 तक)**
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	60882	66478	64965	46108
सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उद्योग	22512	30615	31114	18745
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	6783	6483	6974	3323
योग	**90177**	**103576**	**103053**	**68176**
अप्राथमिकता क्षेत्र	**58683**	**36153**	**12912**	**27799**
कुल योग	**148860**	**139729**	**115965**	**95975**

3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण **तालिका 3.5** में है।

तालिका 3.5
कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मार्च-18	मार्च-19	मार्च-20	सितम्बर - 2020	मार्च-18 से सितम्बर-20 तक वृद्धि दर
महिलाओं को अग्रिम	25977	32039	32572	34390	**8.96**
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	15244	17868	19571	22438	**13.32**
अल्पसंख्यक समुदाय	10266	11459	9898	10615	**(-)0.46**

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु 'एन.आर.एल.एम.' तथा शहरी क्षेत्र हेतु 'एन.यू.एल.एम' नाम से मिशन संचालित किये जा रहे हैं। इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है। माह सितम्बर, 2020 तक कुल 2.99 लाख समूहों को सेविंग लिंक किया गया तथा 1.39 लाख समूहों को क्रेडिट लिंक किया गया ।

3.9 गृह निर्माण अग्रिमः बैंकों एवं हाउसिंग फायनेंस कम्पनियों द्वारा प्रदेश की जनता को सामान्य आवास ऋण के साथ-साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् गृह निर्माण हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। माह सितम्बर, 2020 तक कुल राशि रूपये 41661 करोड़ का आवास ऋण शेष है ।

3.10 किसान क्रेडिट कार्डः बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारी किसानों को रूपे किसान कार्ड जारी किये जा रहे है। माह सितम्बर, 2020 तक कुल 62.15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं ।

3.11 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में

निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.12 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण

(करोड़ रूपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2018-19		वर्ष 2019-20		वर्ष 2020-21 (दिसम्बर -20 तक)	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	3	1509.95	5	1905.85	2	2142.86
सड़क	24	131.29	115	297.28	-	-
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	0	11	61.42	-	-
ग्रामीण पेयजल वितरण	3	595.63	4	199.95	3	615.63
कुल योग	**30**	**2236.87**	**135**	**2464.50**	**5**	**2758.49**

3.13 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षण : देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यत: बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु **"मध्यप्रदेश** निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है। भारत सरकार द्वारा **"दि बेनिंग ऑफ अनरेगूलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019"** लागू किया गया है, जिसके तहत् सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति तथा विशेष न्यायालयों का गठन किया गया हैं ।

बीमा क्षेत्र

3.14 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है ।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है । निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षो की स्थिति **तालिका 3.7** में दर्शायी है ।

तालिका 3.7

व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2018-19	2019-20	2020-21 (नव. 2020 तक)
पालिसी संख्या (लाख में)	13.94	14.01	6.37
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये)	1871.31	4976.64	3459.19

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है । निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पैंशन, समूह बीमा** तथा **सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को **तालिका 3.8** में दर्शाया गया हैं ।

तालिका 3.8
पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21 (नव. 2020 तक)	
	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनों की संख्या (लाख में)	20.33	6.68	21.61	7.79	2.86	0	0.73	0
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये में)	1059.25	1.88	1503.39	1265.37	1511.68	0	989.79	0

अध्याय 04

भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं

भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि जन्य पदार्थों के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय कृषि जन्य पदार्थों के समूहों के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 =100) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं। गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न, अखाद्यान्न एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि अखाद्यान्न वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में 6.4 प्रतिशत की रही, सूचकांक गतवर्ष के 225.5 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 240.0 हो गया। इसी प्रकार खाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2017-18 में 212.2 था जो 2.00 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2018-19 में 216.4 हो गया।

तालिका 4.1

कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खाद्यान्न	217.8	239.5	212.2	216.4
अखाद्यान्न	231.2	228.5	225.5	240.0
समस्त वस्तुएं	224.2	234.2	218.5	227.7

समस्त कृषि जन्य पदार्थों के समूह में थोक भाव सूचकांक वर्ष 2017-18 में 218.5 था जो वर्ष 2018-19 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 227.7 हो गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के आंकलन में औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है ।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा-भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ-साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2001=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण **तालिका 4.2 में** दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2
औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (2001 = 100)

केन्द्र	2018		2019		2020 माह अगस्त 2020 तक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	276	301	300	333	313	344
इन्दौर	257	269	310	288	328	301
जबलपुर	279	298	328	325	346	338
छिन्दवाड़ा	286	293	341	314	356	328

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में माह अगस्त 2020 तक राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य एवं सामान्य समूह के सूचकांकों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में खाद्य समूह सूचकांक सर्वाधिक छिंदवाड़ा में 356 एवं सामान्य सूचकांक सर्वाधिक भोपाल में 344 रहा है।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं, जिसका वर्षवार विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश			
	कृषि श्रमिक		ग्रामीण श्रमिक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
2015	704	751	705	774
2016	742	789	748	811
2017	731	791	733	816
2018	734	802	736	826
2019	775	836	778	859
2020 माह नव, 2020 तक	813	869	818	890

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से वर्ष 2020 में माह नव. 2020 तक कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह तथा सामान्य सूचकांक समूह दोनो में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.5 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 25 श्रेणियों के परिवारों को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। वर्ममान में (दिसम्बर, 2020) प्रदेश के 108 लाख परिवारों एवं 4.70 करोड़ जनसंख्या को पात्र परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया है। माह दिसम्बर, 2020 में अभियान चलाकर मृत, विवाहित एवं दोहरे जैसे अपात्र हितग्राही जिनके द्वारा राशन प्राप्त नहीं किया जा रहा था, को हटाया गया है, उनके स्थान पर वर्तमान में 786435 नवीन परिवारों को जोड़ा जाकर लाभान्वित किया गया है ।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत् हितग्राहियों को रूपये 1 प्रति किलों की दर से अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से उपलब्ध कराया जाता है।

4.6 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न : प्रदेश के 5386 छात्रावास में रहने वाले अनुसूचित जाति के 66882 एवं जनजाति के 181463 छात्र/छात्राओं को 15.00 किलो प्रति छात्र के मान से रूपये 1 प्रति किलों की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ।

4.7 आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था (AePDS) :

- प्रदेश की सम्पर्ण 25236 उचित मूल्य दुकानों पर सेवाप्रदाता के माध्यम से पीओएस मशीन लगाई जाकर राशन सामग्री का वितरण करवाया जा रहा है ।

- माह अक्टूबर, 2019 से प्रदेश में **AePDS** का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पात्र परिवारों का सत्यापन बायोमेट्रिक के आधार पर कर राशन वितरण किया जा रहा है । इस व्यवस्था में वृद्धजन / नि:शक्तजन को दुकान तक राशन सामग्री प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखकर उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति (नामित) के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। पात्र हितग्राहियों को **eKYC** की सुविधा पीओएस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है ।

- प्रदेश के लगभग 24 हजार ऑनलाईन उचित मूल्य दुकान के पात्र हितग्राही किसी भी दुकान से राशन प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में लगभग 3.82 लाख परिवार प्रतिमाह पोर्टेबिलिटी का लाभ प्राप्त कर रहे है ।

- पात्र हितग्राहियों को **eKYC** की सुविधा पीओएस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। अभी तक 481209 हितग्राहियों के **eKYC** किये जा चुके है ।

- बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन का वितरण 18 लाख परिवारों से बढ़ाकर 93.55 लाख परिवारों को माह नवम्बर, 2020 में किया गया ।

4.8 वन नेशन-वन राशनकार्ड :- प्रदेश में वन नेशन- वन राशनकार्ड व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत सम्मिलित समस्त पात्र परिवार प्रदेश की 25236 एवं अन्य 23 राज्यों की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपनी हकदारी का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है ।

4.9 नॉमिनी पॉलिसी :- आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था अंतर्गत ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य का आधार पंजीयन न हुआ हो, सभी सदस्यों के आधार सत्यापन विफल होने एवं परिवार के सभी सदस्यों की उम्र 60 वर्ष से अधिक एवं 12 वर्ष के कम होने पर अथवा परिवार के सभी सदस्यों के दिव्यांग होने पर उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों को राशन वितरण की नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, जिसके तहत नामांकित व्यक्तियों को बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन का वितरण किया जा सके एवं कोई भी परिवार राशन से वंचित न रहे ।

4.10 आत्मनिर्भर भारत योजना :- कोविड-19 के कारण माइग्रेंट लेबर, बेघर एवं बेसहारा, लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें 1 लाख 9 हजार परिवारों के 1 लाख 96 हजार सदस्यों को माह मई एवं जून 2020 में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य एवं 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति माह के मान से नि:शुल्क वितरण कराया गया है ।

4.11 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) :- NFSA अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत माह अप्रैल, 2020 से नवम्बर, 2020 तक अतिरिक्त रूप से 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न एवं 1 किलो दाल/चना प्रति परिवार नि:शुल्क वितरण कराया गया है। इस प्रकार प्रत्येक NFSA अंतर्गत पात्र हितग्राही को प्रति माह 5 किलो के स्थान पर 10 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह एवं अतिरिक्त रूप से दाल का प्रदाय भी किया गया है ।

4.12 शक्कर वितरण :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के रूप में चिन्हित अन्त्योदय अन्न योजना के 1404512 परिवारों को (माह दिसम्बर, 2020 के) 1 **KG** प्रति परिवार के मान से 1404.5 मे.टन आवंटन जारी किया गया है, 20 रूपये प्रति किलो की दर से शक्कर का वितरण किया जाता है ।

4.13 नीले केरोसीन का वितरण :- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 108.68 लाख परिवारों को चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें नीला केरोसीन (रियायती दर का केरोसीन) उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 03 लीटर केरोसीन एवं प्राथमिकता परिवारों को 02 लीटर केरोसीन का वितरण प्रति परिवार किया जा रहा है ।

4.14 अतिवृष्टि प्रभावित परिवारों को राशन वितरण :- माह फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक चार जिलों भिण्ड, नीमच, मंदसौर, आगरा-मालवा को 254.130 मे.टन खाद्यान्नों गेहूं का आवंटन जारी किया गया ।

4.15 आदिवासी विकासखण्डों में डबल फोर्टिफाईड नमक का वितरण :- प्रदेश के 89 आदिवासी विकासखण्डों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 2591190 पात्र परिवारों के सदस्यो मे आयरन एवं फोलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिये माह मई, 2018 से डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण प्रारंभ किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को रूपये 1 प्रति किलो की दर से एक किलो डबल फोर्टिफाईड नमक वितरण किया जाता है ।

4.16 नवीन उचित मूल्य दुकानों का आवंटन :- उपभोक्ताओं को अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने हेतु अधिक दूरी तय न करना पड़े, इस हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर उचित मूल्य दुकान खोली जाना है। नवीन दुकान आवंटन में एक तिहाई दुकानें महिलाओं की संस्थानों को देने का प्रावधान किया गया है। नवीन दुकानों की स्थापना हेतु ऑनलाईन आवंटन की व्यवस्था की गई है। विगत एक वर्ष में 93 नवीन दुकानों का आवंटन किया गया है ।

4.17 उपार्जन (गेहूं) :-

- रबी विपणन वर्ष 2020-21 में 1581085 किसानों से12942131 मे.टन गेहूं का उपार्जन किया गया जो कि विगत वर्ष से 55725.81 मे.टन अधिक है ।
- उपार्जित गेहूं की कुल राशि रूपये 24806.91 करोड़ किसानों को भुगतान की गई, जो विगत वर्ष से राशि रूपये 11246.91 करोड़ अधिक है ।
- गेहूं के अतिरिक्त किसानों से चना- 7.063; मसूर- 0.01433 तथा सरसों- 1.15 लाख मे.टन का भी उपार्जन किया गया है ।

4.18 उपार्जन (धान) :-

- खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य दिनांक 26.10.2020 से प्रारंभ किया गया, जो कि दिनांक 16 जनवरी, 2021 तक नियत है।
- प्रदेश में 1424 उपार्जन केन्द्रों पर किसानों से धान की खरीदी की जा रही है ।
- धान उपार्जन हेतु कुल 725000 किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल पर किया गया।
- अभी तक 328265 किसानो द्वारा 1866077.78 मे.टन धान का समर्थन मूल्य पर विक्रय किया गया। उपार्जित धान का 89.54 प्रतिशत परिवहन किया जा चुका है ।

4.19 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत कुल 71.29 लाख गरीब परिवार की महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं ।

अध्याय 05

कृषि

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं आजीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है। राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है । फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति को देखते हुये फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है । वर्ष 2020-21 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । फसल क्षेत्र की विकास दर को **चित्र 5.1** में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.1

फसल क्षेत्र में विकास दर

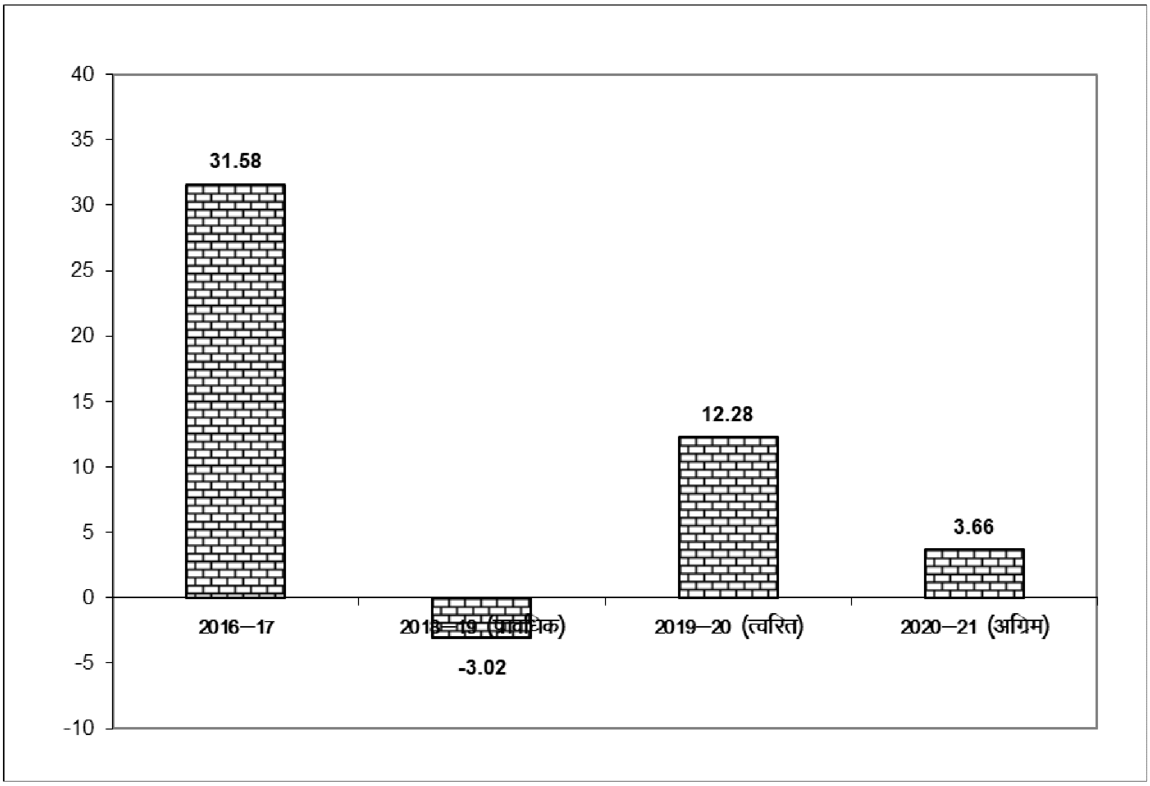

मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है। कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव भी इन्ही घटकों से पड़ता है ।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1024.3 मि.मी. है । वर्ष 2019 में (जून से सितम्बर) अवधि में 1385.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी, जो सामान्य औसत वर्षा से 35.29 प्रतिशत अधिक रही। वर्ष 2020 में इसी अवधि में कुल वर्षा 979.4 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से 4.38 प्रतिशत कम है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1

वर्षा की स्थिति

(मिली.मीटर)

माह	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी**
जून	62.6	99.4	47.9	164.4	243.2
जुलाई	350.3	438.0	445.1	374.7	(-) 15.6
अगस्त	557.9	634.8	909.0	733.4	(-) 19.3
सितम्बर	742.2	823.0	1385.8	979.4	(-) 29.3

स्त्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.2 प्रमुख फसलों क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन : वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में दलहन के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में क्रमश: 25.87 एवं 20.83 प्रतिशत की कमी रही है। परन्तु इसी में अवधि में अनाज एवं तिलहन के क्षेत्रफल में क्रमश: 25.20 एवं 12.28 प्रतिशत की वृद्धि रही। कुल फसलों के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में 23.48 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई ।

तालिका 5.2
प्रमुख फसलों का क्षेत्राच्छादान

(हजार हेक्टर)

समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में (वृद्धि /कमी का प्रतिशत)
अनाज	10791	10049	12321	15426	5429	25.20
दलहन	6752	7480	6595	4889	1565	(-) 25.87
तिलहन	6986	6642	6654	7471	7437	12.28
कुल	25232	24880	26132	28561	15029	9.30

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.3
प्रमुख फसलों का उत्पादन

(हजार टन)

समूह	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में (वृद्धि /कमी का प्रतिशत)
अनाज	36269	34165	38243	53818	15063	40.73
दलहन	8201	9469	6043	4784	823	(-) 20.83
तिलहन	8225	6947	7433	5420	8159	(-) 27.08
कुल	54122	52080	53127	65603	24795	23.48

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.3 खाद्यान्न : वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में धान, मक्का एवं गेहूं के क्षेत्रफल में, क्रमश: 10.60, 21.31 एवं 32.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, समग्र रूप से कुल खाद्यानों के क्षेत्रफल में 7.39 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। इसी अवधि में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन में गतवर्ष से 32.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.4 तथा 5.5** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.4
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	2018-19 गत वर्ष से 2019-220 प्रतिशत वृद्धि/कमी
धान	2289	2035	2812	3110	9632	10.60
मक्का	1284	1353	1267	1537	1441	21.31
गेहूं	6422	5803	7722	10227	-	32.44
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**17543**	**17529**	**18916**	**20314**	**6994**	**7.39**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.5
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अंतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
धान	8201	7349	7926	11044	9632	39.34
मक्का	4376	4813	4133	4489	4295	8.61
गेहूं	21918	20020	25276	37198	-	47.17
कुल खाद्यान्न (अन्य सहित)	**44470**	**43635**	**44286**	**58602**	**15886**	32.33

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.3.1 धान : धान के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 10.60 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 2812 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 3110 हजार हेक्टर हो गया। धान के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि होने से उत्पादन में भी वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 39.34 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष 2018-19 के 7926 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 11044 हजार मैट्रिक टन हो गया ।

5.3.2 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 21.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2018-19 के 1267 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1537 हजार हेक्टर हो गया । मक्का के उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 8.61 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष 2018-19 में 4133 हजार मैट्रिक टन था बढकर वर्ष 2019-20 में 4489 हजार मैट्रिक टन हो गया ।

5.3.3 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 32.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2018-19 में 7722 हजार हेक्टर रहा जो बढ़कर वर्ष 2019-20 में 10227 हजार हेक्टर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ही उत्पादन में भी 47.17 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष के 25276 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 37198 हजार मैट्रिक टन हो गया।

5.4 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी परिलक्षित रही। दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.6 तथा तालिका 5.7** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6

दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	690	647	213	249	220	16.90
चना	3222	3590	3103	1926	-	(-) 37.93
उडद	1168	1789	2437	1794	1279	(-) 26.38
मूंग	225	228	291	465	66	59.79
मसूर	574	596	421	379	-	(-) 9.98
मटर	505	312	65	58	-	(-)10.77
कुल दलहनी (अन्य सहित)	**6752**	**7480**	**6595**	**4889**	**1565**	**(-) 25.87**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.7
दलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अतिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
अरहर	873	839	180	274	220	52.22
चना	1063	1744	3997	3062	-	(-)23.39
उडद	132	137	1132	503	576	(-)55.57
मूंग	4546	5385	280	590	28	110.71
मसूर	653	679	329	294	-	(-)10.64
मटर	521	322	50	48	-	(-)4.00
कुल दलहनी (अन्य सहित)	**8201**	**9469**	**6043**	**4784**	**823**	**(-)20.83**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.4.1 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 16.90 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष 2018-19 में 213 हजार हेक्टर रहा जो बढकर वर्ष 2019-20 में 249 हजार हेक्टर हो गया। इसी प्रकार अरहर के उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 52.22 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2018-19 के 180 हजार मैट्रिक टन से बढकर वर्ष 2019-20 में 274 हजार मैट्रिक टन हो गया है।

5.4.2 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 37.93 प्रतिशत की कमी आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 2018-19 के 3103 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2019-20 में 1926 हजार हेक्टर हो गया । चने के उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 23.39 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष 2018-19 के 3997 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2019-20 में 3062 हजार मैट्रिक टन रह गया।

5.4.3 उडद, मूंग, मसूर एवं मटर : उडद, मसूर एवं मटर के क्षेत्रफल में गत वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में क्रमश: 26.38, 9.98 एवं 10.77 प्रतिशत की कमी आंकी गई साथ ही उत्पादन में भी क्रमश: 55.57, 10.64 एवं 4.00 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, जबकि मूंग के क्षेत्रफल में 59.79 एवं उत्पादन में गत वर्ष से110.71 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

5.5 तिलहन : तिलहन के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में 12.28 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2018-19 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 6654 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 7471 हजार हेक्टेयर हो गया। किन्तु कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष से 27.08 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2018-19 के 7433 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2019-20 में 5420 हजार मैट्रिक टन अनुमानित रह गया। कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** एवं **तालिका 5.9** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.8

प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 प्रथम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई- सरसों	708	748	707	675	-	(-)4.53
सोयाबीन	5401	5010	5419	6194	6714	14.30
कुल तिलहन	**6986**	**6642**	**6654**	**7471**	**7437**	12.28

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.9
प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 प्रथम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
राई सरसों	920	976	1041	1038	-	(-)0.29
सोयाबीन	6649	5321	5809	3856	7453	(-)33.62
कुल तिलहन	**8225**	**6947**	**7433**	**5420**	**8159**	(-)27.08

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.6 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 4.53 प्रतिशत की कमी हुई इन फसलों का क्षेत्रफल गत वर्ष के 707 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2019-20 में 675 हजार हेक्टेयर हो गया तथा इसी अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में 0.29 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 1041 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2019-20 में 1038 हजार मैट्रिक टन हो गया ।

5.7 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य तिलहन फसल सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14.30 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष 5419 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 6194 हजार हेक्टेयर हो गया । इसी अवधि में सोयाबीन का उत्पादन गत वर्ष 2018-19 के 5809 हजार मैट्रिक टन से घटकर वर्ष 2019-20 में 3856 हजार मैट्रिक टन अर्थात 33.62 प्रतिशत कमी के साथ उत्पादन हुआ है।

वाणिज्यिक फसलें

5.8 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं । वर्ष 2019-20 में गन्ना के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि परिलक्षित रही। जबकि कपास के क्षेत्रफल में वृद्धि परिलक्षित रही है किन्तु उत्पादन में कमी रही है। इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.10** एवं **5.11** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 5.10
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टर)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 प्रथम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना	92	98	108	125	-	15.74
कपास	599	603	455	650	590	42.86

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

तालिका 5.11
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 अग्रिम अनुमान	2020-21 प्रथम अग्रिम अनुमान	वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में वृद्धि/कमी का प्रतिशत
गन्ना (गुड के रूप मे)	473	543	528	741	-	40.34
कपास (टन)	946	953	879	839	748	(-)4.55
कपास (वेल्स)#	1855	1868	1725	1644	1466	(-)4.70

(#) = 170 किलोग्राम की प्रति गांठों में ।

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.9 गन्ना : गन्ने की फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 15.74 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 108 हजार हेक्टर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 125 हजार हेक्टर हो गया। गन्ने के उत्पादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 40.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन गत वर्ष के 528 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 741 हजार मैट्रिक टन हुआ है।

5.10 कपास : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में 42.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 455 हजार हेक्टर से बढकर वर्ष 2019-20 में 650 हजार हेक्टर हो गया । इस अवधि में कपास, वेल्स फसल के उत्पादन में क्रमश: 4.55 तथा 4.70 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है।

कृषि विकास योजनाएं

5.11 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बी.टी.कॉटन., रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रमाणित बीजों का वितरण परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना, **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण आगे दर्शाया गया है ।

5.12 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन बीज का उपयोग वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तो के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुआ। बी.टी. कॉटन के क्षेत्राच्छादान एवं उत्पादन में लगातार वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक के क्षेत्राच्छादन वितरित पैकेट संख्या का विवरण **तालिका 5.12** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12

बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं वितरित पैकेट संख्या

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टर में)	वितरित पैकिट (संख्या)
2016-17	572000	1510080
2017-18	603000	2065052
2018-19	684000	2288678
2019-20	651000	1607970
2020-21	644000	1590680

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.13 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : प्रदेश में 23 नवम्बर 2020 तक 21.27 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कराया गया है। रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण (तत्वो में) वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक **तालिका 5.13** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13
रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीटरिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2016-17	12.72	6.17	0.92	19.81
2017-18	12.63	6.55	0.98	20.16
2018-19	14.40	7.43	1.01	22.84
2019-20	15.38	7.71	1.08	24.17
2020-21 (नवम्बर 2020 तक)	12.15	7.96	1.16	21.27

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

5.14 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नीदा नियंत्रण-उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक उपलब्धियॉ का विवरण **तालिका 5.14** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.14
पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हैक्टर)

कार्यक्रम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 नवम्बर 2020
बीज उपचार	140.78	130.74	131.31	136.10	101.06
फसल उपचार	30.46	27.68	24.44	25.71	26.78
चूहा नियंत्रण	27.11	26.70	28.17	23.98	20.73
नींदा नियंत्रण	18.47	18.70	19.42	20.78	16.82
योग	**216.82**	**203.82**	**203.34**	**206.57**	**165.39**

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालय

बाक्स 5.1

किसान संदेश एवं एफ.पी.ओ

किसान संदेश :- किसानों को समय पर सामयिक विभागीय सलाह हेतु " किसान संदेश" पाक्षिक(एडवाइजरी) का नियतिम प्रकाशन प्रत्येक कृषि विज्ञान केन्द्र स्तर पर किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह संदेश मध्यप्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसार तैयार किया जाकर , कृषि विभाग के पोर्टल से किसान भाईयों को उनके कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार उपलब्ध होगा, किसान इसे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर देख सकेगे या निकटस्थ कृषि कार्यालयों/कृषि विज्ञान केन्द्र पर भी जाकर प्राप्त कर सकेंगे।उक्त जलवायु क्षेत्रों में ली जाने वाली मुख्य फसलों पर प्रत्येक पखवाडे की आवश्यक समसामयिक कृषि क्रियाओं, कीट व्याधि एवं अन्य समस्याओंसे संबंधित परामर्श प्रदाय किए जाने की व्यवस्था है।

एफ.पी.ओ :- भारत सरकार द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2020 से "Formation and Promotion of Farmer Producer Oranizations (FPOS)" योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में आगामी तीन वर्ष में 1000 नवीन किसान उत्पादक संगठनों (FPOS) का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्डमें न्यूनतम 02 नवीन एफ.पी.ओ गठन का लक्ष्य प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित किया गया है। इस योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय State Level Consultation Commaittes (SLCC) समिति तथा जिला स्त्रीय District Monitoring Commaittes (D-MC) समिति का गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश शासन, द्वारा राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल को नोडल संस्था नियुक्त किया गया है। मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैक (NABARD), भोपाल को राज्य स्तरीयनोडल अधिकारी, जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत को जिला नोडल अधिकारी तथा उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास को सहायक जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5.15 फ्लेट रेट/भावांतर योजना : भावांतर योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 896.00 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 424.67 करोड का आवंटन जारी कर इस योजना में 260735 कृषकों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2020-21 हेतु योजना में वित्त विभाग द्वारा राशि रूपये 500.00 करोड का प्रावधान किया गया है।

5.16 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाः प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 799.00 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 620.83 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। इस योजना में राशि रूपये 2212.00 करोड एवं पुर्नविनियोजन हेतु राशि रूपये 700.00 करोड को मांग शासन से की है। योजना की मुख्य उपलब्धियों को निम्नानुसार दर्शाया गया है ।

प्रधानमंत्री फसल बीमा

क्र.	विवरण	खरीफ 2018	रबी 2018-19	खरीफ 2019	रबी 2019-20
1.	बीमित किसान संख्या(लाख)	35.00	25.04	37.28	34.39
2.	बीमित क्षेत्रफल(लाख हे.)	68.63	43.21	51.71	47.45
3.	प्रीमियम में किसानों का अंश (करोड़ रु.)	658.59	321.74	310.07	201.67
4.	प्रीमियम में राज्यांश (करोड़ रु.)	1695.31	575.68	1020.00	386.22
5.	प्रीमियम में केन्द्रांश (करोड़ रु.)	1695.31	575.68	1020.00	386.22
6.	कुल प्रीमियम (करोड़ रु.)	4049.21	1473.10	2350.74	947.11
7.	दावा राशि भुगतान (करोड़ रु.)	1987.27	1241.00	5417.85	प्रकियाधीन
8.	लांभावित कृषक (लाख)	95.42	8.95	23.60	प्रकियाधीन

5.17 प्रमाणित बीजों का वितरणः राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के लिये बीजग्राम योजना, सूरजधारा, अन्नपूर्णा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 45.48 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है। वर्ष 2019-20 में 42.52 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया। खरीफ वर्ष 2020-21 में 19.14 लाख प्रमाणित बीज के वितरण लक्ष्य के विरूद्ध 22.55 लाख क्विंटल बीज वितरित किया गया है तथा रबी वर्ष 2020-21 में 25.43 (लाख) क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर 2020 तक 14.40 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया गया है।

5.18 राज्य पोषित नलकूप खनन योजना: प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों हेतु वर्ष 2001 से क्रियान्वित की जा रही है। योजना में समस्त वर्ग के कृषकों हेतु सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75 प्रतिशत अथवा रूपये 25000 एवं सफल नलकूप पर पंप प्रतिष्ठापन पर कीमत का 75 प्रतिशत अथवा रूपये 15000 जो भी कम हो

अनुदान देय है। वर्ष 2019-20 में भौतिक लक्ष्य 1536 के विरूद्ध 955 की पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रूपये 614.21 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 381.89 लाख का व्यय कर किसानों को लाभान्वित किया गया हैं। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 382.00 लाख बजट प्रावधान के विरूद्ध 189.82 लाख व्यय किये गये ।

5.19 बलराम तालाब योजना: राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन अनुसार पी.एम.के.एस.वाय. के अदर इंटरवेंशन घटक अंतर्गत राशि रूपये 312.50 लाख से बलराम ताल निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है1

5.20 गन्ना: राज्य में वर्तमान में कुल 20 शक्कर कारखाने संचालित है। जिनमें से 03 सहकारिता क्षेत्र के एवं शेष 17 कारखानें निजी क्षेत्र के है। राज्य में नरसिंहपुर, जबलपुर, बैतुल, छिंदवाडा, होशंगाबाद, बडवानी, दतिया, खरगोन, बुरहानपुर, धार एवं ग्वालियर जिलों में शक्कर कारखानें संचालित है। प्रदेश के शक्कर कारखनों द्वारा वर्ष 2019-20 में 38.75 लाख टन गन्ने की पेराई की जाकर 38.18 लाख क्विंटल शक्कर उत्पादन किया गया । शुगर रिकवरी 9.85 प्रतिशत रही।

केन्द्रीय योजनायें

5.21 परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेव्हीवाय) : योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में 500 क्लस्टर अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश सहित राशि रूपये 4302.80 लाख प्राप्त हुई है।

5.22 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः 14वें वित्तीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2020-21 तक निरतंर रखी जाना है। योजना में भारत सरकार द्वारा राज्यों को 60 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है, 40 प्रतिशत राज्यांश है। योजना में विभिन्न विभागो, संस्थाओं, निगम, मंडलों द्वारा प्रस्तावित कृषकों की स्थानीय, विशिष्ट एवं सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते हैं जिसमें किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज फार्म निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशम पालन, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि विश्वविद्यालय एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, सहकारिता, फार्मर प्रोडयूसर आर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन आधारित प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये है।

वर्ष 2019-20 में 112.49 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर तक राशि रूपये 93.20 करोड़ रूपये व्यय किया गया है।

5.23 सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन "आत्मा" : विस्तार सेवाओं में सुधार एवं सुदृढ़िकरण को ध्यान में रखते हुये नवीन योजना विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा भारत

सरकार की सहायता से वर्ष 2005-06 से लागू की गई है। वर्ष 2014-15 से योजना भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलाजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से लागू है। जिला स्तर पर आत्मा गवर्निंग बोर्ड एवं आत्मा मेनेजमेंट कमेटी का गठन फर्म्स एण्ड सोसायटी एक्ट अंतर्गत पंजीयन किया गया है। **विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" का सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के रूप में क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से किया जा रहा है।**

योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में तक उपलब्ध राशि रूपये 7029.70 लाख में से राशि रूपये 5537.23 लाख व्यय की गई है। उपरोक्त लक्ष्यों में से मार्च 2020 तक प्रदर्शन 3806 (संख्या), कृषक संगोष्ठी 600 (संख्या), कृषि विज्ञान मेला 10 (संख्या), फार्म स्कूल 900 (संख्या), स्टाफ प्रशिक्षण 4267 मानव दिवस, कृषक प्रशिक्षण 26740 मानव दिवस, कृषक भ्रमण 33910 मानव दिवस, 3145 समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये एवं 1.22 लाख कृषकों को लाभांन्वित किया गया। योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में माह अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध राशि रूपये 4301.90 लाख में से राशि रूपये 2449.05 लाख व्यय की गई है। मासांत अक्टूबर 2020 तक प्रदर्शन 4178 (संख्या), कृषक संगोष्ठी 168 (संख्या), फार्म स्कूल 667 (संख्या), स्टाफ प्रशिक्षण 2256 मानव दिवस, कृषक प्रशिक्षण 2073 मानव दिवस, कृषक भ्रमण 860 मानव दिवस, 1061 समूहों का क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किये गये।

5.24 एन.एम.एस.ए. (आर.ए.डी.) : यह योजना वर्ष 2014-15 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य समन्वित पद्धति को अपनाते हुए किसानों की आय में वृद्धि करना है। सूखा, बाढ़ एवं प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान को कम करना, प्राकृतिक संसाधनों, एसेट्स के आधार पर स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुये धान्य, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है ।

योजनांतर्गत एक परिवार को अधिकतम 02 हेक्टर/वित्तीय राशि रूपये 1.00 लाख तक के लिए सहायता दिये जाने के प्रावधान है। योजना समन्वित कृषि पद्धति को अपनाने पर राशि रूपये 10.00 हजार से 40.00 हजार तक अनुदान प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल राशि रूपये 1093.59 लाख कार्य के लिए उपलब्ध रहेगें।

5.25 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत आयल सीड एवं आयल पॉमः मिशन का उददेश्य तिलहनी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करना है। जिसके अंतर्गत मुख्य घटक -बीज, तकनीकी हस्तांतरण, उत्पादन तकनीकी, सिचाई यंत्र मशीनरी एवं फ्लेक्सी

फंड है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा 5420.58 लाख का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया। योजनांतर्गत कुल राशि रूपये 3619.25 लाख रूपये उपलब्ध है। वर्ष 2020-21में बजट राशि रूपये 1847.02 लाख के विरूद्ध कुल राशि रूपये 1392.04 लाख का आवंटन जारी किया गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 854.48 लाख का व्यय किया गया है।

5.26 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुयामी योजना है।वर्ष 2019-20 में उपलब्ध राशि रूपये 52785.27 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 21702.75 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2020-21 में उपलब्ध राशि रूपये 42597.82 लाख के विरूद्ध माह नवम्बर 2020 तक राशि रूपये 10513.97 लाख का व्यय किया गया है।

5.27 स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना : स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 में पायलेट आधार पर मॉडल विलेज कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसमें प्रदेश के 313 प्रति विकासखण्ड एक ग्राम चयनित किया जाकर काश्त योग्य प्रति खसरे से नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण, स्वाइल हैल्थ कार्ड वितरण, सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन एवं कृषि मेला आदि गतिविधियां आयोजित की गई है। कृषकों के काश्त योग्य 127034 खसरों से, 127585 मृदा नमूना एकत्रीकरण कर विश्लेषण उपरांत 127585 कृषकों को स्वाईल हैल्थ कार्ड वितरित किये गये है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 2.00 लाख मृदा नमूनो का विश्लेषण, कृषको को निशुल्क स्वाईल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराने हेतु प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसके तहत कृषको को निशुल्क स्वाईल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करायें जा रहे है।

प्रदेश में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाऐं संचालित हैं। कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा विकासखण्ड स्तर पर उपलब्ध कराने के लिए 265 नवीन प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। 263 प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर यंत्रों की स्थापना के क्रम में 245 ए.ए.एस. प्रयोगशालाओं में स्थापित किये गये हैं ।

5.28 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना माइकोइरीगेशन : योजना वर्ष 2015-16 से संचालित है। वर्ष 2019-20 में भौतिक लक्ष्य 24658 के विरूद्ध 12257 पूर्ति एवं वित्तीय लक्ष्य राशि रूपये 7299.07 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 3100.36 लाख का व्यय कर किसानों को लाभांवित किया गया है। वर्ष 2020-21 में गत वर्ष के देयकों के भुगतान हेतु राशि रूपये 2768.63 लाख आवंटन जारी कर राशि रूपये 1664.59 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 हेतु भौतिक लक्ष्य 550 हेक्टर एवं वित्तीय लक्ष्य 431.17 लाख के विरूद्ध पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का लॉटरी प्रकिया द्वारा चयन किया जा चुका है।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2.33 कि.वाट/हेक्टर हो गई है। आगामी तीन वर्षों में प्रदेश की फार्म पावर उपलब्धता को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बढ़ाकर 3.25 किवा/हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है ।

यंत्रीकरण से संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजनायें निम्नानुसार हैं :-

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
2. कृषि शक्ति योजना
3. कृषि यंत्रीकरण के प्रोत्साहन की राज्य योजना, जिसमें शक्ति चलित यंत्रों पर विशेष अनुदान सहायता तथा निजी क्षेत्र में कस्टमहायरिंग केन्द्र स्थापना
4. कौशल विकास केन्द्र एंव प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन
5. सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन (एस.एम.ए.एम.)
6. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना

कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दृष्टि से आधुनिक कृषि उपकरणों पर अनुदान लाभ के साथ-साथ जागरुकता हेतु कृषकों के लिये प्रदर्शन, प्रशिक्षण, मेले आदि के कार्यक्रम किये जातें हैं। कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना से बुवाई, निदांई, गुडाई, कटाई के यंत्रों का प्रदर्शन किया जाता है । कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगार युवकों को कृषि उपकरण अथवा मशीनरी निर्माण एंव रखरखाव के कौशल को निखार कर उनकी योग्यतानुसार रोजगार देना है ।

- विभिन्न कृषि कार्यो हेतु बैल चलित, हस्त चलित तथा शक्ति चलित उन्नत कृषि यंत्रों का अनुदान पर कृषकों को वितरण।
- उन्नत कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न कृषि कार्यो के लिये उपयोगी नवीनतम उन्नत कृषि यंत्रों के कृषकों के खेतों में प्रदर्शन।
- नवीन उन्नत कृषि यंत्रो के रख-रखाव एवं समुचित उपयोग हेतु कृषको को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- प्रदेश की कृषि की विशिष्ट समस्याओं जैसे पड़त भूमि, छिटकवां पद्धति, नरवाई जलाना आदि के निदान में कृषि यंत्रो के उपयोग के प्रति कृषकों को जागरूक करना तथा कार्यक्रम बनाकर संचालित करना।
- कृषको को उच्च गुणवत्ता तथा लागत की मशीनों को किराये आधार पर उपलब्ध कराने हेतु ग्रामीण युवाओं को बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्रो की स्थापना हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराना। ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के माध्यम से उन्हे स्वरोजगार के लिए सक्षम बना कर आत्म निर्भर बनाना।
- ई-किसान सारथी के माध्यम से किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कॉल सेंटर के माध्यम से कृषि मशीनरी उपलब्ध कराया जाना।
- ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की ऑनलाइन वयवस्था के माध्यम से ट्रेक्टर्स एवं पावर टिलर, सभी प्रकार के शक्ति चलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र, कटाई उनरांत के उपकरण कम्बाईन हार्वेस्टर, हस्ताचलित/पशुचलित उन्नत कृषि यंत्र आदि पर किसानों को अनुदान का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रदेश में कलस्टर आधार पर ग्रामों को चयनित किया जाकर उक्त ग्राम में यंत्रीकृत कृषि के माध्यम से उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करना तथा प्रदर्शन करना। इन ग्रामों को यंत्रदूत ग्राम के रूप में जाना जाता है। इनमें सामूहिक रूप से यंत्रीकृत कृषि अपनाने से प्राप्त होने वाले लाभों के प्रति कृषकों को जागरूक किया जाता है।

उद्यानिकी

5.29 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, साग-सब्जी, फल, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार हेतु कार्यक्रम संचालित है। उच्च तकनीकी से बेमौसम में फूलों एवं सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना, उद्यानिकी में यांत्रिकीकरण, फसलोत्तर प्रबंधन, अधिकारियों/कर्मचारियों कृषकों को उद्यानिकी की आधुनिकतम तकनीकी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम की योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.30 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/ अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अंतर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टर एवं अधिकतम 4.00 हेक्टर के लिये अनुदान देय है। योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 1312.52 हेक्टर क्षेत्र में रोपण कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 1854.94 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1286.55 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 62.00 हेक्टर क्षेत्र में फल पौध रोपण किया गया हैं।

5.31 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना : वर्ष 2016-17 से सब्जी क्षेत्र विस्तार की योजना में संशोधन किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत (उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड एवं कंदवाली फसल जैसे- आलू, अरबी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 30.00 हजार रूपये जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर के लिये अनुदान देय है। वर्ष 2019-20 में 5774.96 हेक्टर क्षेत्र में सब्जी क्षेत्र विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 600.00 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 310.16 लाख व्यय किया गया है।

5.32 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नत/संकर मसाला फसल (मिर्च, धनिया, मैथी, कलौंजी, जीरा और अजवाइन) उत्पादन व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रूपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जड एवं कंद/प्रकंद वाली व्यवसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 50.00 हजार प्रति हेक्टर जो भी कम होगा रोपण सामग्री अनुदान देय है। योजना के अंतर्गत एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है। वर्ष 2019-20 में 3383.75 हेक्टर में मसाला क्षेत्र में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 436.48 लाख के विरूद्ध 310.89 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 254.00 हेक्टर में विस्तार का लक्ष्य रखा गया था जिसकी पूर्ति 194.00 हेक्टयर में गई है।

5.33 औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार : योजना के तहत कृषकों के द्वारा क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु प्रति कृषक 0.25 से 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2019-20 में 439.20 हेक्टेयर में औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 73.46 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 53.72 लाख व्यय किया गया है।

5.34 व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदंड एंव बागवनी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.सी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्रांइग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग एंव प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारित मापदंड अनुसार इकाई लागत कर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2019-20 में 1874.61 हेक्टेयर में विस्तार कर वित्तीय आवंटन राशि 1782.28 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 1305.02 लाख व्यय किया गया ।

5.35 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक

इसका उपयोग नहीं कर पाते है, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषकों को निर्धारित किये गए आधुनिक यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2019-20 में 1666.00 हेक्टयर की पूर्ति कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 727.45 लाख के विरूद्ध 441.38 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2019-20 में दिसम्बर, 2019 तक वित्तीय आवंटन राशि रूपये 727.45 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 259.83 लाख व्यय किया गया है जिसमें 1067 हेक्टर में विस्तार किया गया ।

5.36 बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम: राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजनांतर्गत प्रति हितग्राही को 75 रूपये सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकिट वितरित किये जाते है। वर्ष 2019-20 में 283760 सब्जी बीजों के पैकेटों को नि:शुल्क वितरित किये जाने हेतु वित्तीय आवंटन राशि रूपये 181.87 लाख के विरूद्ध 179.26 लाख व्यय कर 283760 हितग्राहियों को लाभांवित किया गया है।

5.37 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है। वर्ष 2019-20 में 22225 कृषकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में राशि रूपये 189.78 लाख व्यय किया तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 6305 कृषकों पर राशि रूपये 92.84 लाख रूपये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय किया गया ।

5.38 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2019-20 में 388 प्रदर्शिनी/ मेंलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 76.38 लाख के विरूद्ध 46.30 लाख व्यय किया गया है तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 07 मेलों का आयोजन कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 76.38 लाख के विरूद्ध 24.12 लाख व्यय किया गया।

5.39 मौसम आधारित फसल बीमा : प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013-14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अंतर्गत खरीफ की फसलें- बैंगन, प्याज,टमाटर,केला,पपीता,मिर्च एवं संतरा तथा रबी की फसलें- आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्तागोभी, फूलगोभी हरी मटर धनियां, लहसुन, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है। वर्ष 2019-20 में 345463 बीमित कृषकों की संख्या के आधार पर 222722 हेक्टर क्षेत्र में 268682 कृषकों को राशि रूपये 227.93 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया है।जिसमें केले फसल की क्लेम गणना एवं दावा वितरण प्रक्रियाधीन है। यह योजना वर्तमान में क्रियान्वित नही है

5.40 खाद्य प्रसंस्करण : खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति लागू की गई है, जिसमें नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु दो वर्षों में 5 लाख मीटरिक टन शीतगृह भण्डारण एवं कृषकों के प्रक्षेत्र में 5 लाख मीटरिक टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 500 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गई है।

इस रणनीति के तहत प्याज भण्डारण क्षमता के 5 लाख मीटरिक टन लक्ष्य के विरूद्ध 1.37 लाख मीटरिक टन प्याज भण्डारण गृह निर्मित हो चुकें तथा 3.52 लाख मीटरिक टन विकसित हुये हैं। इसके अतिरिक्त 0.45 लाख मीटरिक टन क्षमता के प्याज भण्डार गृह निर्माणाधीन है ।

नश्वर उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज हेतु 02 वर्षों में 5 लाख मीटरिक टन लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 4.58 लाख मीटरिक टन क्षमता विकसित हो रही है।

5.41 मसाले : वर्ष 2018-19 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.24 लाख हेक्टेयर एवं 40.76 लाख मीटरिक टन रहा है तथा वर्ष 2019-20 में कुल मसालों का क्षेत्रफल 7.56 लाख हेक्टयर तथा उत्पादन 42.57 लाख मीटरिक टन रहा है। प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.15** एवं **5.16** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.15
प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
मिर्च सूखी लाल	101436	98538	94415	87839	88675
अदरक	19675	23153	23431	24964	27480
लहसुन	122987	156880	186179	178157	183714
धनिया बीज	248354	275763	279837	279980	292288
कुल मसाले (समस्त मसाले सहित)	**582154**	**711544**	**737972**	**724077**	**755916**

तालिका 5.16
प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

मसाले	2015-16	2016-17 A	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
मिर्च सूखी लाल	3.74	3.04	2.33	2.17	2.09
अदरक	3.13	3.73	3.77	4.14	4.38
लहसुन	11.98	17.80	18.82	18.08	18.69
धनिया बीज	3.50	3.87	3.90	3.78	3.95
कुल मसाले (समस्त मसाले सहित)	**26.87**	**41.20**	**40.79**	**40.76**	**42.57**

5.42 साग-सब्जी : वर्ष 2018-19 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमश: 8.67 लाख हेक्टर एवं 172.81 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2019-20 में अनुमानित साग सब्जी का क्षेत्रफल 9.60 लाख हेक्टर तथा उत्पादन 190.43 लाख मीटरिक टन उत्पादन रहा है। प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः **तालिका 5.17 व 5.18** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.17
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
आलू	134136	159997	136290	145737	149435
शकरकन्द	2513	4432	5188	5298	5814
प्याज	140837	150839	150886	149843	173887
मटर हरी	85822	95205	94988	98809	105209
टमाटर	74231	95395	84526	85412	92954
फूल गोभी	34345	46355	46470	48590	53895
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**756812**	**869589**	**847742**	**867075**	**960389**

तालिका 5.18
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

सब्जी	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
आलू	27.43	34.61	31.45	33.10	34.09
शकरकन्द	0.35	0.63	0.79	0.80	0.89
प्याज	32.40	38.21	37.01	36.83	42.71
मटर हरी	7.17	9.58	9.62	10.19	10.76
टमाटर	18.06	27.23	24.19	25.16	27.24
फूल गोभी	7.16	9.92	10.08	10.99	12.00
कुल सब्जी (समस्त सब्जी सहित)	**137.44**	**172.69**	**168.60**	**172.81**	**190.43**

5.43 फल : वर्ष 2018-19 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 3.61 लाख हेक्टर एवं 75.45 लाख मीटरिक टन रहा तथा वर्ष 2019-20 में फलों का क्षेत्रफल (अनुमानित) 3.87 लाख हेक्टर रहा तथा उत्पादन 79.09 लाख मीटरिक टन रहा है। प्रमुख फलों का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण **तालिका 5.19 एवं 5.20** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.19
प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टर में)

फल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
केला	22637	26970	26375	26541	26636
आम	36026	43609	45519	46719	52894
मौसंबी/संतरा	104914	129559	127538	132915	134567
पपीता	9122	10931	10549	10688	11346
कुल फल (समस्त फलो सहित)	**291411**	**345373**	**347125**	**360648**	**386632**

तालिका 5.20
प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

फल	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 अंतिम अनुमानित	2019-20 अंतिम अनुमानित
केला	15.56	18.74	18.34	18.53	18.48
आम	4.42	5.89	6.55	6.68	7.47
मौसंबी/संतरा	13.20	17.99	22.15	22.61	22.84
पपीता	4.00	4.64	4.22	4.47	4.48
कुल फल (समस्त फलो सहि)	**53.12**	**67.80**	**73.44**	**75.45**	**79.09**

तालिका 5.21
प्रमुख पुष्पों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

पुष्प का नाम	वर्ष 2018-19 अंतिम अनुमानित		वर्ष 2019-20 प्र अंतिम अनुमानित	
	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
गेंदा	18035.94	238109.08	19586.22	251717.35
गुलाब	3420.69	33857.09	3645.50	35634.89
सेवन्ती	1105.82	13949.34	1228.15	15317.62
रजनीगंधा	210.88	2650.17	236.06	2777.46
ग्लेडूल्स	804.77	6903.70	868.12	7418.48
अन्य पुष्प	6255.92	59621.57	7072.23	68286.73
योग	**29834.02**	**355090.95**	**32636.27**	**381152.53**

तालिका 5.22
प्रमुख औषधि का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

औषधि का नाम		वर्ष 2018-19 अंतिम अनुमानित		वर्ष 2019-20 अंतिम अनुमानित	
		क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)	क्षेत्रफल (हे.)	उत्पादन (टन)
अश्वगंधा		3953.97	5492.40	3985.05	5578.42
सफेद मुसली		1475.55	5234.10	1916.54	6045.24
ईसबगोल		15209.20	16663.23	14963.55	16336.61
कोलियस		317.94	1720.20	465.18	2372.11
अन्य औषधियां		15373.94	62583.78	17608.43	68685.78
योग		36330.60	91693.71	38938.75	99018.08
1	**सुगंधित फसल**	**1721.40**	**3190.22**	**1830.37**	**3263.73**
महायोग		**2019686.04**	**29351174.23**	**2176342.42**	**31693011.34**

केन्द्रीय योजनाएं :

5.44 एकीकृत बागवानी विकास मिशन :

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दो गुना करना है । योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। ऑवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है । इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा, पपीता आदि के पुराने बगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यंत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रंबधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।

- वर्ष 2019-20 में वित्तीय आवंटन राशि रूपये 6256.75 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 3542.50 लाख व्यय किये गये तथा वर्ष 2020-21 माह दिसम्बर, 2020 तक वित्तीय आवंटन राशि रूपये 7214.25 लाख के विरूद्ध राशि रूपये 561.54 लाख व्यय किए गए ।

5.45 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना : योजना अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 22321.30 हेक्टेयर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 9952.73 लाख व्यय किया गया तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक 602.20 हेक्टर में ड्रिप/स्प्रिंकलर स्थापित कर वित्तीय आवंटन राशि रूपये 5730.97 व्यय किया गया है।

5.46 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : राष्ट्रीय औषधीय पौध बोर्ड के व्दारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रदेश में औषधीय पौध मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2019-20 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 709.37 हेक्टर औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार कर राशि रूपये 150.58 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में माह दिसम्बर, 2020 में राशि रूपये 300.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है।

कृषि विपणन

कृषकों को समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में **मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड)** एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा नर्मदापुरम एवं चंबल संभाग तथा 259 मंडियां एवं 298 उप मंडियां कार्यरत हैं ।

5.47 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2019-20 में 239.25 लाख टन कुल आवक हुई। वर्ष 2020-21 में अक्टूबर, 2020 तक प्रदेश की मंडियों में 248.24 लाख टन आवक हुई।

5.48 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2020 तक में प्रदेश की मंडियों से रूपये 836.04 करोड़ रूपये की आय प्राप्त हुई थी। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक 756.98 करोड़ की आय प्राप्त हुई।

5.49 कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि: वर्ष 2001 से माह नवम्बर 2020 तक इस निधि अन्तर्गत 637.88 करोड़ रूपये अर्जित किये गये हैं तथा ब्याज मद में राशि रूपये 186.81 करोड़ अर्जित किये गये है। शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं की परियोजनाओं के लिये राशि रूपये 478.21 करोड़ अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये हैं तथा ब्याज मद से राशि रूपये 162.27 करोड़ व्यय की गई है ।

5.50 गौ संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधोसंरचना निधि में जुलाई 2004 को संशोधन किया गया है। वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2020 तक कुल रूपये 342.14 करोड़ अर्जित किये गये हैं तथा मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कुल 252.72 करोड़ रूपये प्रदेश की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं ।

5.51 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : सितम्बर 2008 से लागू की गई है इस योजनांतर्गत वर्तमान में कृषक कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में कृषक की मृत्यु होने पर सहायता राशि रूपये 4.00 लाख, स्थायी अपंगता में राशि रूपये 1.00 लाख, अस्थायी अपंगता में राशि रूपये 50.00 हजार एवं अन्त्येष्टि सहायता राशि रूपये 4.00 हजार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2020 तक 278 हितग्राहियों को राशि रूपये 907.52 लाख की सहायता वितरित की गई है । एवं 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक 240 हितग्राहियों कों राशि रूपये 882.75 लाख वितरित की गई है।

5.52 मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 : कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये लागू की गई। योजना के अंतर्गत प्रसूति सहायता, विवाह, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता दुर्घटना में स्थाई अपंगता एवं मृत्यु की स्थिति,मंडी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना राशि उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2020 तक 194 हितग्राहियों को राशि रूपये 23.18 लाख की सहायता वितरित की गई है ।

5.53 कृषि विपणन पुरस्कार योजना :- मण्डी समितियों द्वारा कृषि उपज विक्रय करने वाले कृषकों के लिये कृषि विपणन पुरूस्कार योजना में बम्पर ड्रा के पुरस्कार में 'क' संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख,ग,घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रूपये 50 हजार मूल्य में कृषि यंत्र तथा 1.00 हजार रूपये से 21.00 हजार रूपये तक के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है ।

5.54 कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना : समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रूपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है ।

5.55 राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना: राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनान्तर्गत नवम्बर, 2020 तक प्रदेश की 80 मंडियों में 21277 अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों द्वारा 36.50 लाख मीटरिक टन कृषि जिंसों का व्यापार संपन्न कराया गया जिसका मूल्य लगभग राशि रूपये 10663.21 करोड़ रूपये है। उक्त अवधि में 30.17 लाख कृषकों का पंजीयन ई-नेम पोर्टल पर किया गया है।

भण्डारण सुविधा

5.56 कृषि उपज के वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की 270 शाखाओं पर 149.33 लाख मीटरिक टन कार्यशील क्षमता हैं। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को भंडारण की सुविधा देना है। सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है ।

विगत दो वर्षो में मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को **तालिका 5.23 एवं 5.24** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.23
भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीटरिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + प्रा + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता का प्रतिशत
2019-20	247	27.53	09.92	72.87	110.37	92.61	84
2020-21 माह अगस्त, 2020 की स्थिति तक	246	35.72	13.34	100.27	149.33	139.98	94

तालिका 5.24
भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2018-19	53983.15	38331.05	15652.10
2019-20 प्रावधिक	60073.57	39368.25	20705.32

- कृषकों द्वारा 200 क्विंटल से अधिक स्कंध जमा करने पर सोयाबीन में 25 प्रतिशत एवं अन्य खाद्यान तथा धान पर 15 प्रतिशत भण्डारण शुल्क में रियायत का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषक जमाकर्त्ताओं को जमा स्कंध की वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा रूपये 137.27 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह अगस्त, 2020 तक राशि रूपये 115.69 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2019-20	73.69 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	53.57 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 5.84 लाख मे.टन केप + 3.67 लाख मे.टन सायलो बैग + 2.25 लाख मे.टन स्टील सायलो + 0.10 लाख मे.टन ककून
	8.15 लाख में.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	07.68 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)
	धान	22.57 लाख में.टन
2020-21	129.35 लाख मे.टन गेहूं की उपार्जित मात्रा	85.86 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम) + 20.57 लाख मे.टन केप + 6.54 लाख मे.टन सायलो बैग + 2.98 लाख मे.टन स्टील सायलो
	8.23 लाख मे.टन दलहन/तिलहन की उपार्जित मात्रा	07.87 लाख मे.टन (कव्हर्ड गोदाम)

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.57 पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है । वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 4.06 करोड़ पशुधन तथा 166.60 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण **तालिका 5.25** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.25

पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05
वर्ष 2019 के अनुसार	4.06	166.60

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2020-21 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय, 1583 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जांच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल एक राज्य स्तरीय, 07 संभागीय स्तरीय एवं 34 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं ।

वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं (मादाओं)की संख्या 132.46 लाख है । राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है । विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2019-20 में 32.32 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 10.71 लाख वत्सोत्पादन हुए । इस प्रकार वर्ष 2019-20 में गत वर्ष की तुलना में 4.16 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में वृद्धि तथा 1.32 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 19.63 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 6.66 लाख वत्सोत्पादन हुए ।

प्रदेश में वर्ष 2019 की पशु संगणना के अनुसार 3.25 लाख भेड़े एवं 110.65 लाख बकरे/बकरियां हैं। वर्ष 2019-20 में 21.97 हजार भेड़ों से 18.62 हजार तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 17.43 भेड़ों से 10.77 हजार मेमने उत्पन्न हुए ।

प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं। इन प्रक्षेत्रों पर **साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा** आदि उन्नत नस्ल के सॉड़ रखे जाते हैं। सुदूर ग्रामीण अंचलों में नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2019-20 में 643 उन्नत नस्ल के गौ-सांड प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 109 गौ-सांड प्रदाय किये गये।

प्रदेश में वर्ष 2018-19 में दुग्ध उत्पादन 15908 हजार मीट्रिक टन, अण्डों का उत्पादन 21432 लाख तथा मांस उत्पादन 97.4 हजार मीट्रिक टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन 17109 हजार मीट्रिक टन, अण्डा का उत्पादन 23794 लाख तथा मांस उत्पादन 106.5 हजार मीट्रिक टन रहा ।

5.58 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.2 में दर्शाया गया है । वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादन में 7.55 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2

दुग्ध उत्पादन

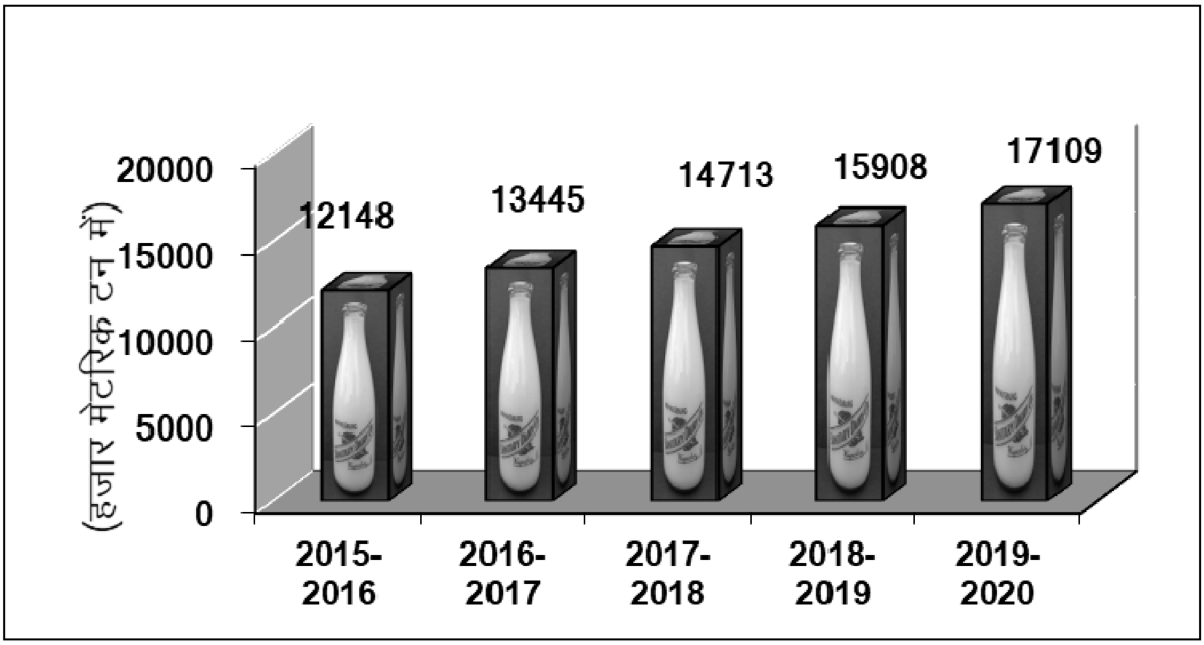

5.59 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में अण्डों के उत्पादन में 11.02 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण **चित्र 5.3** में दर्शाया गया

चित्र 5.3

अंडो का उत्पादन

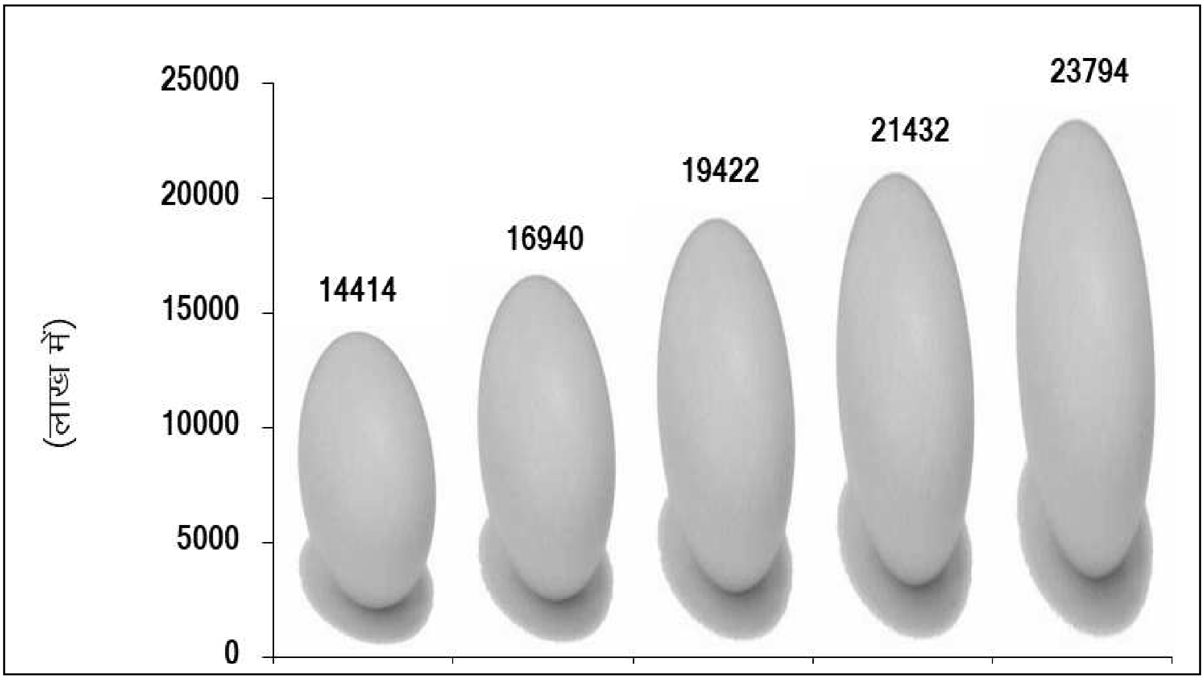

5.60 मांस का उत्पादन : वर्ष 2018-19 की अपेक्षा वर्ष 2019-20 में मांस के उत्पादन में 9.34 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक का वर्षवार **चित्र 5.4** दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4

मांस का उत्पादन

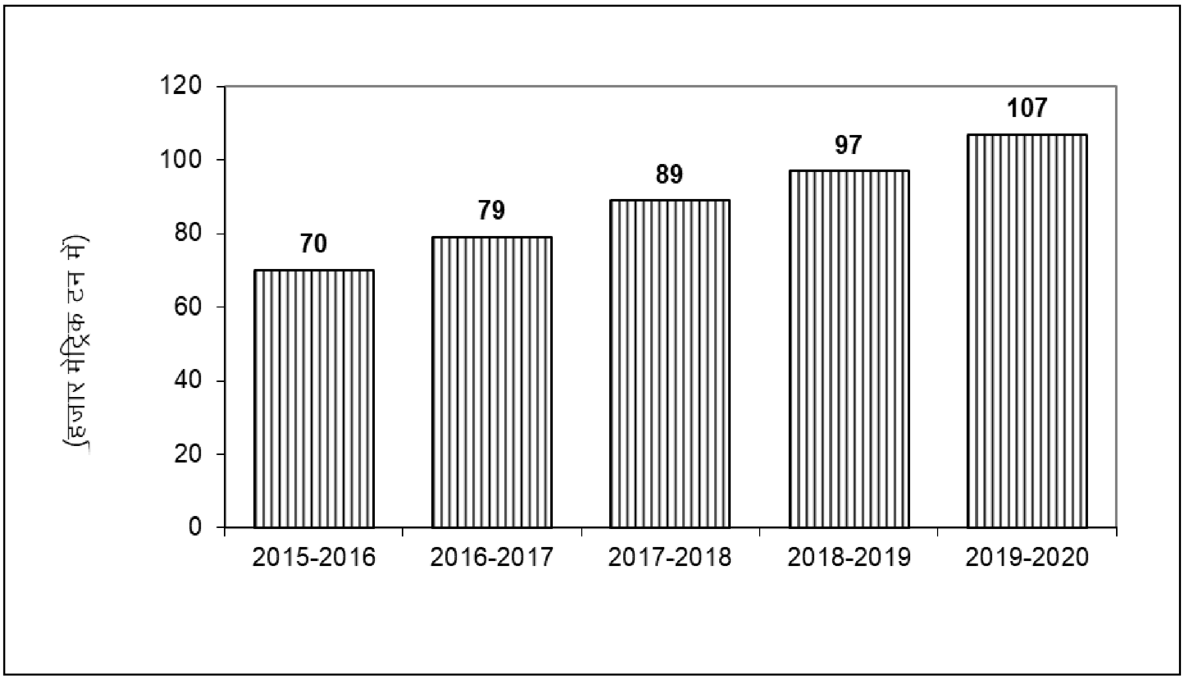

पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.61 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई। निगम का मुख्य उददेश्य पशु तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना है ।

निगम की प्रमुख योजनायें जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती है निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय गौ-भैस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, समुन्नत पाडा योजना, सूकर त्रयी प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनायें जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है।

5.62 तरल नत्रजन संयंत्रों की स्थापना:- RKVY योजनान्तर्गत तीन संयंत्र क्रमश: केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भोपाल, ग्वालियर, एवं सीमन बैंक जबलपुर में तथा बुंदेलखण्ड विशेष पैकेज के तहत सागर में एक तरल नत्रजन संयंत्र की स्थापना की गई है । वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 3 लीटर तरल नत्रजन क्षमता के 1000 नग तथा 55 लीटर क्षमता के 500 नग तरल नत्रजन प्राप्त प्रदाय किये गये है तथा एक तरल नत्रजन संयंत्र से एक दिवस में लगभग 500-600 लीटर के हिसाब से प्रतिवर्ष लगभग 1.8 लाख से 2.15 लाख लीटर तरल नत्रजन का उत्पादन होता है जो वर्ष 2020-21 माह नवम्बर तक 8.74 लाख लीटर तरल नत्रजन का जिलो में प्रदाय किया गया है ।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.63 दुग्ध संकलन एवं वितरण : वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, वर्तमान में एम.पी .स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, की स्थापना की गयी । दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति /क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है । दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण **तालिका 5.26** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.26
दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अक्टूबर)
• गठित दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	9437	9463	9151	10090	10089
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	6612	6737	6498	7811	7032
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	256150	264653	257418	268087	247449
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	889611	1102657	1010888	858527	875588

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अक्टूबर)
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	741032	766195	740271	747751	625856
• पशु आहार विक्रय (मैं.टन)	110541	98021	104310	102674	46439
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	556633	622604	594722	600174	301863
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रूपये में)	954.94	1288.81	1100.30	1294.44	601.74
• विक्रय प्राप्तियां (करोड़ रूपये में)	1718.64	1689.64	1905.17	1884.23	93873.62

5.64 राष्ट्रीय डेयरी विकास परियोजना : भारत शासन द्वारा वित्त पोषित इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध संकलन, शीतलीकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन से संबंधित अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार करना है। योजना का 25 जिलों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजना के लिये भारत शासन से स्वीकृत राशि रूपये 54.20 करोड़ रूपये के विरूद्ध राशि रूपये 53.43 करोड़ प्राप्त हुई है। परियोजना के अंतर्गत कुल 149 बल्क मिल्ककुलर, 51 मिल्क टैंकर, 821 ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट, 139 इलेक्ट्रोनिक मिल्क एडल्ट्रेशन टेस्टिंग किट, 110 मिल्क एनालाइजर तथा 12 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण स्वीकृत है । योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में रूपयें 1320 लाख की परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके अंतर्गत दूध तथा दुग्ध उत्पादो के परीक्षण हेतु एमपीसीडीएफ में रूपये 800 लाख की लागत से राज्य स्तरीय अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

5.65 महिला दुग्ध समितियों की उपलब्धि : वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर की स्थिति में एमपीसीडीएफ की प्रमुख उपलब्धियों में प्रदेश में 10089 पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों में से 7032 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत। वर्ष में दौरान 8.76 लाख किग्रा प्रतिदिन औसत दुग्ध संकलन तथा 6.26 लाख लीटर प्रतिदिन औसत दुग्ध विक्रय किया गया। लॉक डाउन अवधि के दौरान दुग्ध संघों द्वारा कुल 2 करोड़ 54 लाख लीटर दूध अतिरिक्त रूप से क्रय किया गया तथा दुग्ध उत्पादक को रूपयें 94 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान किया गया जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक रूप से संबल मिला। दुग्ध सहकारी समितियों से संबंद्ध 2.68 लाख दुग्ध उत्पादकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा रहे है। वर्तमान में

2.17 लाख दुग्ध उत्पादकों द्वारा आवेदन प्रपत्र भरे जा चुकें है जबकि 2.11 लाख दुग्ध उत्पादकों के आवेदन प्रपत्र दुग्ध संघों द्वारा अग्रेषित किए गए है तथा 1.88 लाख आवेदन विभिन्न बैंकों में प्रस्तुत किए गए है। बैकों द्वारा 19373 नवीन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जा चुके है एवं 5654 किसानों की लिमिट बढ़ाई गई है। सभी दुग्ध संघ वर्ष 2020-21 में लाभ की स्थिति में है। भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर दुग्ध संघ संचित लाभ में है।

मत्स्य पालन से विकास

5.66 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है । मत्स्य पालन व्यवसाय से जहा एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ मिलता है । यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है । मत्स्य पालन से वर्ष 2019-20 में 230 लाख के लक्ष्य के विरूद्व 233.09 लाख मानव दिवस रोजगार निर्मित हुआ। वर्ष 2020-21 में 230 लाख के विरूद्व नवम्बर, 2020 तक 182.74 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है।

वर्ष 2019-20 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.30 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 4.25 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 99 प्रतिशत है ।

5.67 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2019-20 में 14700 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्व 14592.09 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 99.27 प्रतिशत है । वर्ष 2020-21 में 16100 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरूद्व माह नवम्बर, 2020 तक 12881.26 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 80.01 प्रतिशत है ।

5.68 मत्स्योपादन : वर्ष 2019-20 में समस्त स्त्रोतों से 1.90 लाख टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरूद्व 2.01 लाख टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 105.73 प्रतिशत रहा । वर्ष 2020-21 में समस्त स्त्रोतों से 2.41 लाख टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरूद्व माह नवम्बर, 2020 तक 1.16 लाख टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 48.22 प्रतिशत है ।

5.69 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2019-20 में कुल 2462 मत्स्य सहकारी समितियां रहीं जिनमें 91297 सदस्य रहे।, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समीतियों में 49 समीतियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1622 है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों को नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब/जलाशय पट्टे पर दिए जाने को प्रावधान के तहत वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 1039.49 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 19 जलाशय 19 मछुआ सहकारी समितियों एवं 131.47 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 10 जलाशय 10 मछुआ समूहों को आवंटित किये गये है ।

5.70 मछुआ समितियो को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2019-20 में 82.45 लाख रूपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 86.48 लाख लक्ष्य के विरूद्व नवम्बर, 2020 तक 24.68 लाख रूपये का अनुदान 147 समितियों को वितरित किया गया है ।

5.71 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु वर्ष 2019-20 में 4806 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2020 तक विभाग द्वारा 3445 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2020-21 में 4519 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 1815 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया ।

5.72 फिशरमेन केडिट कार्ड :वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे है । वर्ष 2019-20 में 5647 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी कर राशि रूपये 245.35 लाख रूपये व्यय किये गये हैं । वर्ष 2020-21 में 15.00 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 3678 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। योजना के प्रारंभ से माह नवम्बर 2020 तक 82.31 हजार क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

5.73 बचत-सह-राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित

होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को आजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अशंदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

हितग्राही राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अशंदान रू .1500/-, 1500/- एवं हितग्राही अंश 1500/- कुल राशि रूपये 4500/- दो माह में मछुआरों को प्रदाय किया जाता है जिसमें वर्ष 2020-21 में 11.09 हजार हितग्राहियों के खाते में राशि रूपये 332.62 लाख जमा किये गये।

5.74 नील क्रान्ति योजना : भारत शासन द्वारा वर्ष 2016-17 से प्रदेश में नील क्रान्ति योजना लागू की गई है। योजना में तालाब निर्माण, केज कल्चर, मत्स्यबीज उत्पादन हेतु हेचरी निर्माण, मत्स्य आहार निर्माण हेतु फिश फीड नील की स्थापना, मत्स्य विक्रय हेतु कियोस्क स्थापना, मत्स्य विक्रय एवं परिवहन हेतु मोटर साईकल-सह-आईस बाक्स, वेन, आटो रिक्शा एवं ट्रक आदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं महिला हितग्राहियों को 60 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग को 40 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में क्रेन्द्रांश राशि रूपये 1595.95 लाख तथा राज्यांश राशि रूपये 1100.72 लाख एवं हितग्राही अंश राशि रूपये 2535.86 लाख कुल राशि रूपये 5232.53 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकृत हुये हैं तथा भारत सरकार द्वारा रूपये 1346.68 लाख की राशि विमुक्त की गई है। तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक राशि रूपये 1758.57 लाख की राशि आवंटित कर राशि रूपये 1564.15 लाख रूपये व्यय किये जा चुके है।

वानिकी

5.75 वनक्षेत्र एवं भूमिका : प्रदेश का कुल अधिसूचित वनक्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है । राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है । वनो की स्थिति पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर 8339 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वृक्षों से अच्छादित है।

राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों के संरक्षण का मूल उद्देश्य देश की पर्यावरणीय सुरक्षा है। जलवायु परिवर्तन के कारकों के अल्पीकरण, अनुकूलन एवं कार्बन संचयन में वनों की केन्द्रीय भूमिका को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा ग्रीन इंडिया

मिशन का संचालन किया जा रहा है। नीति में वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों पर स्थानीय समुदायों का प्रथम अधिकार तथा वनों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रदेश के वनों के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंध लागू किया । राज्य शासन द्वारा पारित संकल्प वर्ष 2001 के तहत संयुक्त वन प्रबंध को लागू किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा संपादित कराए गए अध्ययनों के अनुसार मध्य भारत के जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे संवदेनशील क्षेत्रों में शामिल है। अनिश्चित वर्षा एवं तापक्रम बढ़ने से कृषि आधारित आजीविकाओं पर दुष्प्रभाव पड़ने की संभावनाए है। तापक्रम एवं जल चक्र को नियमित बनाए रखने के लिए वनों का संरक्षण एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षों के अच्छादन को बढाने की आवश्यकता है।

1. कार्य आयोजना का क्रियान्वयन : राष्ट्रीय एवं राज्य की वन नीति के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण करके, स्थानीय समुदायों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर प्रदेश के वनों का पोषणीय प्रबंधन (Sustainable Manangement) सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वनमंडल की दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती है। कार्य आयोजना का क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जल एवं मृदा के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधित पुनरूत्पादन समूह में 1.23 लाख हेक्टर क्षेत्र में एवं बिगड़े वनों के सुधार हेतु पुर्नस्थापना समूह में 11.54 हजार हेक्टर में उपचार कार्य किया गया। योजना में रूपये 33085.82 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2020 की वर्षा ऋतु में 3.86 करोड़ पौधों का रोपण किया गया।

2. ग्रीन इंडिया मिशन : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाईमेट चेंज के तहत क्रियांवित किये जा रहे 8 मिशन में से एक ग्रीन इंडिया मिशन है। मिशन का प्रमुख उद्देश्य वनों की स्थिति में सुधार लाकर **"कार्बन संचयन"** में अभिवृद्धि करना, जलागम क्षेत्रों

का संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों की वन आधारित आजीविकाओं को सुदृढ करना है। मिशन की राष्ट्रीय कार्यकारी काउंसिल द्वारा मध्यप्रदेश की कार्य योजना वर्ष 2020-21 के लिए 10832 हेक्टर वनक्षेत्र का उपचार करने के लिए राशि रूपए 3549.00 लाख की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है के विरूद्ध माह अगस्त, 2020 तक राशि रूपए 1887.97 लाख व्यय कर 9217 हेक्टर वनक्षेत्र उपचारित किया गया है।

3. बांस मिशन : बांस क्षेत्रक के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित बांसमिशन के अनुरूप राज्य में वर्ष 2013 में बांस मिशन का गठन किया गया। बांस मिशन का प्रमुख लक्ष्य देश में उद्योगों एवं स्थानीय स्तर पर बांस का उपयोग करके जीवनोपयोगी वस्तुएं बनाने वाले कारीगरों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए वन, सामुदायिक भूमियों एवं कृषि क्षेत्रों में बांस के रोपणों को बढावा देना, उत्पादकता में अभिवृद्धि के लिए नवीन तकनीकी एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा बांस के मूल्यवर्धन हेतु अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बांस मिशन की अनुमोदित कार्य योजना हेतु 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2327.63 लाख की कार्य योजना स्वीकृत की गयी है। मिशन के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणीयों की स्थापना, वित्तीय वर्ष में 3520 हेक्टरक्षेत्र में कृषि क्षेत्र में बांस रोपन कराया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति पौधा 120/- रूपये दर से कृषकों को अनुदान दिया जाता है। बांस मिशन के तहत् प्रदेश के 11 वनमंडलों में 83 स्वसहायता समूह के माध्यम से कुल 1020 हेक्टर क्षेत्र वन भूमि पर मनरेगा योजना से बांस वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया है।

5.76 राजस्व प्राप्तियां : वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1500.00 करोड़ लक्ष्य के विरूद्ध राशि रूपये 1036.83 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो निर्धारित लक्ष्य का 69.12 प्रतिशत है। स्थिर भावों (2011-12) पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2019-20 में 2.04 प्रतिशत है। वनोत्पादन का वर्षवार विवरण **तालिका 5.27** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.27
वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2015-16	2.07	1.28	0.36
2016-17	1.83	1.19	0.33
2017-18	1.74	1.24	0.28
2018-19	2.73	1.62	0.34
2019-20	2.09	1.26	0.27

इमारती लकड़ी जलाऊ चटटे एवं बांस के उत्पादन में गत वर्ष से क्रमश : 23.44, 22.22 एवं 20.59 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है इमारती लकड़ी का उत्पादन गत वर्ष के 2.73 लाख घनमीटर से घटकर वर्ष 2019-20 में 2.09 लाख घनमीटर रह गया। इसी प्रकार जलाऊ चट्टे का उत्पादन गत वर्ष में 1.62 लाख नग से घटकर 1.26 लाख नग एवं बांस का उत्पादन गत वर्ष के 0.34 लाख नोशनल टन से घटकर 0.27 लाख नोशनल टन रह गया है।

5.77 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने एवं पारिस्थितिकीय सेवाओं का सतत् संचालन सुनिश्चित करने के लिए जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य से वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान एवं 24 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईगर रिजर्व, 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (अन्य जलजीव) अभ्यारण्य, तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं । प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 16.79 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 14.85 हजार वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वनक्षेत्र है । संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को समाप्त करने एवं संरक्षित क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले परिवारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2019-20 में 4 ग्रामों के 232 परिवारों को बाहर पुर्नस्थापित किया गया है। वर्ष 2020-21 में 14.70 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया हैं।

1 . **वन्य प्राणी गणना:** अखिल भारतीय बाघ का आंकलन 2018 के परिणाम 29 जुलाई 2019 को घोषित बाघों की संख्या प्रदेश में 526 है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में पहली बार 2016 में की गयी प्रदेश व्यापी गिद्ध गणना में 7000 गिद्ध पाये गये। द्वितीय गिद्ध गणना वर्ष 2019 में गिद्धों की संख्या बढ़कर 8300 हो गई । वर्ष 2021 में माह फरवरी में गिद्ध गणना किया जाना प्रस्तावित है।

2. **ईको पर्यटन** : प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं अभ्यारण राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के आगमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुडा, संजय एवं बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व में ऑनलाईन बुकिंग की व्यवस्था की गयी है। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के शुल्क को एक समान करने से 15.86 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ जो पूर्व वर्ष की तुलना में कम है। ईको पर्यटन गतिविधियों को विस्तारित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम 1974 में संशोधन करके नवीन वन्यप्राणी अनुभव एवं मनोरंजन क्षेत्रों को अधिसूचित किया जा रहा है।

5.78 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनो की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य को बढावा देने के लिए 11 अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों रोपणियां संचालित हैं, जिनमें वर्ष 2019 में 8.55 करोड़ पौधे तैयार किए गए।

वर्षा ऋतु में 2020 के माह सितम्बर तक विभिन्न प्रजाति के 342.20 लाख पौधों का निवर्तन रोपनियों से किया गया हैं। वर्ष 2020 में गैर वन क्षेत्रों में पौधों के विक्रय से माह नवम्बर अंत तक राशि रूपये 471.94 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पहल पर स्कूल के विद्यर्थियों को पर्यावरण के प्रति रूचि बढ़ाने एवं वानिकी कार्य में रूचि लाने की दृष्टि से एक अभिनव " स्कूल नर्सरी योजना " प्रारंभ की जा रही है। प्रदेश से 35 विद्यालयों का चयन कर भारत शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।

लोक वानिकी योजना के अंतर्गत वर्ष 2002 से अब तक प्रदेश में निजी वनक्षेत्रों के प्रबंध हेतु लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई। वित्तीय वर्ष 2019 में **"अध्ययन एंव अनुसंधान योजना"** अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 8 एवं ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान के माध्यम से 1 अनुसंधान परियोजना संचालित है। वर्षा ऋतु 2020 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रजाति के 6.23 लाख पौधों का रोपण किया गया हैं ।

5.79 मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज "व्यापार एवं विकास" सहकारी संघ मर्यादित : वनोपज का संग्रहण वनवासियों की उत्तरजिविता (Survival) की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आमतौर पर समाज के अतिनिर्धन एवं भूमिहीन परिवार, विशेषकर महिलायें रोजगार एवं खाद्य सुरक्षा के लिये अकाष्ठीय वनोपज के संग्रहण पर निर्भर रहते है। अतएवं संग्राहकों की आजीविकाओं को सुदृढ़ करने के लिये अकाष्ठीय वनोपजों के प्रबंधन को संगठित करने के लिये प्रदेश में संग्राहकों के त्रिस्तरीय सहकारी संघ का गठन किया गया है। प्राथमिक स्तर पर 1071 प्राथमिक वनोपज सहाकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, कार्यरत् है। भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (ट्रायफेड) द्वारा MFP-MSP योजना लागू किये जाने के पश्चात प्रथमत: 23 लघु वनोपज प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया, जिनमें से मध्यप्रदेश के 23 जिलों में जिला यूनियनों में पाई जाने वाली 12 लघु वनोपज प्रजातियों हेतु प्रोक्योरमेंट प्लान तैयार किया जाकर ट्रायफेड, नई दिल्ली को भेजा गया साथ ही MOU भी हस्ताक्षरित किया गया। चूंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी समय-समय पर लघु वनोपज प्रजातियों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती रही है, अत: यह तय किया गया है कि किसी प्रजाति हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अथवा भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय (ट्रायफेड) द्वारा घोषित समर्थन मूल्य में से अधिक समर्थन मूल्य को मान्य किया जाकर संग्रहण की कार्यवाही की जायेगी। केवल तेन्दूपत्ता एवं कुल्लू गोंद का संग्रहण एवं व्यापार सहकारी संघ द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश तेंदुपत्ता (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1964 के माध्यम से तेंदूपत्ते के व्यापार का विनियम करने एवं व्यापार में राज्य का एकाधिकार स्थापित करने के प्रावधान किये गये है। व्यापार से हुए लाभ की अधिकतम राशि संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण एवं निवर्तन की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 5.28
तेंदूपत्ता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)
राशि करोड़ रूपये में

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रूपये./मा.बो.)	कुल संग्रहित मात्रा (लाख./मा.बो.)	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रित मात्रा (लाख./मा.बो.)	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
1	2	3	4	5	6
2018	2000	19.14	382.80	18.68	900.76
2019	2500	24.08	602.10	19.60	815.32
2020	2500	15.88	397.15	13.99	560.57

5.80 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

निगम का गठन : राष्ट्रीय कृषि आयोग की अतंरिम रिपोर्ट (प्रोडेक्शन फारेस्ट्री मैन मेड फारेस्टम 1972) के आधार पर, निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को की गई थी। 31 अक्टूबर, 2006 से निगम की अधिकृत अंश पूंजी 40.00 करोड़ तथा प्रदत्त अंश पूंजी रूपये 39.32 है जिसमें से केन्द्र शासन का अंशदान रूपये 1.39 करोड़ एवं मध्यप्रदेश शासन का अंशदान रूपये 37.93 करोड़ है। स्थापना वर्ष से ही निगम लाभ में चल रहा है। वर्ष 2018-19 तक संचित लाभ रूपये 487.93 करोड़ है। वर्ष 2019-20 के प्रारूप लेखों का सांविधिक अंकेक्षण प्रगति पर वर्ष 2019-20 के प्रारूप लेखों के अनुसार संचित लाभ रूपये 503.25 करोड़ हैं। वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त राजस्व का विवरण **निम्नतालिका क्रमांक 5.29 में दिया गया है-**

तालिका 5.29
काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाऊ चटटे (नग)	बांस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रू. में)
2015-16	103651	98681	3429	238.94
2016-17	105193	95937	3139	225.80
2017-18	98353	103422	2250	246.32
2018-19	89340	88518	2360	240.95
2019-20*	84186	64358	2977	214.85

टीप- * वर्ष 2019-20 के आंकड़े सांविधिक अंकेक्षण के पूर्व के हैं ।

अध्याय 06

उद्योग

उद्योग

विनिर्माण

नागरिकों के उपभोग में उद्योंगों से उत्पादित वस्तुओं का अनुपात लगातार बढ़ रहा है अत: अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है । इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण तथा कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है। औद्योगीकरण से प्रति व्यक्ति आय में बढत के साथ कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है। नागरिकों की आर्थिक प्रगति के लिये वर्तमान परिप्रेक्ष में औद्योगीकरण आवश्यक है।

6.1 राज्य के सकल मूल्यवर्धन में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान में उतार चढ़ाव परिलक्षित हुये है। वर्ष 2011-12 के स्थिर भावों पर 27.09 प्रतिशत की तुलना में घटकर वर्ष 2018-19 में 25.73 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 25.68 प्रतिशत आंका गया है। विनिर्माण-क्षेत्र में वर्ष 2019-20 (त्वरित) के दौरान 5.69 प्रतिशत वृद्धि रही है ।

6.2 पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग: वर्ष 2018-19 में स्थापित 2.98 लाख उद्योगों की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2.88 लाख उद्योग पंजीकृत हुये जो 03.35 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। जिसका विवरण **चित्र 6.1** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.1
पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

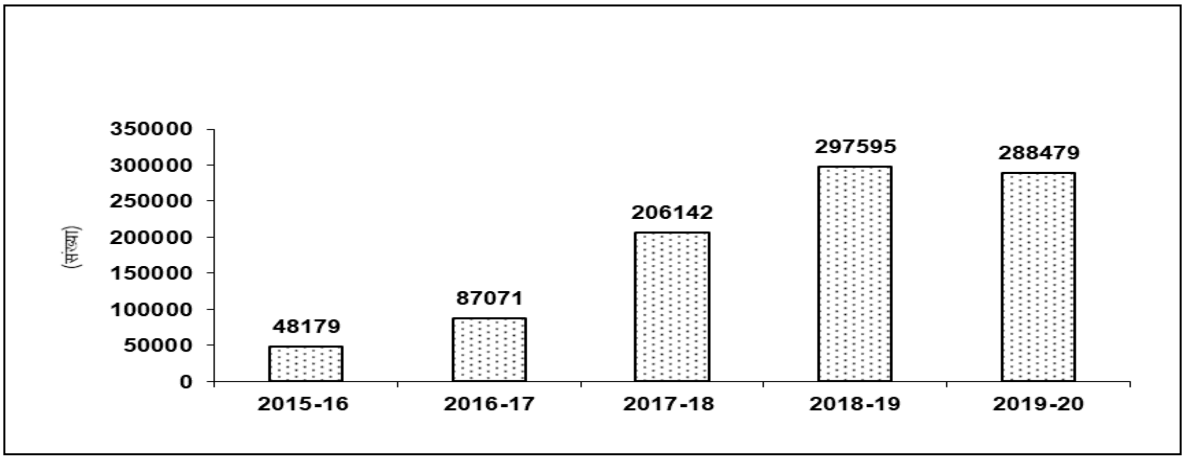

स्त्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
नोटः- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमेरेण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों मे पूंजी निवेश : वर्ष 2019-20 में 19242 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया जो वर्ष 2018-19 में हुए पूंजी निवेश से 0.22 प्रतिशत कम है । वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक किये गये पूंजी निवेश का विवरण **चित्र 6.2** में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.2
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड़ रूपये

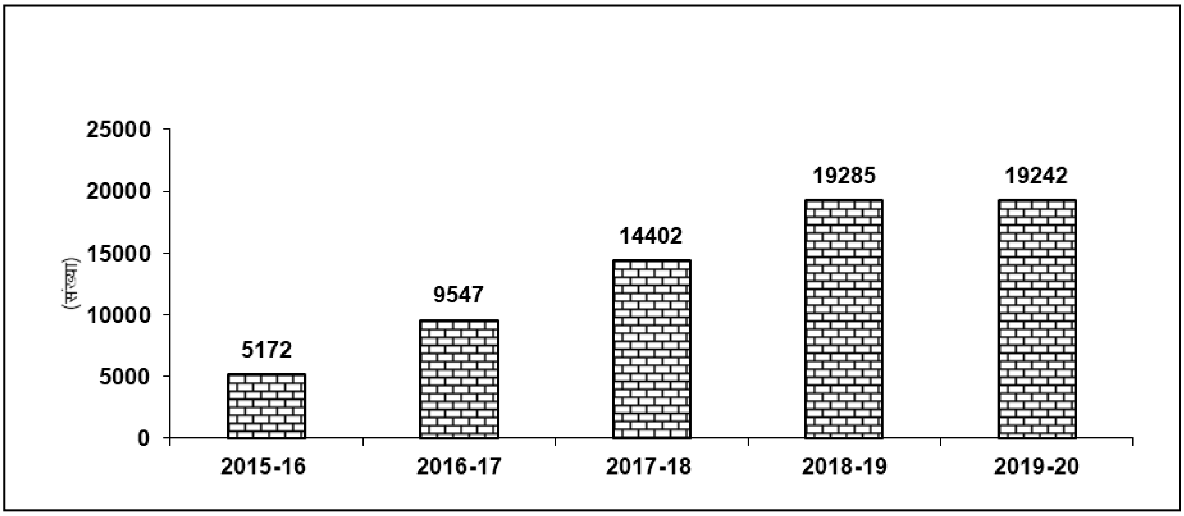

स्त्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
नोटः- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमेरेण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2018-19 में निर्मित रोजगार की संख्या 10.30 लाख रही जो वर्ष 2019-20 में घटकर 9.94 लाख हुई है। अर्थात निर्मित रोजगार में 3.52 प्रतिशत की कमी हुई है । वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निर्मित रोजगार का विवरण **चित्र 6.3** में दर्शाया गया है।

चित्र 6.3

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार

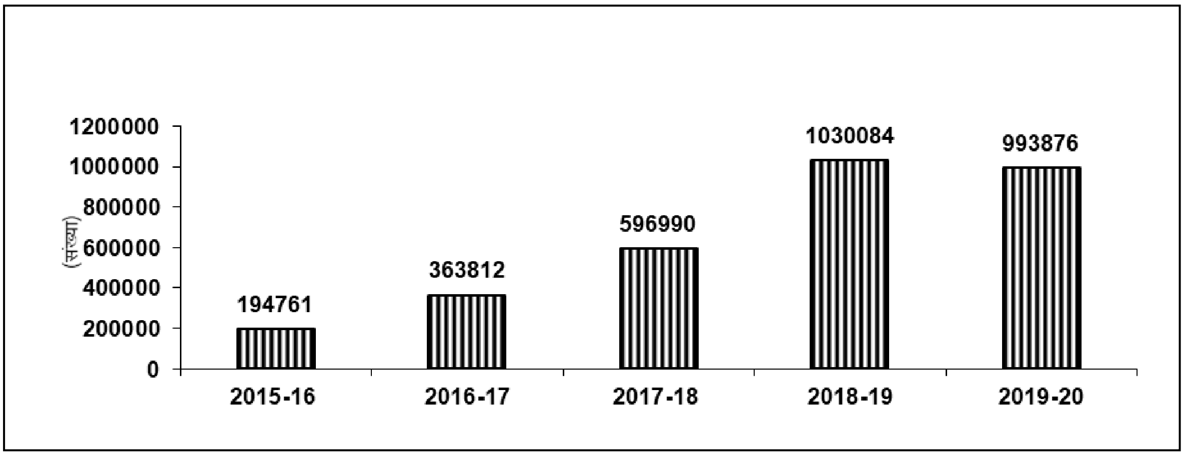

स्त्रोत - उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

नोटः- 1 जुलाई 2020 से उद्योग आधार मेमेरण्डम फाईल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

6.5 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 129.12 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर, 2020 अंत तक राशि रुपये 59.08 करोड़ की वित्तीय सहायता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को प्रदान की गई ।

अधोसंरचना विकास

6.6 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर, 2020 तक विकास कार्यों हेतु राशि रूपये 5536.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं हेतु प्रदान की गई ।

हाथकरघा उद्योग

6.7 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन की विरासत कों बनाये रखते हुये प्रदेश के बुनकरों को रोजगार भी उपलब्ध कराता है। वर्ष 2019-20 में माह नवम्बर, 2020 तक कार्वी संस्था की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 13.66 हजार हाथकरघे कार्यशील रहे है। कार्यशील करघों से राशि रुपये 833.00 लाख रुपये के वस्त्रों का उत्पादन हुआ इससे लगभग 40.00 हजार बुनकर/कारीगरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

6.8 मुख्यमंत्री स्व-रोजगार / आर्थिक कल्याण योजना : प्रदेश में वर्ष 2019-20 में नवीन मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना में माह नवम्बर, 2020 तक लगभग 1133 शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

वर्ष 2020-21 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम,उदयमी,स्व-सहायता समूह, अशासकीय संस्थाओं को सहयोग,युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण,प्रमोशन अभिलेखीकरण, कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना,हाथकरघा उद्योग विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अतंर्गत माह नवम्बर, 2020 तक कुल राशि रुपये 188.89 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई इससे कुल 303 हितग्राही लाभान्वित हुए ।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.9 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रूपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रूपये है । वर्ष 2013 से निगम का नाम **"संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है। निगम के दायित्व में परम्परागत शिल्पियों व बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित शिल्पियों व बुनकरों को अनुदान पर उन्नत उपकरण उपलब्ध कराना सम्मिलित है। निगम द्वारा शिल्पियों को बाजार की मांग से अवगत कराने एवं युवा वर्ग का रुझान बढ़ाने के लिये रुपांकन व तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

विभाग में संचालित अनेक योजनाओं जैसे एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना, ग्रामोद्योगों के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण योजना, स्पेशल प्रोजेक्ट योजना, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को सहयोग के लिये योजना, अनुसंधान एवं विकास योजना, सूचना-प्रौद्योगिकी योजना एवं शिल्पी कल्याण योजना आदि योजनाओं को समाहित कर दिया गया है ।

6.10 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों को विपणन में सहायता देने के लिये निगम द्वारा 24 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे है, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर स्थित है। एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है। वर्ष 2018-19 में एम्पोरियमों के माध्यम से रुपये 2321.36 करोड़ के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई । वर्ष 2019-20 में एम्पोरियमों द्वारा रुपये 2651.46 लाख के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री हुई है। निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये वर्ष 2019-20 में 75 प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिनमें राशि रुपये 1223.71 लाख का विक्रय हुआ एवं एम्पोरियमों से रुपये 1427.75 लाख का विक्रय किया गया ।

6.11 शासकीय प्रदाय : निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में 809.00 लाख रूपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये। वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1276.00 लाख प्रदाय किये गये। जिसमें 677 करघे संलिप्त रहे तथा 1.13 लाख रोजगार दिवस सृजन किये गये हैं ।

शिल्पियों की सहायता के लिये निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों एवं सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 29 विकास सह संग्रहण केन्द्र, सामान्य सुविधा केन्द्र, विपणन सह विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

निगम के अंतर्गत चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1650.77 लाख आवंटन के विरुद्ध 13.29 हजार शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध माह मार्च, 2020 तक राशि रुपये 1628.50 लाख व्यय कर 14.82 हजार शिल्पियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ।

रेशम उद्योग

6.12 कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार के साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपना जीविकोपार्जन सुचारू रूप से कर सकें। साथ ही महिलाओं को रोजगार का एक वैकल्पिक साधन उपलब्ध करना उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना है। रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियॉ संचालित हैं ।

वर्ष 2019-20 में 7.50 लाख किलो मलबरी कोया 131.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 8.77 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरूद्ध माह मार्च, 2020 तक 4.97 लाख किलो मलबरी कोया एवं 63.10 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ, जिससे 5381 हितग्राही लाभान्वित हुये। वर्ष 2019-20 में 417 हेक्टर क्षेत्र में मलवरी पौधरोपण के लक्ष्य के विरुद्ध 355 हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 62.00 हेक्टर क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध माह मार्च, 2020 तक 49 हेक्टर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 5.26 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया गया ।

वर्ष 2020-21 में 8.80 लाख किलो मलबरी कोया तथा 144.07 लाख नग टसर कोया का उत्पादन एवं 7700 हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 1.84 लाख किलो मलबरी कोया एवं 25.15 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ जिससे 3953 हितग्राहियों को लाभान्वित हुये ।

रेशम संचालनालय के अन्तर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 के लक्ष्य एवं उपलब्धि को निम्न **तालिका 6.1** में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.1
रेशम उत्पादन

विवरण	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी	वर्ष 2020-21 (माह नवम्बर 2020 तक)
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	693300	497200	(-)28.29	184000
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	191.26	63.10	(-)67.00	25.15

स्त्रोत - रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश

रेशम संचालनालय द्वारा कृषको के चयन एवं पंजीयन प्रक्रिया को परदर्शी बनाने एवं लेखांकन तथा पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने हेतु ई-रेशम पोर्टल तैयार किया गया है। वर्तमान स्थिति में वर्ष 2018-19 तक 3453 हितग्राही पंजीकृत हुये तथा वर्ष 2019-20 में 1371 नवीन पंजीकृत हुये जिसमें से 496 हितग्राहियों की भूमि पर पौधरोपण कराकर सहायता राशि रूपये 143.86 लाख का भुगतान किया गया है तथा वर्ष 2020-21 में 130.00 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ।

6.13 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 20 हजार तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इकाईयों की स्थापना हेतु 546 इकाईयों को राशि रुपये 1905.17 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 5715 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक 431 इकाईयों में 1534.68 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 4604 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

6.14 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : योजना के अंतर्गत विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में न्यूनतम 20 हजार रुपये, अधिकतम 10 लाख रुपये की लागत से स्वयं का उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ दिया जाता है। योजना के अतंर्गत परियोजना लागत पर बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/ महिला/ अल्प संख्यक/ नि:शक्तजन हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राशि की पात्रता है तथा परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय है। वर्ष 2019-20 में 1071 इकाईयों में 1349.17 लाख रूपये अनुदान वितरित किया गया ।

6.15 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना में विनिर्माण एवं सेवा के क्षेत्र में स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश का मूल निवासी, गरीबी रेखा की सूची में शामिल आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य के हितग्राहियों को परियोजना लागत अधिकतम रुपये 50.00 हजार जिसमें 50 प्रतिशत राशि अधिकतम रुपये 15.00 हजार अनुदान का प्रावधान है । वर्ष 2019-20 में 1589 इकाइयों में रुपये 233.73 लाख अनुदान का वितरण किया गया है ।

6.16 खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 14 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2019-20 में 762.55 लाख रूपये का उत्पादन किया गया। इससें 606 कताई कर्ताओं/बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक रुपये 664.22 लाख मूल्य का उत्पादन किया गया एवं 622 कताई बुनकरों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

6.17 खादी एवं ग्रामोद्योग विक्रय : प्रदेश में संचालित कुल 14 विक्रय एम्पोरियमों द्वारा वर्ष 2019-20 में राशि रुपये 1135.46 लाख की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का विक्रय किया गया । वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक रुपये 637.59 लाख के उत्पादों का विक्रय किया गया है ।

पर्यटन

6.18 पर्यटन : संरक्षित वन क्षेत्र एवं वन्य प्राणी, ऐतिहासिक भवन, मंदिर एवं धार्मिक महत्व के स्थल मध्यप्रदेश में पर्यटन के आर्कषण के प्रमुख केन्द्र हैं। पर्यटन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आजीविकाओं को सुदृढ़ करने की अपार संभावनाओं को देखते हुये राज्य शासन इस क्षेत्र को अत्यंत महत्व प्रदान करता है। प्रदेश में पर्यटन के विस्तार, निजी, निवेशकों को आकर्षित करने, पर्यटन नीति के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में समग्र पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन के कार्य के संपादन हेतु मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन फरवरी, 2017 को किया गया।

6.19 प्रदेश में समग्र पर्यटन हेतु नीतियों का निर्धारण:- प्रदेश के पर्यटन विकास व पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से पर्यटन नीति 2016 जारी की गई जिसे वर्ष 2019 में संशोधित करके सी-प्लेन,एमफीबियन पर्यटक वाहन,होटल,रिसोर्ट,कन्वेंशन सेंटर,हेरिटेज होटल,हाट एयर बैलूनिंग,वाईल्ड लाईफ रिसोर्ट,वृहद मेगा अकादमी,हेरिटेज कैफेटेरिया मोटेल आदि को पर्यटन परियोजनाओं की सूची में जोड़ा गया एवं पूंजीगत अनुदान पात्रता प्रदान की गई ।

1. **जल पर्यटन :-** प्रदेश के जल क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों हेतु निजी क्षेत्र को लायसेंस देने की नीति के तहत प्रदेश के अधिसूचित जल क्षेत्रों में निजी निवेशकों को मोटर बोट, हाउस बोट, क्रूज, पैरासेलिंग, स्पीड बोट एवं वॉटर स्पोटर्स हेतु लायसेंस जारी किये जा रहे हैं । इस हेतु 22 जल क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। जिसके विरूद्ध 12 जलक्रीडा गतिविधियों के संचालन हेतु निवेशकों लाइसेस जारी किया गया है।

2. **एडवेंचर एवं कैम्पिंग नीति :-** निजी निवेशकों को प्रदेश के अधिसूचित वन क्षेत्रों की अतिरिक्त भूमियों पर कैम्पिंग एवं साहसिक पर्यटन से संबधित गतिविधियों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराने की नीति लागू की गई है जिसके तहत निजी निवेशक पर्यटन विभाग की भूमि पर कैंम्पिग,ट्रैकिंग, पैरा-सेलिंग एंगलिंग,एलिफैंट सवारी,पैराग्लाइडिंग,हॉट एयर बैलूनिंग,सायकिल सफारी, रॉक-क्लाइम्बिंग आदि विभिन्न गतिविधियों की स्थापना एवं संचालन हेतु 5-15 वर्ष की अवधि के लिये लायसेंस पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी । जिससे स्थानीय पर्यटन से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। जिसकें तहत 05 भूमियों को लायसेंस जारी कर संचालन को प्रक्रिया चालू है।

6.20 मध्यप्रदेश होम स्टे स्थापना (पंजीयन एवं नियमन) योजना 2010 (संशोधित 2018):- पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति, परम्पराओं एवं भोजन के अनुभव सहित स्वच्छ वातावरण में ठहरने की सुविधा में जनभागीदारी को बढ़ावा देने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये होम-स्टे इकाइयों को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सिल्वर, गोल्ड एवं डायमंड श्रेणी में विभाजित कर के राज्य शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने का प्रावधान किया गया है। जिसके माध्यम से देशी-विदेशी पर्यटकों को किफायती दरों पर आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदाय की जाती है साथ ही फार्म स्टे स्थापना तथा ग्राम स्टे स्थापना के माध्यम से भी सुविधा प्रदान की जाती है।

6.21 निजी निवेशकों द्वारा पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना एवं निजी निवेशकों को भूमियों का निवर्तन :- 11 स्थलों पर 121.96 हेक्टर भूमि चिन्हांकित कर एवं 37 स्थलों की 527.96 हेक्टर भूमि हेतु प्रस्ताव संबंधित जिला कलेक्टर को भेजा गया हैं तथा 10 स्थलों की 51.15 हेक्टर भूमियों को पर्यटन विभाग के पक्ष में आंवटित / हस्तांतरित कराई गई है। 05 भूमियां इस नीति के अनुसार निजी निवेशकों को आवंटित की गई जिनमें तारा-पन्ना, किरहू पिपरिया, मण्डला, खजुराहो, छतरपुर, जूना कढ़ीवाडा, अलीराजपुर, सावंतनगर, निवाडी सम्मिलित है।

6.22 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को हेरिटेज परिसम्पत्तियों का बैंक तैयार करना व निवर्तन :- निजी क्षेत्र के माध्यम से हेरिटेज होटल के रूप में विकास कर संचालन हेतु हेरिटेज परिसम्पत्तियों का बैंक बनाया गया हैं, जिसमें मध्यप्रदेश की चयनित हेरिटेज परिसम्पत्तियों को निजी क्षेत्र के माध्यम से हेरिटेज होटल के रूप में विकास कर संचालन हेतु हेरिटेज परिसम्पत्तियों (बेनजीर पैलेस भोपाल, माधवगढ़ फोर्ट सतना, रायल भवन जबलपुर, बल्देवगढ़ टीकमगढ़, विजय राघवगढ़ कटनी, क्योटी फोर्ट रीवा, सिंहपुर पैलेस अशोकनगर को बैंक बनाया गया हैं । जिसकी निविदा सूचना जारी की गई है।

6.23 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी निवेशकों को मार्ग सुविधा केन्द्रों (WSA) का निवर्तन :- मार्ग सुविधा केन्द्र नीति 2016 संशोधित 2019 के तहत इस वर्ष के दौरान ब्राउन फील्ड की 7 मार्ग सुविधा केन्द्र में से 6 मार्ग सूविधा केन्द्र कों निजी निवेशकों को आवंटित कर लीज अनुबंध संचालित किये गये 03 मार्ग सुविधा केन्द्र निजी निवेशकों के साथ अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन हैं ।

6.24 निजी निवेश से स्थापित पर्यटन परियोजनाओं को पूंजीगत अनुदान का प्रदाय :- पर्यटन नीति अंतर्गत प्रदेश में निजी निवेशकों द्वारा 10 पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना हेतु वर्ष के दौरान पूॅजीगत अनुदान के रूप में राशि रूपये 12.90 करोड़ का भुगतान किया गया। उक्त इकाईयों की स्थापना से प्रदेश में राशि रूपये 101.41 करोड़ का निवेश हुआ तथा 350 नये कमरों का निर्माण । जिससे 2000 हजार लोगों को रोजगार मिला

6.25 जिला पर्यटन संवर्धन परिषद का गठन :- जिलों में वीकेंड एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सवों के आयोजन तथा निजी निवेश से स्थानीय स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास एवं संचालन के लिये जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जिलों में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद् गठित की गई हैं ।

इन्दौर में रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होने वाले गेर उत्सव को UNSECO इंटेन्जिविल हेरिटेज में शामिल करने हेतु कार्यवाही की गई।

पन्ना में हीरा अनुभूति पर्यटन के संबंध में जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद द्वारा व्यय योजना बनाई गई।

6.26 कौशल एवं प्रशिक्षण :- पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से स्थानीय समुदाय एवं विभिन्न हितधारकों जैसे-ट्रिस्ट पुलिस, गाईड, टेक्सी ड्रायवर, आदि का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में जोडने के लिये कौशल उन्नयन कर रोजगार एवं स्वरोगार से जोडने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में विभिन्न क्षेत्रों में 1000 लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदाय किये जायेगें।

6.27 प्रदेश में पर्यटक आगमन संख्या :- वर्ष जनवरी 2019 से माह दिसम्बर, 2019 तक 8.87 करोड़ भारतीय एवं 3.28 लाख विदेशी, इस प्रकार कुल 8.90 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आए ।

6.28 ग्रामीण पर्यटन :- मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों या पर्यटन महत्व के स्थलों के समीप स्थानीय/ग्रामीण समुदाय द्वारा संचालित सांस्कृतिक अनुभव आधारित ग्रामीण पर्यटन का प्रारंभ किया जा रहा है।पांच वर्ष की कार्ययोजना अन्तर्गत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से 300 गांवों में कार्य किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के प्रमुख 06 सांस्कृतिक क्षेत्रों में ग्राम, हेरिटेज ग्राम में विकसित होंगे।स्थानीय गांवों/स्थलों पर स्थानीय व्यंजन, सांस्कृतिक अनुभव स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी। स्थानीय हस्तकला, हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाकर 20 गांवों में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्रो को निर्माण किया जावेगा। जहां सतत् क्षमतावर्धन व उत्पादन का कार्य होगा।

6.29 महिला हेतु सुरक्षित स्थल :- इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के पर्यटन स्थलों को "महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल" के रूप में विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इस हेतु एक परियोजना को महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार के द्वारा "निर्भया" योजनांतर्गत स्वीकृत परियोजना की लागत कुल राशि रूपये 2798.67 लाख है, जिसमें केन्द्रांश (60%) राशि रूपये 1679.20 लाख एवं राज्यांश (40%) राशि रूपये 1119.47 लाख है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित पर्यटन स्थलों में समुदाय के सहयोग से महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल हेतु गतिविधियों का संचालन किया जायेगा।

खनिज

6.30 राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । खनिज संसाधनो में प्रचुरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश देश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है। हीरा एवं मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में प्रथम, चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला के उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 1798.30 करोड़ रूपये (अंनतिम) हुआ जो गत वित्तीय वर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ रूपये से 27.4 प्रतिशत कम है।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण **तालिका 6.2** में दर्शाया गया है

तालिका 6.2
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2017-18	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2018-19 (प्रावधिक)	गतवर्ष से कमी/वृद्धि (प्रतिशत)	2019-20 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	1121.27	(+) 6.77	1186.61	(+) 5.83	1283.97	(+) 8.20
बाक्साइट	5.94	(-) 12.18	7.23	(+) 21.72	6.29	(-) 13
ताम्र अयस्क	23.39	(-) 3.14	25.42	(+) 8.68	25.44	(+) 0.08
आयरन ऑर	27.43	(+) 54.79	27.92	(+) 1.79	25.07	(-) 10.21
मैगनीज अयस्क	8.37	(+) 28.77	9.44	(+) 12.80	9.80	(+) 3.81
रॉक फास्फेट	1.13	(-) 23.95	0.99	(-) 12.98	1.00	(+) 1.01
हीरा (कैरेट)	39699.00	(+) 8.79	38437	(-) 3.18	28815.75	(-) 25.03
चूना पत्थर	430.60	(+) 19.06	497.62	(+) 15.56	416.99	(-) 16.20

(नोट - 2019-20 आंकड़े आई.बी.एम. से अप्राप्त होने के कारण जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर)

प्रदेश में वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, रॉक फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि हुई है क्रमशः 8.20, 0.08, 3.81, 1.01, प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई किन्तु इसी अवधि में बाक्साईड हीरा आयरन ऑर एवं चूना पत्थर के उत्पादन में कमी परिलक्षित रही एवं उत्पादन गत वर्ष से क्रमशः 13.0, 25.03 10.21 एवं 16.20 प्रतिशत कम रहा गया ।

बाक्स 6.1
खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

प्रदेश में म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 प्रभावशील है। इस नियम की अनुसूची-एक और अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट खनिज (रेत एवं बजरी) को छोडकर शेष खनिजों की खदानें शासकीय व निजी भूमि पर खनिजपट्टा/उत्खननपट्टे पर स्वीकृत की जाती है।

म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 में 31 मुख्य खनिजों को भारत सरकार द्वारा गौण खनिज घोषित किए जाने से इन 31 खनिजों को अनुसूची-पांच के रूप में दिनांक 13.02.2018 से अधिसूचना प्रकाशित कर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में शामिल किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 12.01.2015 से पूर्व इन खनिजों की जो पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों स्वीकृत थी, उन सुरक्षित प्रकरणों में राज्य शासन द्वारा अनेकों प्रकरण में 30 वर्ष की अवधि के लिए उत्खननपट्टे स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। अनुसूची-पांच के 31 गौण खनिजों के विषय में खदानों के आवंटन में गति लाने,प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं स्वीकृत खदानों में स्थानीय मजदूरी को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उददेश्य से म.प्र.गौण खनिज नियम1996 में संशोधन की कार्यवाही प्रचलन में है। प्रस्तावित संशोधन को मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत लागू किया जा सकेगा। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में अनुसूची-एक और अनुसूची-दो एवं अनुसूची पांच में देय रायल्टी के अलावा देय रायल्टी की 10 प्रतिशत समतुल्य राशि पर जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में लिए जाने का प्रस्ताव है। दिनांक 30.08.2019 से मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 लागू किए गए है जिसके फलस्वरूप प्रदेश के रेत उपलब्धता वाले जिलों में खदानों को समूह के रूप में ई-निविदा से ठेके से आवंटन करने की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड द्वारा की गई है जिसके फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में रेत

वित्तीय वर्ष 2019-20 में खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 4982.24 करोड़ रूपये रखा गया था, जिसके विरूद्ध राजकोष में 5039.66 करोड़ रूपये की राजस्व प्राप्तियां हुई । इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में राजस्व लक्ष्य 4250 करोड़ रूपये रखा गया है जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 2724.11 करोड़ रूपये प्राप्त हुये ।

6.31 खनिज अन्वेषण : खनिज भण्डार का आंकलन प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयोगी होता है। खनिज भण्डार के सर्वेक्षण / पूर्वेक्षण उपरांत खनिज ब्लॉकों के चिन्हांकन एवं नीलामी द्वारा निवर्तन उपरांत खनिज राजस्व अर्जित किया जाता है ।

वर्ष 2019-20 में क्षेत्रीय सत्र अन्वेषण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिला सतना में चूनापत्थर के 04 क्षेत्र, जिला धार में 01 क्षेत्र, जिला दमोह में 01 क्षेत्र, तथा जिला डिन्डोरी में बाक्साइट खनिज हेतु 01 क्षेत्र, जिला डिन्डोरी में लेटेराइट हेतु 01 क्षेत्र का पूर्वेक्षण कार्य किया गया, जो कि वर्तमान में पूर्वेक्षण कार्य निरन्तर जारी है। उपरोक्त क्षेत्रों में पूर्वेक्षण/अन्वेषण कार्य पूर्ण होने के पश्चात ही खनिज भण्डारों का ऑकलन किया जायेगा । रॉकफास्फेट खनिज के लिये जी.एस.आई. द्वारा कार्य किया गया है ।

6.32 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक प्रदेश के कुछ जिलों में चूनापत्थर, बॉक्साइड तथा लेटेराइट के खनिज भण्डारों का पूर्वेक्षण कार्य किया जाकर भण्डारों का आंकलन किया गया है । छतरपुर जिले में रॉकफास्फेट खनिज भण्डार का आंकलन जी.एस.आई. द्वारा किया गया है । राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण **तालिका 6.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.3

नवीन सर्वेक्षित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2015-16	1	चूना पत्थर	धार	20.74
2016-17	1	चूना पत्थर	धार	41.22
2016-17	2	चूना पत्थर	रीवा	4.00
	3	चूना पत्थर	सतना	22.00
	4	बाक्साइड	डिन्डोरी	0.18
	5	लेटेराईट	डिन्डोरी	0.45
2017-18	1	चूनापत्थर	धार	15.28
	2	चूनापत्थर	रीवा	05.00
	3	चूना पत्थर	सतना	22.00
	4	बाक्साइड	डिन्डोरी	0.18
	5	लेटेराईट	डिन्डोरी	0.45
2018-19	1	लेटेराईट	डिन्डोरी	0.24

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2019-20	1	चूना पत्थर	रीवा	42.48
	2	चूना पत्थर	सतना	166.05
	3	चूना पत्थर	सतना	14.27
	4	चूना पत्थर	सतना	90.29
	5	लेटेराईट	डिन्डोरी	1.18
	6	बाक्साइड	डिन्डोरी	4.95
	7	रॉक फॉस्फेट	छतरपुर	3.60

6.33 प्रदेश के प्रमुख खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं । खनिज भण्डारों का वर्ष 2015 एवं 2018 की स्थिति का विवरण **तालिका 6.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4

प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2015 - 2017	
	इकाई	**कुल भण्डार**
हीरा	मिलियन कैरेट	28.70
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	28.55
डोलोमाइट	मिलियन टन	2311.39
मेंगनीज अयस्क	मिलियन टन	57.71
कोयला	मिलियन टन	27673.00
चूना पत्थर	मिलियन टन	9424.00
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	58.05
डायस्पोर	मिलियन टन	7.56
कॉपर	मिलियन टन	283(ऑर)
बाक्साइड	मिलियन टन	17.46

स्त्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक ।

अध्याय 07

अधोसंरचना

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास अर्थ व्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक तीनों क्षेत्रों की गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है । विगत पांच वर्षो में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है । प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है । उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राजमार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है । त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

ऊर्जा

नब्बे के दशक में विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढ़ता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी गिरावट आई। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वों, लेनदारी एवं देनदारी का बटवारा होने के उपरांत प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में भी वृद्धि हुई । प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई ।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद्ध स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा मध्यप्रदेश. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है । विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया । पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनो वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी

पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यो को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया । म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पावर मेनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012 को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है । उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की सरंचना **बॉक्स 7.1** में दर्शाया गया है ।

बॉक्स 7.1

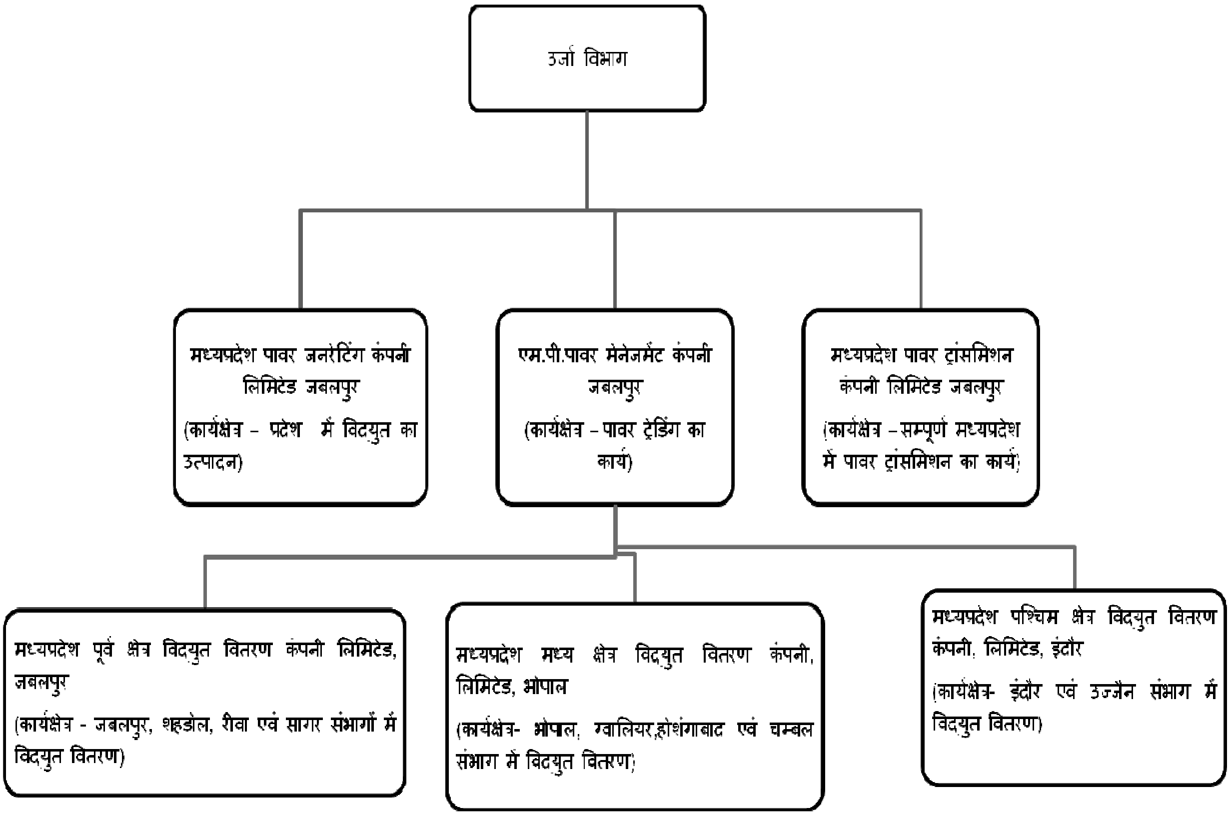

उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यो के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत कंपनियां आयोग द्वारा विनियमित संस्थाओं के रूप में कार्य करती हैं तथा कंपनियों व्दारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते है । इन टैरिफ आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये हैं।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है। माह नवम्बर, 2020 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण **तालिका 7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.1

उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह नवंबर 2020 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	**उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)**
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	5400
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	917
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल विद्युत गृह)	2456
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त अंश	5055
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	3427
6.अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत एवं अन्य	3965
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	**21220**

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु आगामी वर्षों हेतु एक समग्र योजना बनाई है, जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है । योजना का वर्षवार विवरण **तालिका 7.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2

विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

नवंबर 2020 की स्थिति में

वर्ष	**म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से**	**संयुक्त उपक्रम जल परियोजना**	**केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से**	**निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से**	**अपारम्परिक उर्जा स्त्रोत से**	**कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)**
2020-21	-	-	794	-	853	1647
2021-22	-	-	-	-	1426	1426
2022-23	-	-	-	248	1076	1324
2023-24	-	52.50	-	-	885	938
कुल	**-**	**52.50**	**794**	**248**	**4240**	**5335**

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षो से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जून, 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण **तालिका 7.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3
विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)

वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयों एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	ताप विद्युत	जल विद्युत	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	ओंकारेश्वर			
2015-16	16927	2033	18960	1940	1194	953	22144	19979	62775
2016-17	13193	2930	16123	3253	1785	1417	20657	21167	61115
2017-18	16581	1526	18107	837	519	442	23337	25733	66362
2018-19	23650	1760	25410	1266	324	610	22422	27895	73204
2019-20	20731	2519	23250	2837	2277	1227	20265	26413	73309

(*) विद्युत वितरण कंपनियों को एक्स-बस आपूर्ति, जिसमें ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं की आपूर्ति एंव अन्य संस्थाओं को विक्रय की गई विद्युत सम्मिलित नहीं है।

वर्ष 2018-19 के समान ही वर्ष 2019-20 में भी विद्युत की संपूर्ण मांग की आपूर्ति की गई।

7.4 विद्युत मांग : नवम्बर, 2020 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 21220 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र से प्राप्त विद्युत क्षमता सम्मिलित है। रबी के मौसम (अक्टूबर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग में लगभग 4500 से 5000 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमश: लगभग 10000 मेगावाट एवं 15800 मेगावाट रहने की संभावना है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारू व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिग का उपयोग भी किया जाता है। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी।

7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2019-20 में वर्ष 2018-19 की तुलना में 10.97 प्रतिशत अधिक विद्युत का विक्रय हुआ। वर्ष 2015-16 से 2019-20 में विद्युत विक्रय की स्थिति **चित्र 7.1** में दर्शायी गई है।

चित्र 7.1

विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिट में)

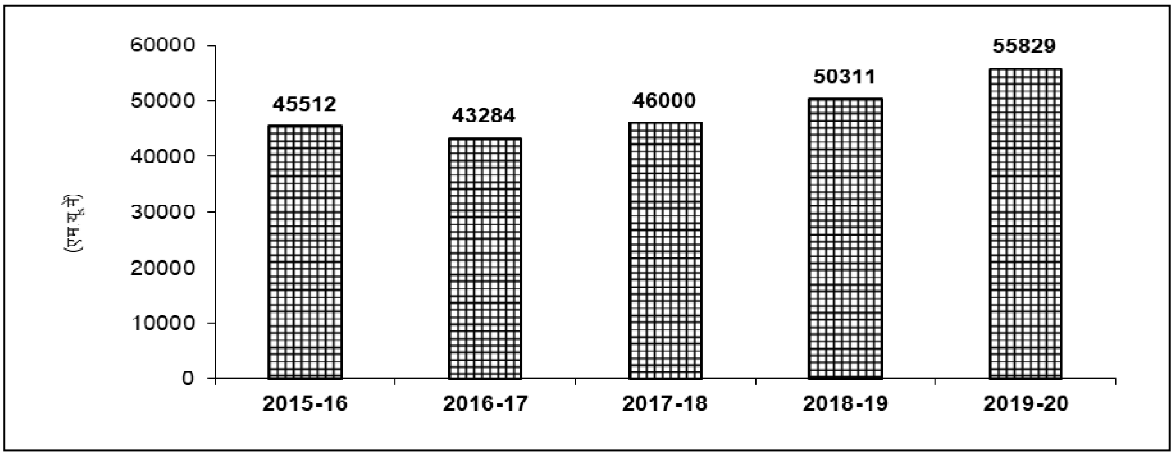

7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है । वर्ष 2014-15 से 2018-19 दिनांक 4 दिसम्बर, 2020 को सर्वाधिक **14856 मेगावाट अधिकतम मांग की आपूर्ति** दर्ज की गई है, जो प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक है। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की विद्युत मांग आपूर्ति चित्र - 7.2 में दर्शयी गई है ।

चित्र 7.2

अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति (मेगावाट में)

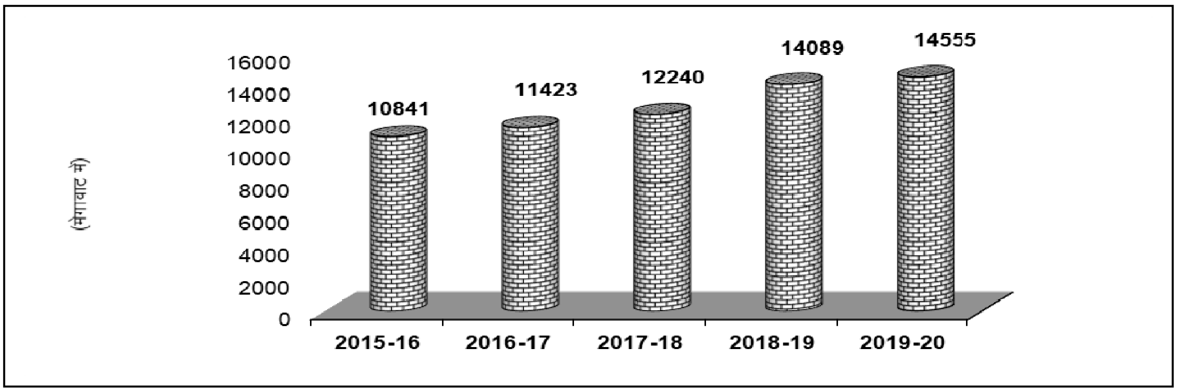

7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रदेश विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण **चित्र 7.3** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.3
विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट

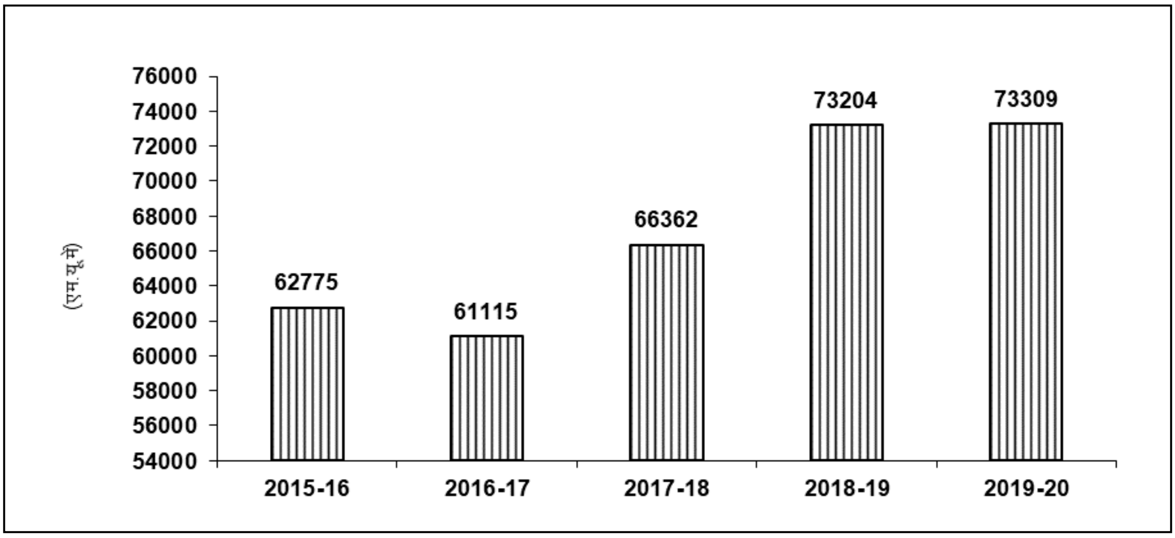

7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु विद्युत कम्पनियों के लिये धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है । परिणाम स्वरूप पारेषण नेटवर्क की क्षमता वर्ष 2014-15 के 12600 मेगावाट से बढ़कर मार्च, 2020 में 18300 मेगावाट हुई है। उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण के विगत वर्षो में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वितरण अधोसंरचना में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 में उपभोक्ताओं की संख्या 115.8 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2020 में 161.9 लाख हो गई ।

7.9 श्रेणीवार विद्युत का उपयोग : वर्ष 2019-20 में विद्युत उपयोग के अन्तर्गत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 40.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 20.50 रहा है । वर्ष 2015-16 से 2019-20 में विभिन्न क्षेत्रों मे विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को **चित्र 7.4** में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.4

विद्युत का उपयोग

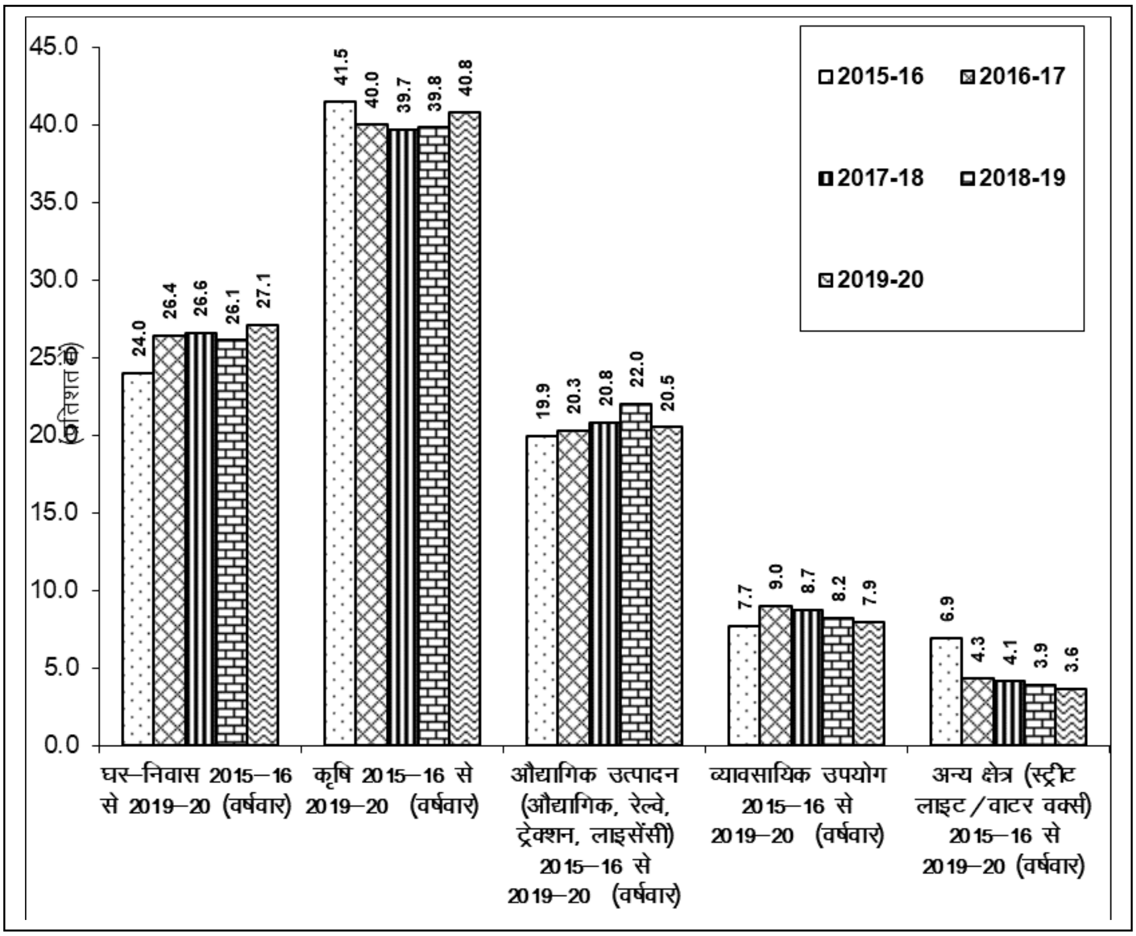

7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रुपये 1402.22 करोड़ लागत की 34 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई जिससे 151 अविद्युतीकृत ग्रामों में विद्युतीकरण, 18.58 हजार मजरों/टोलो सहित ग्रामों में सघन विद्युतीकरण एवं सभी बीपीएल हितग्राहियों को नि:शुल्क कनेक्शन दिये जाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

``**दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना**`` के अंतर्गत फीडर विभक्तिकरण, मीटरीकरण, वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के लिये प्रदेश के 52 जिलों हेतु रुपये 2865 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है। योजना में 20.39 हजार मजरों/टोलों सहित ग्रामों का सघन विद्युतीकरण के प्रावधान के साथ 145, 33/11 के.व्ही. के उपकेन्द्र 21590 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25633 कि.मी. एल.टी. लाईन के कार्य

सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत् 46 ग्रामों के सघन विद्युतिकरण कार्य सम्मिलित था जिनमें से 19557 हजार मजरें/टोले 145, 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों, 21815 कि.मी. 11 के.व्ही. लाईन, 25888 कि.मी. एलटी लाईन एंव सभी 46 सांसद आदर्श ग्रामो में सघन विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

7.11 इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम : योजना शहरी क्षेत्रों में विद्युत अधोसंरचना बेहतर बनाने, उच्च गुणवत्ता के मीटर स्थापित करने तथा तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से दिसम्बर, 2014 से लागू की गई है । इस योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक की आबादी वाले अधिसूचित शहरी क्षेत्र शामिल किए गए हैं । योजना की कुल लागत लगभग रूपये 1562 करोड़ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान, वितरण कंपनियों/राज्य शासन को 10 प्रतिशत राशि स्वयं के स्त्रोत से एवं 30 प्रतिशत राशि वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में लिया जाना है । योजनान्तर्गत 43 जिलों के कार्य स्वीकृत कार्य पूर्ण कर दिये गये है ।

7.12 उदय योजना : विद्युत वितरण कंपनियों की संचित हानियों एवं बकाया ऋणों में हुई वृद्धि के निराकरण एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय साध्यता के लिये भारत सरकार की **उज्जवल डिस्कॉम एंश्योरेंस योजना (उदय)** योजना में सम्मिलित होने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ 10 अगस्त, 2016 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है । उदय योजनांतर्गत वितरण कंपनियों की संचालन दक्षता में सुधार लाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसके तहत राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों पर कार्यशील पूंजी, पूंजीगत तथा सतत ऋणों के विरुद्ध कुल बकाया राशि रुपये 26055 करोड़ का अधिग्रहण 5 वर्षों में करने हेतु रुपये 7568 करोड़ की राशि को अंशपूंजी में परिवर्तित किया जाएगा तथा शेष राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित की जाएगी । अब तक इसमें से रुपये 7568 करोड़ की राशि अंशपूंजी के अतिरिक्त राशि रुपये 5122 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। । इसके अतिरिक्त हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन अनुसार राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों का 5 प्रतिशत राशि रूपये 253.21 करोड़ का भी अधिग्रहण राज्य शासन द्वारा वर्ष 2019 मार्च में किया गया है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसी प्रकार वर्ष 2018-19 की हानियों का 10 प्रतिशत राशि रूपये 730 करोड़ का अधिग्रहण राज्य शासन द्वारा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 480 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।

7.13 एनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियो मे कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही. एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है । संभागीय स्तर तक निरन्तर एनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में एटी.एंड सी.हानियां 25.08 एवं ट्रांसमीशन हानियां 2.59 प्रतिशत के स्तर तक लाई गई है ।

7.14 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार विवरण **तालिका 7.4** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.4

राजस्व प्राप्ति (राज्य शासन से प्राप्त सब्सिडी मिलाकर)

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल
2015-16	7386	6808	9549	23743
2016-17	7567	7228	10703	25498
2017-18	8475	8386	12128	28989
2018-19	9281	10224	13558	33063
2019-20	10968	11665	15344	37977

7.15 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड लागू किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं। विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नही होने की स्थिति में लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें। नवीन कनेक्शनों के लिये ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गई है तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की संख्या न्यूनतम की गई है। म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के वितरण अनुपालन मानदंड में विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है, जिसका वितरण कंपनियों को अनुपालन करना अनिवार्य है ।

7.16 सौभाग्य योजना : केन्द्र शासन द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को आंरभ की गई सौभाग्य योजना के अंतर्गत सभी घरों को दिसंबर 2018 तक विद्युतीकृत किये जाने का लक्ष्य रखा गया था। योजना में केन्द्र शासन द्वारा 60 प्रतिशत राशि तथा राज्य शासन/वितरण कंपनियों से 40 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना में विद्युत कनेक्शन देने हेतु रूपये 872.64 करोड़ एवं इस कार्य के अधोसंरचना के विकास हेतु रूपये 998.64 करोड़ राशि स्वीकृत थी । **22 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश** द्वारा योजना में लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई । इस कार्य को पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2019 को दो भिन्न-भिन्न श्रेणियों में प्रदेश की पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों को क्रमश: 100-100 करोड़ रूपये व 50-50 लाख रूपये के पृथक-पृथक नगद पुरूस्कार से सम्मानित किया गया है ।

7.17 उपभोक्ताओं के हित में लागू योजनायें :

I. **इंदिरा गृह ज्योति योजना** : फरवरी 2019 से इंदिरा गृह योजना लागू की गई थी, जिसमें मात्र संबल योजना के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक की मासिक खपत पर 100 यूनिट की खपत हेतु अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं शेष राशि राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है। ऐसे उपभोक्ताओं को 101 से 150 यूनिट खपत के लिये टैरिफ आदेश अनुसार दर लागू होगी। योजना के अंतर्गत 100 वाट तक के संयोजित भार के 30 यूनिट तक की मासिक खपत वाली उपभोक्ता श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 25 रूपये का बिल दिया जा रहा है एवं अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। योजना हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में राशि रूपये 2581.00 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्रदेश के लगभग एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता अर्थात् प्रतिमाह औसत 85 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हुये है।

II. **इंदिरा किसान ज्योति योजना** : प्रदेश में इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई है, जिसमें 10 हार्सपावर तक के स्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को पूर्व में लिए जा रहे 1400 रूपये प्रति हार्सपावर के स्थान पर 700 रूपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की फ्लेट रेट से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है साथ ही 10 हार्सपावर तक के

मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप कनेक्शन एवं अस्थायी कृषि पंप कनेक्शनों को भी पूर्व में देय ऊर्जा प्रभार में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है । शेष राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जा रहा है । वर्ष 2020-21 में राज्य शासन द्वारा राशि रूपये 4599.40 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है।

इंदिरा किसान ज्योति योजना के अतिरिक्त एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 8 लाख अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 5 हार्सपावर तक के कृषि पंप कनेक्शनों हेतु नि:शुल्क बिजली दी जा रही है, जिसके एवज में राज्य शासन बिजली कंपनियों को वर्ष 2019-20 में रूपये 2305.27 करोड़ वार्षिक की सब्सिडी प्रदान की गई है तथा वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 1300 करोड़ सब्सिडी अनुमानित है ।

7.18 फीडर विभक्तिकरण योजना : इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक-पृथक 11 केवी फीडरों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । योजना हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राशि रुपये 1722 करोड़ तथा एशियन विकास बैंक से रुपये 1944 करोड़ का ऋण स्वीकृत हैं तथा राज्य शासन द्वारा रुपये 485 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है । योजनांतर्गत लगभग 100 प्रतिशत फीडरों का इलेक्ट्रिकल सेपरेशन कर कुल 6693 फीडर विभक्त किये गये हैं । फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत किये गये कार्यों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में तकनीकी हानियों में कमी के साथ-साथ विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता कार्यों के फलस्वरूप इन क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु 10 घंटे विद्युत उपलब्ध हुई है तथा सांयकालीन शीर्षमांग अवधि में विद्युत की मांग का बेहतर प्रंबधन संभव हुआ है।

7.19 फ्लेट रेट योजना : स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये फ्लेट रेट योजना प्रदेश में लागू की गई है । योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 में कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में 2 बार (छ: माही आधार पर) समान किश्तों में 1400 रुपये प्रति अश्वशक्ति वार्षिक बिल देय है । नियामक आयोग द्वारा लागू टैरिफ से कृषक द्वारा देय राशि के अंतर की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा टैरिफ सब्सिडी के माध्यम से वितरण कंपनियों को की जा रही है । वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 10 एचपी तक के कृषक उपभोक्ताओं को इंदिरा किसान ज्योति योजना में सम्मिलित करते हुए बिजली दर आधी अर्थात रूपये 700 प्रति अश्वशक्ति वार्षिक की गई है । 10 एचपी से अधिक क्षमता वाले विद्युत पंप कनेक्शनों को पूर्ववत् लाभ दिया जा रहा है ।

7.20 स्वयं का ट्रांसफार्मर लगाने की योजना (ओ.वाय.टी.) : राज्य शासन द्वारा कृषकों को शीघ्र स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन दिये जाने के दृष्टिगत कृषकों के लिये "स्वयं का ट्रांसफार्मर" लगाये जाने की योजना लागू की गई है । इस योजना में किसान अपने व्यय से, निर्धारित मापदंड के अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित कर सकते है । इस योजना के अंतर्गत कृषकों को समूह में भी ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के प्रारंभ से नवम्बर, 2020 तक 71.52 हजार ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के कार्य पूर्ण किये जा चुके है ।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

7.21 उजाला योजना :- उर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करके बिजली की बचत करने को बढावा देने के लिये वर्ष 2016 में एल.ई.डी. बल्ब, टयूबलाईट एंव 5-स्टार रेटेड के पंखों को उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को डाकघर म.प्र. उर्जा विकास निगम के जिला कार्यालयों, अक्षय उर्जा विद्युत वितरण केन्दों इत्यादि से उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में 1.58 लाख नग बल्ब, 1.06 हजार नग टयूबलाईट तथा 1.8 हजार नग 5-स्टार रेटेड पंखों का वितरण किया गया। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 12.91 हजार नग बल्ब, 104 नग टयूबलाईट एवं 32 नग 5-स्टार पंखों का वितरण किया जा चुका है जिससे सालाना 3600 मिलियन यूनिट बिजली की बचत होगी तथा उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में सालाना रुपये 2500 करोड़ की कमी आयेगी।

7.22 डी.डी.जी. कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) : डी.डी.जी कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थानीय ग्रिड के माध्यम से घर-घर एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु विद्युत व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2018-19 में 21 ग्राम विद्युतीकृत हुये।

7.23 सोलर फोटोवोल्टिक रूफ टॉप (आफ ग्रिड) : प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जेलों/शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय हेतु सोलर फोटोवाल्टिक पावर पैक की स्थापना की गई। प्रदेश में 28800.23 किलोवाट क्षमता के सयंत्र स्थापित किये गये हैं, जिनमे मुख्यत: शासकीय भवन वन विभाग, एयरपोर्ट टी.टी.नगर स्टेडियम, पुलिस विभाग की दूरस्थ ग्रामीण चौकियों/थानों पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों एवं अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं। वर्ष 2019-20 में 3400 किलोवाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये गये है। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर तक 2800 किलोवाट के संयंत्र स्थापित किये गये है तथा वर्ष के अंत तक 3200 किलोवाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य है ।

7.24 सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट (ऑफ ग्रिड) : प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। अब तक 17.24 हजार स्ट्रीट लाईट एवं 13.23 हजार होम लाईट संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

7.25 सोलर पम्प कार्यक्रम (आफ ग्रिड) : प्रदेश के कृषकों एवं आम जन हेतु सिंचाई पेय जल व्यवस्था के लिये सोलर पम्प की स्थापना की जाती है । वर्तमान में 22.67 हजार नग सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2020-21 में 8000 नग सोलर पम्प स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है जिसके विरूद्ध नवम्बर 2020 तक 4508 नग सोलर पम्प स्थापित किये गये है।

7.26 सूर्यमित्र स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम : आई.टी.आई / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर उर्जा से संबंधित स्थापना, कमिशनिंग एवं संचालन रखरखाव हेतु, राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। अभी तक 312 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इन प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं को प्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन सौर पावर प्लान्ट्स में रोजगार प्रदान किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहें हैं।

7.27 बायोमास : कृषि अवशिष्टों से बायोमास आधारित केप्टिव/थर्मल/इलेक्ट्रिकल/ कोजनरेशन/कम्बस्चन तकनीक पर आधारित संयंत्र स्थापित किये जाते है। अब तक कुल 36.996 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। जिसमें मुख्यत: बेकरी/इंडस्ट्रीज इत्यादि सम्मिलित हैं। राईस मिल्स क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में बायोमास गैसी फिकेशन आधारित कैप्टिव पावर जनरेशन प्लांट एवं वैकरीज/अन्य उद्योग में कैप्टिव थर्मल पावर आधारित प्लांट स्थापित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 350 किलोवाट क्षमता के बायोमास गैसिफायर संयत्र स्थापना की प्रगति पर है ।

परिवहन / संचार

प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है। प्रदेश में रेल मार्गो की लम्बाई की अपर्यासता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर वर्ष 2018-19 (प्रा) एवं 2019-20 (त्व.) में इस क्षेत्र की अंश भागीदारी क्रमशः 2.80 एवं 2.70 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर (2011-12) क्रमशः 3.44 एवं 3.44 रही है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2018-19 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.00 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.16 प्रतिशत अंश है । वर्ष 2019-20 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 0.94 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.10 प्रतिशत है । मध्य प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में संचार क्षेत्र का अंश वर्ष 2018-19 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर 1.53 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्व.) के अनुसार 1.36 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2018-19 में 1.87 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 (त्व.) में 1.78 प्रतिशत अंश परिलक्षित है । राज्य सकल मूल्यवर्धन में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण **तालिका 7.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.5
सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन/संचार का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011 -12) भावों पर
2011-12	3.22	3.22	1.05	1.05	1.69	1.69
2012-13	3.10	3.17	1.19	1.24	1.65	1.69
2013-14	3.00	3.18	1.10	1.24	1.85	1.97
2014-15	3.09	3.31	1.09	1.20	2.02	2.16
2015-16	2.97	3.30	1.17	1.30	2.17	2.41
2016-17	2.76	3.17	1.09	1.17	1.71	1.96
2017-18	2.76	3.32	1.05	1.18	1.49	1.79
2018-19 (प्राव)	2.80	3.44	1.00	1.16	1.53	1.87
2019-20 (त्व.)	2.70	3.44	0.94	1.10	1.36	1.78

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

परिवहन विभाग के प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियम/नियम 1988, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन, नियमन नियंत्रण एवं शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व उपलब्ध कराना है । वर्ष 2019-20 में परिवहन विभाग ने 3276 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है जो गत वर्ष की तुलना में 9.20 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2600.00 करोड़ के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक लगभग राशि रूपये 1419.61 करोड़ का राजस्व लक्ष्य अर्जित किया गया ।

7.28 पंजीकृत वाहनों की संख्या : प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 तक 179.18 लाख वाहन पंजीकृत हैं। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 7.17 लाख वाहन पंजीकृत हुये हैं। पंजीकृत वाहनों का वर्षवार विवरण **तालिका 7.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.6
पंजीकृत वाहनों की संख्या

(संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टेक्सी केब/ थ्रीव्हीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर-सायकिल/ स्कूटर, मोपेड आदि	अन्य ट्रेक्टर ट्राली सहित	वर्ष के अत तक पंजीकृत वाहन
2015-16	784	243	176	267	9632	1027	12129
2016-17	877	261	180	292	10498	1085	13193
2017-18	982	268	226	318	11596	1192	14582
2018-19	1109	271	311	326	13048	1296	16361
2019-20	1228	259	332	361	14408	1330	17918

7.29 विभाग की कार्ययोजना की प्रगति एवं लाभकारी योजना:- मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा आम जनता को मोबाइल एप्प तथा एस.एम.एस. के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

एम.पी.मोबाइल एप्प सेवा के माध्यम से पंजीकृत वाहन, ड्रायविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस, वाहनों पर लगने वाले मोटरयान कर की गणना अस्थाई पंजीयन एवं भुगतान रसीद के विवरण आदि की जानकारी सहजता से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई ई-सेवा के तहत् परिवहन विभाग की बेबसाईट www.mptransport.org व एस.एम.एस. नम्बर 53030 पर वाहनों से संबंधित समस्त जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।

इसके अलावा ई-डी.एल. एवं ई-आर.सी.सेवा के माध्यम से चालक लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र को डिजीटल स्वरूप में मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है।

वाहनों का पंजीयन, चालक लाइसेंस, फिटनेस अनापत्ति प्रमाण पत्र, वाहनों के परमिट, कर भुगतान एवं डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था ऑनलाइन प्रारंभ की जा चुकी है। डीलर प्वाइंट इन्रोलमेंट रजिस्ट्रेशन व्यवस्था से नवीन वाहन क्रय करने वाले वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

राज्य में सड़कें

सड़क परिवहन, प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एवं प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से निर्मित विभिन्न श्रेणी के मार्गों के लंबाई की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 7.7
प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2016	7175	10934	19429	26482	64020
2017	7175	10934	21132	23755	62996
2018	8010	11389	22129	23395	64923
2019	8858	11389	22091	28623	70961
2020 नवम्बर	8858	11389	22091	28623	70961

स्त्रोत - प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग म.प्र.

7.30 राष्ट्रीय/प्रांतीय राजमार्ग एवं मुख्य जिला मार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई माह नवम्बर, 2020, तक 8858 किलोमीटर है एवं प्रांतीय राज्यमार्गों की लंबाई 11389 किलोमीटर है तथा राज्य में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कुल 22091 किलोमीटर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है

7.31 योजनायें एवं उपलब्धियां :-

1. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य की कुल 17541 बसाहटों को जोड़ने के लिए 73073 कि.मी. लम्बाई की सड़कों की स्वीकृती प्रदान की गई है, जिसमें 72811 कि.मी. लम्बी 18828 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 17472 बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है शेष 223 कि.मी. सड़कों का निर्माण प्रगति पर है जिससे 69 बसाहटें जोड़ी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त 659 वृहद पुलों की स्वीकृती प्राप्त हुई है, जिसमें 458 पूलों का निर्माण पुर्ण किया जाकर शेष कार्य प्रगति पर है। उपरोक्त सभी कार्य योजना भाग-1 के तहत् किया गया है ।

2. भाग-2 योजनांतर्गत भारत सरकार से आर्थिक आधार पर रूरल मार्केट सेंटर एवं रूरल हब को जोड़ने वाली पूर्व से निर्मित सड़को का उन्नयन कार्य किये जाने हेतु प्रदेश को 5000 कि.मी. मार्ग के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था जिसके तहत 374 मार्गों की लम्बाई 4984 कि.मी. एवं 245 नग पुलों के निर्माण हेतु राशि रूपये 3236 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये है। वर्तमान में 4800 कि.मी. के मार्गों तथा 175 पुलों का निर्माण पूर्ण कर शेष कार्य प्रगति पर है।

3. भाग-3 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि बाजार, शिक्षण संस्थाओं एवं चिकित्सा संस्थाओं को बसाहटों से जोड़ने के लिए विद्यमान सड़को को जोड़कर उन्नयन हेतु योजना प्रारंभ की गई है। वित्तिय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 3322.92 करोड़ का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है जिसमें 377 मार्गों, 4779 कि.मी. लंबाई एवं 167 नग बड़े पुलों के लिये मिला है इनमें से 373 मार्गों एवं 162 बड़े पुलों के कार्य प्रगति पर है। शेष 4 मार्गों एवं 5 बड़े पुलों हेतु कार्यवाही प्रचलन में है ।
4. मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता परियोजना के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृती प्रदान की गई थी जिसमें 10000 कि.मी. ग्रेवल सड़को का डामरीकरण का चयन कर 2001 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र में 150 से 499 की आबादी के ग्राम तथा आदिवासी 100 से 249 तक की आबादी के ग्राम परियोजना में शामिल किये गये है। उपरोक्त परियोजना (AIIB) द्वारा वित्त पोषित परियोजना की कुल लागत 3263 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 210 यू.एस. मिलियन डालर (AIIB) द्वारा 140 मिलियन डालर की सुविधा प्राप्त है, जिसमें मध्यप्रदेश सरकार को 152 यू.एस. मिलियन डालर की व्यवस्था करनी होगी। योजना अंतर्गत 9366 कि.मी. की प्रशासकीय स्वीकृती प्राप्त हुई जिसमें 9278 कि.मी. मार्गों के कार्य आवंटित किये जा चुके है। अभी तक 7943 कि.मी. लम्बाई के मार्ग का पूर्ण कार्य किया गया है जिस पर राशि रूपये 2205 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

7.32 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना : योजनांतर्गत सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सड़क सम्पर्क (ग्रेवल सड़क उपलब्ध कराने) हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है साथ ही ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत 1184 मार्ग कुल लंबाई 2725 कि.मी. एवं 18 वृहद् पुलों को निर्माण कर 1220 ग्रामों को जोड़ा जा चुका है। वर्तमान में इन मार्गों में से एमपीआरसीपी के दिशा निर्देशों के तहत मार्गों का चयन कर विश्व बैंक की सहायता से डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजनांतर्गत 8713 ग्रामों को जोड़ने हेतु 8517 सड़कों जिसकी लंबाई 19709 किमी के कार्य राशि रूपये 4252 करोड़ से सम्पन्न कराए जा रहे हैं। नवम्बर, 2020 तक 8220 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाकर 8113 सड़कों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिस पर राशि रूपये 3344 करोड़ व्यय किये गये है।

सिंचाई

बाक्स 7.2
सिंचाई

प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षो में सामान्य वृद्धि देखी गई है। विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है। प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्ररण क्षमता विकसित की आवश्यकता है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है । राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है जो कुल उपलब्ध जल का 69.7 प्रतिशत है ।

7.33 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्त्रोत : वर्ष 2017-18 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 10565.9 हजार हेक्टर था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11356.2 हजार हेक्टर हो गया । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 7.48 प्रतिशत की वृद्धि रही । वर्ष 2018-19 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 76.13 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 22.37 तथा अन्य स्त्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 13.21 रहा । विभिन्न स्त्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.8
सिंचाई के स्त्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुऐं	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2014-15	1846.9	278.9	6853.4	1321.4	9584.1	15454.3	23913.1	62.0
2015-16	1825.5	264.7	6720.0	1218.3	9284.4	15252.5	23817.1	60.9
2016-17	1915.6	298.3	7168.6	1288.5	9876.0	15331.1	24317.1	64.4
2017-18	1864.5	285.0	7761.7	1483.1	10565.9	15190.7	25114.0	69.6
2018-19	2194.5	346.0	8645.1	1500.5	11356.2	15205.1	26115.1	74.7

स्त्रोतः- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

7.34 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 3125.01 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था। वर्ष 2020-21 में माह अक्टूबर, 2020 तक 192.18 हजार हेक्टर खरीफ सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है। वर्षवार विवरण **तालिका 7.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9
सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(रबी एवं खरीफ) (हजार हेक्टर में)

वर्ष	वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग
2016-17	1998.63	904.11	2902.74
2017-18	1814.16	658.88	2473.04
2018-19	2080.32	889.06	2969.38
2019-20	2116.3	1008.70	3125.01
2020-21 (अक्टू.2020 तक)	158.71	33.48	192.18 (केवल खरीफ)

स्त्रोत - प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग म.प्र.

7.35 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2017-18 में 11394 हजार हेक्टर एवं वर्ष 2018-19 में 12686 हजार हेक्टर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 11.34 प्रतिशत की वृद्धि रही । इस अवधि में धान, गेहू समस्त तिलहन,गन्ना,कपास के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 29.22, 17.17, 17.17, 8.06, 16.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु समस्त दलहन, मसाले, फल एवं सब्जियां एवं अन्य के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमश: 1.17, 2.35, 13.88 एवं 16.97 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण **तालिका 7.10** में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.10

प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	धान	गेहू	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2013-14	557	5638	2054	428	102	325	328	330	157	9919
2014-15	704	5934	1910	393	121	333	369	341	195	10300
2015-16	721	5647	1797	407	130	335	423	396	173	10029
2016-17	842	6054	1868	425	120	342	429	406	185	10671
2017-18	900	5860	2813	460	124	343	340	389	165	11394
2018-19	1163	6866	2780	539	134	401	332	335	137	12687

स्त्रोतः- भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र.

कमाण्ड क्षेत्र (विकास)

7.36 कमाण्ड क्षेत्र (विकास) कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी : राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैंच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृध्दि करने के उद्देश्य से वर्ष 1974 में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है तथा वर्ष 1980 में स्वतंत्र आयाकट विभाग का गठन किया गया। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002 से आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में करके आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 08 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनायें शामिल हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 10.38 लाख हेक्टर क्षेत्र के विरूद्ध मार्च, 2020 तक 7.15 लाख हेक्टर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2064 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है । कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 25.00 हजार हेक्टर लक्ष्य के विरुद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 16.08 हजार हेक्टर कार्य संपादित किया गया है एवं राशि रुपये 34.93 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध नवम्बर, 2020 तक राशि रुपये 6.20 करोड़ व्यय किये गये।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

7.37 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास : परियोजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन अनुश्रवण हेतु " राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन", मध्यप्रदेश नोडल संस्था है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश के अधीन म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत् पंजीकृत संस्था है। "विकास आयुक्त" राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के अध्यक्ष है।

- "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास का मुख्य उद्देश्य (1) मृदा एवं जल संरक्षण एवं संवर्धन के माध्यम से वर्ष आधारित कृषि क्षेत्र में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराना। (2) वर्षा आधारित कृषि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करना। (3) संसाधनहीन ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करना है।

- इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान राशि रूपये 869.48 करोड़ की लागत से 7.25 लाख हेक्टयर क्षेत्र में 126 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत राशि रूपये 12.00 हजार प्रति हेक्टयर के मान से परियोजना राशि आवंटित की जाती है। जो वित्त पोषण हेतु 60: केन्द्रांश तथा 40: राज्यांश का प्रावधान किया गया है।

- योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राशि रूपये 270.81 करोड़ उपलब्ध हुए जिसके विरूद्ध राशि रूपये 178.85 करोड़ व्यय किये जाकर 66.04% वित्तीय प्रगति अर्जित की गई है।

- योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 3049 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामत: 17835.00 हेक्टयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- योजनांतर्गत वर्ष 2020-21 माह नवम्बर, 2020 तक कुल राशि रूपये 280.35 करोड़ उपलब्ध हुए है जिसके विरूद्ध राशि रूपये 205.20 करोड़ व्यय किये जाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 73 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गई है।

अध्याय 08

सामाजिक क्षेत्र

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 69.3 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 73.0 से कम है। उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर है । राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है । समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2020-21 के लिये स्वीकृत 5895.81 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई। राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2019-20 की वित्तीय उपलब्धि का विवरण **तालिका 8.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.1

राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाऐं

(करोड़ रूपये में(

घटक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
प्रारंभिक शिक्षा	5030.04	3913.56
सेकेंडरी शिक्षा	1710.66	691.52
शिक्षक शिक्षा	53.00	35.54
योग	**6793.70**	**4640.62**

8.2 समग्र शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है । अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है । प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है ।

बाक्स 8.1

समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य

- **गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि।**
- **स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना।**
- **स्कूल शिक्षा के सभी स्तर पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।**
- **व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना।**
- **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 को लागू करना।**
- **शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शिक्षक शिक्षण संस्थाओं और जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं (DIETs) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त और उन्नत बनाना।**

8.3 शालायें :शिक्षा का अधिकार अधिनियम के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बसाहट में 6 से 11 आयु वर्ग के न्यूनतम 40 बच्चें उपलब्ध होने पर 1 किमी की परिधि में प्राथमिक शाला सुविधा तथा 11 से 14 आयु वर्ग के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर 3 किमी की परिधि में मिडिल शाला उपलब्ध कराई जानी है। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रदेश की समस्त बसाहटों में शाला सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2018-19 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 75.85 लाख था। जो कि वर्ष 2019-20 में बढ़कर 76.15 लाख हो गया । माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2018-19 में 42.38 लाख था जो वर्ष 2019-20 में बढ़कर 42.96 लाख हो गया । प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति **तालिका 8.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.2
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में(

स्तर	वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20 (प्रा.)		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	39.55	36.30	75.85	39.65	36.50	76.15
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	22.27	20.11	42.38	22.45	20.51	42.96
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	**61.82**	**56.40**	**118.22**	**62.10**	**57.01**	**119.11**

प्रदेश में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है ।

8.5 शाला त्याग दर :विगत वर्षों की तुलना में प्रदेश में विभिन्न कारणों से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2018-19 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 3.10 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 2.59 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2019-20 में शाला त्यागी दर में कमी होकर कक्षा 1से 5तक कक्षा छात्रों की 1.16 प्रतिशत एवं छात्राओं की 0.94 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार राज्य में वर्ष 2018-19 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 4.63 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 4.27 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2019-20 में 6से 8तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 3.70 प्रतिशत एवं छात्राओं की 4.81 प्रतिशत है। जो शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अच्छे प्रयासों को दर्शाता है। विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर **तालिका 8.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.3
शाला त्याग दर

स्तर	2018-19			2019-20 (प्रा.)		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
प्राथमिक) कक्षा 1 से 5)	3.10	2.59	2.86	1.16	0.94	1.05
माध्यमिक) कक्षा 6 से 8)	4.63	4.27	4.35	3.70	4.81	4.22

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसो एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । कक्षा 1 से 8 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्रों को 2 जोड़ी गणवेश हेतु रूपये 600 का प्रावधान है ।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं छात्रावास: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी छोटी-छोटी बसाहटों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है। जिनसे प्रतिवर्ष लगभग 31.00 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं। इसके अतिरिक्त 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही है। शहरी क्षेत्रों के बेघर, अनाथ एवं शाला संबंधी बच्चों के स्वीकृत 66 नए 100सीटर आवासीय छात्रावासों से लगभग 6.60 हजार बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ।

8.8 निःशुल्क साईकिल वितरण :पांचवीं कक्षा पास करके छठवीं में दूसरे ग्रामों में स्थित शासकीय शालाओं में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को साईकिल क्रय करके प्रदान की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे बालक बालिकाओं को भी साईकिल का प्रावधान किया गया जो ग्राम की बसाहट में निवासरत है तथा बसाहट से शाला की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक है ।

8.9 विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास : विकलांग बच्चों के लिये 60 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं । बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं । निःशक्त बच्चों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई है ।

8.10 स्कूल चले हम :प्रदेश के हर बच्चे का स्कूलों में प्रवेश हो, बच्चों को सतत् रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करने और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर वर्ष स्कूल चले हम अभियान को व्यापक जन आंदोलन के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। स्कूल चले हम अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया संस्थानों एवं जनसामान्य ने अपना योगदान प्रदान किया।

स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत बच्चों के व्यक्तित्व के बहुआयामी विकास को भी ध्यान में रखा गया है। जिसका आशय है कि प्रदेश के बच्चे पढाई भी करें और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी करें। इसी भावना से शिक्षा सत्र के प्रारंभ में प्रवेशोत्सव के दौरान खेलकूद, गायन, चित्रकारी, अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

8.11 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/परीक्षाओं में बेहतर प्रर्दशन कर सकें इस उद्देश्य से प्रदेश में कुछ विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020-21 तक कुल 123 पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त फीडबैक के आधार पर पुनरीक्षित एवं संशोधित कर शिक्षा सत्र 2020-21 में म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम को उपलब्ध कराया गया है तथा कक्षा 01 से 12 तक की पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व गणित की एन.सी.ई.आर.टी. की कुल 228 पाठ्यपुस्तकों को प्रदेश के विद्यालयों हेतु अधिग्रहित किया गया है। प्रदेश में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 2 के समस्त बच्चों की नि:शुल्क स्लेट, कलम व पैंसिल, रबर उपलब्ध कराई है तथा गुणवत्ता सुधार के लिये विभिन्न प्रयास किये जा रहे है जैसे दक्षता उन्नयन कार्यक्रम, STEAM कार्यक्रम, अनुगुंज-कला से समृद्ध शिक्षा, कॉपी चेकिंग, शाला भ्रमण, शैक्षिक संवाद, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण, जॉयफुल लर्निंग कार्यक्रम, PTM आयोजन, आंग्लभाषा, शिक्षण संस्थान, कहानी उत्सव, विज्ञान मित्र क्लब, खेल, यूथक्लब आदि सुधार योजना क्रियान्वित की गई है ।

8.12 शिक्षा का अधिकार : नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है। अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूल की प्रवेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जाकर अब तक 12.00 लाख से अधिक बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया गया है ।

8.13 स्वच्छ विद्यालय अभियान : स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ।

8.14 विशेष प्रयास :

- **एक परिसर एक शाला** :- स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत एक ही परिसर में विभिन्न स्तर की शालाऐं पृथक इकाई के रूप में संचालित थीं, इस कारण से एक ही परिसर में स्थित विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग विद्यार्थियों के हित में नहीं हो पा रहा था। एक ही परिसर में स्थित विभिन्न शालाओं के एकीकरण किये जाने से कक्षावार एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुये गुणवत्ता में वृद्धि होगी। लगभग 16 हजार परिसरों में स्थित 35 हजार शालाओं को एक परिसर एक शाला के रूप में चिन्हित कर इनका विलय (merger) किया गया है ।

- **एजूकेशन पोर्टल 2.0 का विकास :-** ई-गवर्नेन्स के माध्यम से, मॉनिटरिंग तंत्र का सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था की गयी है। चाइल्डवाइस ट्रेकिंग के माध्यम से शाला से बाहर के बच्चों का एम शिक्षा मित्र मोबाईल एप के माध्यम से बच्चेवार सर्वेक्षण कर, उनका शालाओं में नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है, समस्त बच्चों के नामांकन की जानकारी भी ऑनलाईन उपलब्ध है ।

  इसके अतिरिक्त कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय एवं अन्य छात्रावासों की ऑनलाईन मॉनीटरिंग तथा अन्य कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की गयी है ।

- **विद्यालयों के विकास के लिए प्रणाम पाठशाला - विद्यालय उपहार योजना-** योजना स्थानीय नागरिकों को विद्यालय के प्रति अपने सम्मान और आदर को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है। शालाओं के भौतिक और अकादमिक विकास में सामाजिक सहयोग की दृष्टि से प्रारंभ की गई इस योजना में कोई व्यक्ति, संस्था शासकीय विद्यालयों को उपहार स्वरूप सामग्री अथवा धनराशि प्रदान कर सकते हैं।

माध्यमिक शिक्षा

8.15 माध्यमिक शिक्षा:- छात्रों के बौद्धिक विकास के लिये माध्यमिक शिक्षा अत्यावश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रदेश मे वर्ष 2019-20 कुल 8296 हाईस्कूल एवं 9252 हायर सेकेण्डरी स्कूल इस प्रकार कुल 17548 शालाएं संचालित हैं। हाईस्कूलों में 24.08 लाख तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 14.61 लाख इस प्रकार कुल 38.69 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।

वर्ष 2019-20 में क्रमश: 620 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल में एवं 340 हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी शाला में उन्नयन कर पदों की स्वीकृति प्रदान कि गई है। प्रदेश में कुल शालाओं में नामांकन एवं शिक्षकों की जानकारी निम्नानुसार है :-

तालिका 8.4

शालाओं की संख्या की स्थिति

(यूडाईस के आधार पर)

स्तर	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	8296
हायर सेकण्डरी	9252
योग	17548

नोट: इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूल सम्मिलित है।

तालिका 8.5

शासकीय शालाओं की उपलब्धता की स्थिति

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2019-20 की स्थिति में
हाईस्कूल	4936
हायर सेकण्डरी	4342
योग	9278

तालिका 8.6

कुल छात्रों की संख्या/नामाकंन की स्थिति) शासकीय एवं निजी

(संख्या लाख में)

स्तर	छात्रों की संख्या/नामांकन
हाईस्कूल	24.08
हायर सेकण्डरी	14.61
योग	38.69

स्त्रोत:- यु डाईस 2019-20

तालिका 8.7

कुल छात्रों के वर्गवार नामांकन

की स्थिति) शासकीय एवं निजी(

(संख्या लाख में)

स्तर	बालक	बालिका	अ.जा.	अ.ज.जा.
हाईस्कूल	12.96	11.12	4.17	4.68
हायर सेकण्डरी	7.65	6.96	2.27	2.21
योग	20.61	18.08	6.44	6.89

स्त्रोतः- यु डाईस 2019-20

तालिका 8.8

समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति

स्तर	**शिक्षकों की संख्या**
हाईस्कूल	28103
हायर सेकण्डरी	49683
योग	77786

स्त्रोतः- यु डाईस 2019-20

8.16 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय एवं विकास खंड के मुख्यालय पर एक शासकीय उ.मा.वि .को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है । वर्तमान में 43 जिला मुख्यालयों एवं 193 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं । वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 41.28 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में 1.52 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुये जिलास्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ वर्ष 2017-18 में छात्रावासों के निर्माण एवं संचालन योजना प्रारंभ की गई है । इसके अंतर्गत 41 उत्कृष्ट विद्यालय 100 सीटर बालक तथा 100 बालिका छात्रावास स्वीकृत किये है जिनका निर्माण कार्य प्रचलित है तथा अस्थाई भवनों में छात्रावास का संचालन किया जा रहा है ।

8.17 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। योजना की सफलता के दृष्टिगत शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त वर्ग के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना का विस्तार किया गया है।

वर्ष 2020-21में शासकीय विद्यर्थियों में कक्षा 9 वी से 12वी तक नामांकित 23.50 लाख विद्यर्थियों को नि:शुल्क पुस्तके उपलब्ध कराई गई योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 102.00 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

8.18 निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : नि:शुल्क सायकिल प्रदाय योजनान्तर्गत कक्षा 6वी एवं कक्षा 9वीं में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके गॉव में शासकीय माध्यमिक हाई स्कूल नही हैं, एवं जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिये जाते है उन्हें नि:शुल्क साईकिल वितरण योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ छात्र को कक्षा 6वीं एवं 9वीं प्रथम प्रवेश पर एक ही बार मिलेगा। अर्थात कक्षा 6वीं एवं 9वीं कक्षा में पुन: प्रवेश लेने पर उसे साईकिल की पात्रता नहीं होगी। कक्षा 6वीं के विद्यार्थियो को 18 इंच एवं कक्षा 9वी के विद्यार्थी को 20 इंच की साईकिल प्रदाय की जाती है। ऐसे मंजरे/टोले जिनकी दूरी विद्यालय से 2 किमी से ज्यादा है तो ऐसे मजरे टोले से विद्यालय में आने वाले छात्रों को साईकिल दी जावेगी । वर्ष 2019-20 में लगभग 5.60 लाख छात्र-छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है ।

8.19 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ।

- सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना ।
- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना ।
- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना ।
- डॉ .ए .पी .जे .अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति ।
- मृत/अंपग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 "**बेटी बचाओ अभियान**" अन्तर्गत इकलौती बेटी को "**शिक्षा विकास छात्रवृत्ति**" योजना प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संतान है एवं म.प्र . माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठयक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्र होगी । यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रूपये -/1500 से कम होगा ।

वर्ष 2013-14 से उक्त योजनाऐं समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत राज्य शासन के 6 विभागों की 30 प्रकार की छात्रवृत्तियां समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत कर विद्यार्थियों के खाते में सीधे अंतरित की जा रही है। समेकित छात्रवृत्ति योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में मिशन वन-क्लिक के माध्यम से लगभग 58.65 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रूपये 523 करोड़ वन-क्लिक के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

8.20 सुपर 100 योजना : शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी/.मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उ.मा.वि. भोपाल एवं इन्दौर के शासकीय मल्हार आश्रम उ.मा.वि .में सुपर 100 योजना संचालित है । वर्ष 2019-20 में 3.63 करोड़ रूपये का प्रावधान कर 593 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । तथा जे.ई.ई. मेन्स के परीक्षा परिणाम अनुसार इस परीक्षा में सम्मिलित हाने वाले 96 में से 64 विद्यार्थियों सफल रहें एवं एडवास में 64 में से 21 विद्यार्थियों सफल रहे। साथ ही नीट परीक्षा में 100 में से 93 विद्यार्थी सफल रहे।

8.21 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (I.E.D.S.S.) यह योजना वर्ष 2009 से लागू है । यह योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत शासन द्वारा कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रूपये 35 -/00के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय करती है । I.E.D.S.S. योजनांतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को वार्षिक रूप से प्रदाय किये जाने वाली राशि पुस्तक, स्टेशनरी एवं गणवेश भत्ता हेतु रूपये 1100 प्रति हितग्राही प्रतिवर्ष की दर से प्रदाय किया जाऐगी।

मासिक दर के आधार पर प्रदान की जाने वाली राशि जिसमें परिवहन भत्ता हेतु राशि रूपये 1000 तथा बालिकाओं को राशि 200 रूपये प्रति हितग्राही माह की दर से अधिकतम 10 माह के लिये राशि रूपये 2000 प्रदाय किया जाता है। विशेष आवश्यकता वाले शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्याधिक अक्षम बच्चों के लिये राशि रूपये 1000 प्रति विद्यार्थी एवं अल्प दृष्टि बाधित व दृष्टि बाधित बच्चों के लिये राशि रूपये 750 प्रति छात्र प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2019-20 में उक्त दर से लगभग 9757 बच्चो को लाभान्वित किया तथा वर्ष 2020-21 में लगभग 10614 बच्चों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.22 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 10-2009 से मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है । शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल में अध्यनरत कक्षा12 वीं में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रूपये 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है । यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 10-2009 से सतत् प्रदाय की जा रही है ।

वर्ष 2020-21 में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने पर लेपटॉप की राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया जाकर 40537विद्यर्थियों को राशि रूपये 25.00 हजार के मान से राशि रूपये 101.34 करोड़ का व्यय किया गया है।

8.23 मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन:- मॉडल स्कूलों की स्थापना वर्ष 2011-12 में की गई है। इन स्कूलों को बैंचमार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी जिसके अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी 201 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल संचालित है। वर्ष 2011-12 से प्रत्येक कक्षा 9वीं से 12वीं तक कक्षा संचालित है। वर्ष 2019-20 में इन मॉडल स्कूलों में 52793 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है । इन विद्यालयों में से 22 मॉडल स्कूलों में राज्य खनिज समिति द्वारा जिला खनिज निधी से वर्तमान वर्ष में बालक एवं बालिका छात्रावास स्वीकृत किये गये है। जिसका निर्माण कार्य परियोजना क्रियान्वयन द्वारा किया जा रहा है ।

वर्ष 2020-21 में कक्षा 6 का संचालन प्रारंभ किया गया है जिससे विद्यर्थियों को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा एक ही परिसर में प्राप्त होगी।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा ज्ञान और कौशल में वृद्धि करके व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है। उच्च शिक्षा बनाये रखने की समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करना विभाग की कार्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है।

8.24 जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता : इस योजनान्तर्गत नि:शक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने एवं शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेशित दिव्यांग विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस की प्रतिपूर्ति रूपये 1500 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता एवं नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500 तथा नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300 प्रतिमाह निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाता है। जिसमें दिव्यांग माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक न हो । योजना में प्रतिवर्ष 2 हजार विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

8.25 गांव की बेटी योजना : ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं का उच्च शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिये गांव की बेटी योजना लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष201 9-20 में राशि रूपये 3848.00 लाख का प्रावधान किया है जिससे 76.89 हजार छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।

8.26 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में भवन निर्माण/अन्य निर्माण हेतु राशि रूपये 100.00 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया था। उक्त राशि निर्माण ऐजेसियों के बी.सी.ओ. कोड में हस्तांतरित की गई है। निर्माण ऐजेसियों द्वारा लगभग 95.00 करोड़ की राशि व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवीन निर्माण हेतु कोई प्रशासकीय स्वीकृति जारी नही की गई । वर्तमान में लगभग 290.18 करोड़ के कार्यों के प्रस्तावों पर निर्णय होना है।

8.27 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 30.01 लाख का प्रावधान किया जा कर कुल 06.83 व्यय कर कुल 273 विद्यर्थियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया।

8.28 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन योजना : इस योजना का उददेश्य अनारक्षित वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यर्थियों को विदेश अध्ययन/पाठक्रम में प्रवेशित हेतु वास्तविक व्यय या अधिकतम राशि रूपये 40 हजार अमेरिकी डालर या उसके समतुल्य अन्य देश की करेंसी में प्रदान किया जाता है। योजना में आवेदक प्रदेश का मूलनिवासी होना चाहिये। स्नातकोत्तर उपाधि प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / स्थान से स्नातक उपाधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत होना चाहिये। आवेदक की आयु 25 वर्ष एवं पी.एच.डी. शोध हेतु 35 वर्ष से अधिक न हो।

8.29 अनुसूचित जाति/जनजाति पी.एच.डी. हेतु आर्थिक सहायता : अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को पी.एच.डी. अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 279 छात्र-छात्राओं को शोध हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस पर राशि रूपये 535.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसमें राशि रूपये 297.36 लाख का व्यय किया गया है।

8.30 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना, गुणवत्ता में वृद्धि करना एवं समानता के अवसर सुनिश्चित करना हैं । साथ ही सुदूर ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाना तथा कमजोर वर्गों एवं महिलाओं को समान रूप से उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

8.31 विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन योजना : युवा पीढ़ी अपनी प्रतिभा तथा योग्यता के अनुरूप अपनी कॅरियर का चुनाव कर सकें। इस उद्देश्य से योजना प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों तथा तकनीकि संस्थानों में स्वामी विवेकानन्द कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों को सतत् मार्गदर्शन प्रदान करना तथा रोजगार/प्लेसमेंट के अवसर उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना क्रमांक - 6915 के अंतर्गत राशि रूपये 77.28 लाख एवं योजना क्रमांक - 7851 में राशि रूपये 86.39 लाख का बजट प्रावधान किया गया है ।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में वर्ष 2019-20 में 149302 प्रवेश क्षमता लक्ष्य के विरूद्ध लगभग 100449 प्रवेश ऑनलाईन ऑफ केम्पस काउंसलिंग के माध्यम से किये गये है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन राशि रूपये 72575.99 लाख राशि प्राप्त हुई जिसमें राशि रूपये 49561.92 लाख का व्यय किया जा चुका है। जो आवंटन राशि का 68.29 प्रतिशत है ।

मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में 65422 मेधावी विद्यार्थियों को राशि रूपये 123.09 करोड़ उपलब्ध कराई गई है ।

मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2019-20 में मध्यप्रदेश के 2919 लाभार्थियों को राशि रूपये 327.29 लाख उपलब्ध कराई गई है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये प्राथमिकतायें :

- कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुये शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्र हित के लिए ऑनलाईन अध्यापन हेतु एम.पी. स्वान नेटवर्क कनेक्टीविटी तथा अन्य उपलब्ध माध्यमों से विभाग के अधिनस्थ सभी शासकीय (स्वशासी) इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक कॉलेजों में इंटरनेट एवं वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है ।
- शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु वर्तमान में कोरोना वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुये महाविद्यालयों की कक्षाओं में छात्र-छात्राओं का आना संभव नहीं हो पा रहा है। अत: विभाग के अधीनस्थ सभी शासकीय (स्वशासी) इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से अध्यापन कराये जाने हेतु आवश्यक संसाधनों यथा स्मार्ट फोन/लेपटॉप एवं इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है ।
- विभाग द्वारा समस्त शासकीय/स्वशासी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु सिलेबस पर आधारित ऑनलाईन कक्षाओं का नियमित आयोजन तथा विषय विशेषज्ञों के वीडियो लेक्चर्स एवं अन्य पठनीय सामग्री राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध करायी जा रही है ।

- राज्य सरकार के **आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत** 02 इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा 05 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है ।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिये राशि रूपये 150 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है ।
- संचालनालय के अधीनस्थ समस्त शासकीय/स्वशासी तकनीकी शिक्षण संस्थानों राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ई-लायब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य पूर्ण किया जाना है ।
- ऑनलाईन कक्षाओं के प्रभावी संचालन एवं विद्यार्थियों के सतत् मूल्यांकन एवं सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के लिये वर्तमान में उपलब्ध ऑनलाईन प्लेटफॉर्म/तकनीकी के प्रशिक्षण हेतु IIT Indore/IIM Indore में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने है ।
- आत्मनिर्भर- म.प्र. के अतंर्गत संचालनालय तकनीकी शिक्षा में कैरियर एवं प्लेसमेन्ट सेल की स्थापना की जाना है ।

स्वास्थ्य

8.32 टीकारकरण अभियान :वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के दौरान छूटे गये टीकाकरण सत्रों को "कवर" करने के लिये विशेष टीकाकरण चेकअप के 7 चरण (मई से नवम्बर 2020) आयोजित किये गये।उक्त चरण प्रत्येक माह की 20-30 तारीखों के बीच, कुल 7 कार्यदिवसों (रविवार, अवकाश एवं नियमित टीकाकरण दिवसों को छोडकर) में आयोजित किये गये। जिनमें कुल 1.29 लाख टीकाकरण सत्र आयोजित कर, 4.59 लाख बच्चों तथा 1.42 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया।

8.33 मातृ स्वास्थ्य :मातृ स्वास्थ्य का उददेश्य गर्भवती महिलाओं को सम्मानजनक प्रसूति सेवायें उपलब्ध कराना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करना है। अत: आवश्यक जीवन चक्र आधारित रणनीति अपनाकर गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

विभाग के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर एस.आर.एस. 2015-17 में 188 से कम होकर एस.आर.एस. 2016-18 में 173 प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। प्रदेश में संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्येश्य से 1561 स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रसव केन्द्रों के रूप में चिन्हित किया गया है जिसके विरुद्ध, 1313 प्रसव केन्द्रों में प्रसव हो रहे हैं।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 179 स्वास्थ्य संस्थाओं को चिन्हांकित किया गया जिसमें 50 सिविल अस्पताल तथा 129 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्मिलित है। कार्यक्रम के त्वरित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक चिन्हांकित संस्था पर क्वालिटी सर्कल का गठन सहयोगी संस्था का सहयोग एवं प्रत्येक संस्था पर एमएच कॉओर्डिनेटर एवं लक्ष्य नोडल अधिकारी का नामांकन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रत्येक संस्था पर नियमित रूप से मानिटरिंग सुनिश्चित करने का दायित्व इंटरनल असेसर्स को दिया गया वर्ष 2019-20 में 75 संस्थाओं को लक्ष्य अंतर्गत चिन्हित किया गया जिसमें 12 संस्थाओं को राष्ट्रीय प्रमाणीकरण तथा 62 संस्थाओं का राज्य स्तरीय प्रमाणीकरण हो गया है।

प्रदेश में 11 जिला चिकित्सालय एवं 5 मेडिकल कॉलेज में ऑब्सटेट्रिक आईसीयू जटिलताओं के प्रबंधन हेतु स्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है।

स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओ के कौशल में वृद्धि करने हेतु स्किल्स लैब प्रदेश के 5 संभाग में संचालित है,जिसका विस्तार कर 2 नवीन स्किल्स लैब उज्जैन एवं सागर में स्थापित किये जा रहे है।

8.34 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नवजात शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख लक्ष्य है। प्रदेश की वर्तमान शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म है।

8.35 शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख अभियान संचालित हैं :-

1. दस्तक अभियान:- वर्ष 2020-21 में दस्तक अभियान के अतंर्गत कुल 64.23 लाख 05 वर्ष से छोटे बच्चों की चिकित्सकीय स्क्रीनिंग की गयी हैं । जुलाई, अगस्त 2020 में कुल 64.23 लाख बच्चों (9 माह से 5 वर्ष तक) को विटामिन "ए" की खुराक पिलाई गई तथा 79114 गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार किया गया तथा

प्रदेश के रीवा एवं ग्वालियर में गंभीर चिकित्सकिय जटिलता वाले 1040 बच्चों तथा एम्स भोपाल में 310 गंभीर जटिलता कुपोषित बच्चों का उपचार किया गया वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक कुल 23028 बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्तीकर प्रबंधन किया गया है।

2. एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम :- प्रदेश में वर्ष 2020-21 में नवम्बर 2020 तक एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 19 वर्ष के कुल 1.13 करोड़ बच्चो, व किशोर/किशोरियों को आयरन अनुपुरण से लाभान्वित किया गया है।

3. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर :- प्रदेश में सम्पूर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधायें प्रदाय करने की दृष्टि से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपस्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जा रहा हैं। इन केन्द्रों को आरोग्यम नाम दिया गया 7027 सेंटर्स को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें कुल 4326 केन्द्र क्रियाशील हैं । प्रदेश के 39 कार्यक्रम अध्ययन केन्द्रों पर 1620 नर्सिंग स्नातक, कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण जिसमें कम्युनिटी ऑफिसर के रूप में उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थ किया गया हैं। वर्ष 2020-21 में 54.4 लाख रोगियों का रक्त चाप, डायबिटिज एवं कैन्सर हेतु परीक्षण किया गया हैं।

8.36 रेफरल ट्रांसपोर्ट के प्रमुख अभियान :- इस प्रणाली के अंतर्गत कुल 606, 108 - एम्बुलेंस वाहन संचालित हैं । जिसका टोल फ्री नम्बर 108 द्वारा केन्द्रीय एकीकृत कॉल सेंटर से किया जा रहा हैं, जिसका मुख्यालय जिला स्तर पर एक एडवांस लाईफ सपोर्ट वाहन उपलब्ध हैं । जिसके प्रदेश में बेसिक लाईफ सपोर्ट स्तर के 556 वाहन संचालित हैं । वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 8.47 लाख तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक 5.05 लाख मरीजों को आपातकालीन स्थिति में परिवहन किया गया ।

1. चलित अस्पताल : प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य 44 जिलों में 150 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित हैं। चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियों का परीक्षण, नि:शुल्क उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण, परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवायें दी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 25.89 लाख तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक कुल 17.83 लाख हितग्राहियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाये प्रदान की गई है।

2. जननी एक्सप्रेस योजना : एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत जननी एक्सप्रेस वाहनों को 108 कॉल सेंटर से एकीकृत कर 108 एम्बुलेंस सेवा की भॉति ऑनलाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की गई हैं। केन्द्रीय एकीकृत 108 कॉल सेंटर के माध्यम से 796 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं जिसके द्वारा वर्ष 2019-20 में कुल 13.02 लाख तथा वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक कुल 9.93 लाख हितग्राहियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई है ।

8.37 पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम :- प्रदेश में क्षय मरीजों के उपचार एवं निदान हेतु प्रदेश में क्षय केन्द्र 314 टी.बी.यूनिट एवं 838 डी.एम.सी. (माईक्रोस्कोपिक) स्थापित हैं । इसमें 73 सी.बी.नॉट मशीन संचालित एवं 01 सी.बी.नॉट मोबाइल वैन संचालित हैं। एक्स.डी.आर. मरीजों के निदान हेतु 10 जिलों में एक्स.डी.आर.टी.बी. सेंटर स्थापित किये गये । वर्ष 2020 में 1.34 लाख टी.बी. मरीजों की खोज की जाकर उपचार किया गया । टी.बी. मरीजों हेतु राशि रूपये 500 प्रतिमाह उपचार निदान तक पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान हैं ।

8.38 राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारियों एवं स्टाफ नर्स द्वारा जिला चिकित्सालय में मनकक्ष क्लिनिक के माध्यम से मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। गंभीर मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सालय इन्दौर, ग्वालियर अथवा मेडिकल कॉलेज के मानसिक रोग विभाग में रैफर किया जाता है।

वर्ष 2019-20 तक 1.04 लाख से अधिक मरीजों का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तर पर अवलोकन किया गया एवं इनमें से 55.23 हजार मरीजों की पहचान कर चिकित्सकों द्वारा उपचार प्रदान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 10 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन प्रदेश के समस्त जिलों में किया गया इस दिन जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, रैलियों का आयोजन, व्याख्यान एवं समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु नाटकों का मंचन किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान प्रदेश भर में 2987 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया एवं 1.01 लाख पैम्पलैट का वितरण जागरूकता लाने हेतु किया गया ।

8.39 जननी सुरक्षा योजना :- मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना का आरंभ किया गया ।योजनांतर्गत शासकीय अस्पताल में प्रसव कराने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिला को राशि रूपये 1400/- एवं शहरी क्षेत्र की महिला को रूपये 1000/- की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में माह अप्रैल से नवम्बर 2020 तक कुल 6.43 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।

8.40 सुमन कार्यक्रम :- राज्य स्तर स्तरीय इंटीग्रेटेड कंमाड कंट्रोल सेंटर तथा जिला स्तर पर 6 मेडिकल कॉलेज तथा 51 जिला चिकित्सालय में सुमन हेल्प डेस्क का संचालन कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों की ट्रेकिंग कर उचित समय पर प्रबंधन करने हेतु फॉलोअप किया जा रहा है तथा शिकायत निवारण की व्यवस्था की जा रही है।

पेयजल व्यवस्था

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैंडपंप एवं नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराता है। प्रदेश की 1.29 लाख बसाहटों में लगभग 5.57 लाख हैण्डपंपों एवं 16.38 हजार नलजल प्रदाय योजनायें हैं, जिसके माध्यम से 1.08 लाख बसाहटों में निर्धारित 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध करवाकर पूर्णत: आच्छादित किया गया है। प्रदेश की लगभग 20.56 हजार बसाहटों में वर्तमान में 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध है। जिसे बढ़ाकर 55-70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में एक करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आगामी 04 वर्षो में उपलब्ध कराया जाना है। इस वर्ष 26 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक लगभग 9.11 लाख कनेक्शन दिये गये है एवं कार्य प्रगति पर है ।

एकल ग्राम नल-जल योजनाओं में 7904 ग्रामों में लागत राशि रूपये 4742.42 करोड़ स्वीकृत की है तथा 4428 ग्रामों की 11 समूह नल-जल योजनायें लागत रूपये 6126.04 करोड़ स्वीकृत की है। इन सभी स्वीकृत योजनाओं की निविदायें भी आमंत्रित कर ली गई है। इन योजनाओं से लगभग 32 लाख घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त होगें।

प्रदेश के 1473 ग्रामों तथा 100 पंचायतों को शत-प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर दिये गये है। 12881 शालाओं तथा 6284 आंगनबाड़ियों में नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। शेष स्कूल एवं आंगनबाड़ियों में 31 मार्च 2021 तक नल से जल उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

श्रम

श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं औद्योगिक क्षेत्र में शान्तिपूर्वक कार्य संचालन एवं विवाद निराकरण श्रम विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी है। वर्ष 2020-21 में औद्योगिक अशांति के कारण 6 विवाद उत्पन्न हुए एवं 25.31 हजार मानव दिवसों की हानि हुई।

8.41 ग्रामीण श्रमिको के लिए न्यूनतम मजदूरी :कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करके कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। अक्टूबर, 2020 से जारी दरें 6826.00 रूपये प्रतिमाह अथवा 228.00 रूपये प्रति दिन दरों को मार्च, 2021, तक के लिये जारी किया गया है।

8.42 बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन **बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016,** मई 2016 से लागू की गई है। इस योजना में शतप्रतिशत-अंश केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जाता है।

योजना में पुरुष बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु रूपये 1.00 लाख बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रूपये 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रूपये 3.00 लाख प्रावधानित है। बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु प्रति जिला राशि रूपये 4.50 लाख, राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रूपये 10.00 लाख तथा मूल्यांकन अध्ययन हेतु रूपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। नवीन योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं-:

(अ) प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें रूपये 10.00 लाख की स्थायी निधि रहेगी, जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि रूपये 20 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। निधि में बंधक श्रमिकों के नियोजकों से प्राप्त होने वाले दण्ड की राशि जमा की जायेगी। इस निधि में से किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा में जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

(ब) उक्त योजना के प्रकाश में प्रथमतया सभी जिलों में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि गठन करने पर निम्नानुसार CORPUS FUND का गठन किया गया है। जिसके तहत जनजागरण हेतु राशि रूपये 10.00 लाख की राशि केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जावेगी।

8.43 बाल श्रम : राज्य में बाल श्रम कुप्रथा के उन्मूलन हेतु वर्ष 2019-20 में नवम्बर, 2020 तक बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत 1317 बाल श्रमिक विमुक्त कराये गये एवं 348 उल्लंघनकर्ता नियोजकों के विरूद्ध अभियोजन दायर किये गये। राज्य में 9 जिलों में राष्ट्र बालश्रम परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालय संचालित है, जिनके अंतर्गत 159 विशेष प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है।

बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.06.2017 को जारी संशोधित नियम लागू किये गए :-

नियम 2 अ-अधिनियम के उल्लंघन में बालकों एवं कुमारों के नियोजन के संबंध में जागरूकता - (क) लोक और पारंपरिक माध्यम तथा जनसंपर्क के माध्यम का उपयोग करके लोक जागरूकता अभियानों का प्रबंध करेगी, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, रेडियो, इंटरनेट और प्रिंट मीडिया है, ताकि साधारण पब्लिक, जिसके अंतर्गत बालकों एवं कुमारों, जिन्हें अधिनियम के उपबंधो के उल्लंघन में नियोजित किया गया हो, के नियोक्ता है, को अधिनियम के उपबंधो के विषय में जागरूक किया जाए जिससे कि नियोक्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को बालकों एवं कुमारों को अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजित करने से हतोत्साहित किया जा सके। इस कार्य हेतु 20.00 लाख रूपये बजट राशि प्राप्त हुई।

धारा 14- ख - (1) एवं (2) बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि - राज्य सरकार सभी जिले अथवा दो या अधिक जिलो में बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि की स्थापान करेगी जिसमें ऐसे जिलो की अधिकारिता के भीतर बालक और कुमार के नियोजक से वसूली की गई रकम जमा करेगी।

राज्य सरकार ऐसे बालक या कुमार के लिये जिसके लिये उपधारा(1) के अधिन जुर्माने की रकम जमा की गई है ऐसे निधि में 15.00 हजार रूपये के रकम जमा करेगी। उक्त कार्य हेतु प्रदेश के सभी जिलो हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का बजट प्रदान किया गया है।

रोजगार

8.44 पंजीयन : राज्य स्थित 52 रोजगार कार्यालयों में वर्ष 2019 में 8.47 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया था। वर्ष 2020 की अवधि में लगभग 6.11 लाख आवेदकों का पंजीयन किया गया। रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2019 के अंत में 31.67लाख थी, जो वर्ष 2020 के अंत में घटकर 24.72 लाख हो गई। गत वर्ष की तुलना में 21.95 प्रतिशत की घटोत्तरी दर्शाती है।

8.45 शिक्षित बेरोजगार : राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगार आवेदकों की संख्या वर्ष 2019 के अंत में 29.33 लाख थी जो वर्ष 2020 के अंत में 21.31 प्रतिशत घटकर 23.08 लाख हो गई है। वर्ष 2019 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगार आवेदकों का प्रतिशत 98.91 था जो वर्ष 2020 के अंत में घटकर 93.37 प्रतिशत हो गया।

रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगार आवेदकों में से रोजगार दिलाये गये आवेदकों की संख्या वर्ष 2019 के अंत में 360 थी जो बढ़कर वर्ष 2020 के अंत में निजीक्षेत्र में नियुक्ति हेतु चयनित आवेदकों की संख्या 3605 हो गई है।

8.46 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : मध्यप्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2020 में 3605 आवेदकों का नियुक्ति हेतु चयन कराया गया जिनमें 116 महिलायें 731 अनुसूचित जाति एवं 342 अनुसूचित जनजाति के आवेदक शामिल हैं, जबकि पूर्व वर्ष 2019 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से 360 आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.47 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2020 की स्थिति में राज्य में नियमित कुल 647795 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें कार्यभारित, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवारों, संविदा के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया है। कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 554991, राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 47028, नगरीय स्थानीय निकायों में 34957, ग्रामीण स्थानीय निकायों में 5290, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 829 एवं विश्वविद्यालय में 4700 कर्मचारी कार्यरत हैं ।

8.48 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में 01 जनवरी 2021 तक कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 7119 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 659249 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.49 प्रधानमंत्री आवास योजना) ग्रामीण : (योजना का कदम सभी आवासरहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 2019-20 में लक्ष्य 6.00 लाख आवास के विरुद्ध 4.06 लाख आवास पूर्ण कराये गये। वित्तिय वर्ष 2020-21 के लक्ष्य 6.25 लाख के विरूद्ध 3.57 लाख आवास पूर्ण कराये गये । राज्य में 50265 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें 9000 महिलाऐं शामिल है। भारत निर्माण कौशल विकास परिषद के माध्यम से 23416 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

8.50 मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) -

- मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत राज्य आजीविका मिशन का प्रारंभ वर्ष 2012 से हुआ है। भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तीय पोषित आजीविका मिशन का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- स्व-सहायता समूहों से निर्धन ग्रामीण परिवारों को जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लक्ष्य 4.20 लाख परिवारों के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 2.74 लाख परिवारों को 24660 महिला स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- स्वसहायता समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण प्रदाय करने के लक्ष्य राशि रूपये 1400 करोड़ के बैंक ऋण के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 46207 समूहों को रूपये 599.00 करोड़ का ऋण दिलाया गया।
- ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के वार्षिक लक्ष्य 90,000 युवाओं के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 44490 युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए ।
- कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-सहायता समूह सदस्यों द्वारा 1.23 करोड़ से अधिक मास्क, 1.16 लाख सुरक्षा किट (पी.पी.ई.किट) 100883 लीटर सैनेटाईजर, 18376 लीटर हैंडवाश, एवं 2.39 लाख साबुन बनाए एवं विक्रय किये गये ।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत लगभग 8.52 लाख पंजीकृत प्रकरण है । जिसमें से 43.06 हजार पथ विक्रेताओं को ब्याज मुफ्त ऋण वितरण किया गया है।

8.51 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम : योजना ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष में रोजगार की मांग करने पर 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करती है जिसमें हितग्राही मूलक निर्माण कार्य जैसे पात्र वर्ग के कृषकों को सिंचाई हेतु कपिलधारा कूप खेत तालाब, आजीविका कार्य में पशुशेड, बकरी शेड, कुक्कुट शेड, वृक्षारोपण बंधान आदि कार्य किये जाते है। सामुदायिक मूलक कार्य में खेल मैदान, शांतिधाम, नदी पुर्नजीवन, नवीन तालाब आदि कार्य किये जाते है।

- मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत सक्रिय जॉबकार्डधारी परिवार के वयस्क सदस्यों जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो उन्हें सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2020-21 में 2850 लाख मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किय गया था जिसके विरूद्ध 2367.02 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं जो निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि का 83.05 प्रतिशत है। मजदूरी पर 4351.77 करोड़ लाख एवं सामग्री पर 1304.97 करोड़ व्यय किया जाकर विभिन्न श्रेणियों के लगभग 5.04 लाख निर्माण कार्य पूर्ण किये गये जिसमें प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर 73.53 प्रतिशत व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45.77 लाख परिवारों के 84.19 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस वर्ष 1.35 लाख परिवारों को योजनांतर्गत 100 दिवसों का रोजगार दिया गया जो कि पूर्व इसी अवधि दिये गये रोजगार से 3 गुना है।

8.52 चारागाह परियोजना :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 993 स्वीकृत होकर, 789 में बोआई प्रारंभ की जाकर 160 पूर्ण किये गये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 760 स्थल चिन्हित किये गये, 174 की प्रशासकीय स्वीकृत प्राप्त होकर 50 में बुआई कार्य पूर्ण तथा 116 कार्य प्रगतिरत है। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत दैनिक श्रमिक नियोजन में मध्यप्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है ।

8.53 गौशाला परियोजना :- गौशाला परियोजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2000 गौशाला निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त के विरूद्ध गौशाला निर्माण की 1112 कार्य प्रगति पर हैं। प्रदेश में निर्मित 522 गौशालाओं के संचालन का कार्य स्व-सहायता समूह को दिया गया है जिसमें गौकाष्ठ एवं गौ उत्पादों के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का कार्य दिया जा रहा है ।

8.54 मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम :मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सभी प्राथमिक/माध्यमिक शासकीय शालाओं, शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं, बालश्रम परियोजना की शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्र से सहायता प्राप्त मदरसों में क्रियान्वित किया जाता हैं । लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में पका हुआ रुचिकर एवं पौष्टिक भोजन वितरित किया जाता है । कार्यक्रम के प्रमुख उद्येश्य निम्नानुसार हैं :-

- शिक्षा का लोकव्यापीकरण
- दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि
- उपस्थिति में निरंतरता
- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार

वर्ष 2020-21 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह, नवम्बर 2020 :- प्रदेश में वर्ष 2020-21 में लक्षित शालाओं के 47.60 लाख विद्यार्थियों को लांभावित करने का लक्ष्य था। कोविड-19 महामारी के कारण शालाये बन्द होने से विद्यार्थियों के घर तक खादयान्न पहुॅचाया गया तथा विद्याथियों और अथवा उनके पालको के खाते में भोजन पकाने कि लागत राशि हस्तांतरित की जाकर कुल 66.27 लाख विद्यार्थियों को लांभावित किया गया।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1100.67 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विरुद्ध राशि रुपये 497.66 करोड़ व्यय किया गया तथा 2.12 लाख रसोईयों को राशि रूपये 42.00 करोड़ प्रतिमाह मानदेय का भुगतान कोरोना काल में किया जा रहा है ।

अभिनव प्रयास :-

- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं भुगतान में समयबद्धता लाने हेतु मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम पोर्टल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से रसोइयों के मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खाते में तथा संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को शालावार खाद्यान्न आंवटन किया जा रहा है ।
- प्रदेश के 1.07 लाख लक्षित शासकीय शालाओं में एल.पी.जी. गैस उपलब्ध कराये गये हैं जिससे मध्यान्ह भोजन तैयार किये जाने वाले किचन-शेड्स को धुआं मुक्त किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 1767 किचिन शेड्स निर्माण किये गये है ।
- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** : राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना का उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनपतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले की क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। साथ ही प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत, अधोसंरचनागत, संस्थागत विकास भी करना है। अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों, जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष

सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है। ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकि अमला तथा सक्षमता प्रदान करना है। ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना का भी निर्माण किया जाना इसका उद्देश्य है।

- **सांसद आदर्श ग्राम योजना :** उक्त योजना विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से चलायी जा रही है । माननीय सांसदों द्वारा ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है । इसके अंतर्गत अब तक 98 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है ।
- **मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजनांतर्गत** वर्ष 2019-20 में 49 सरोवर की लागत राशि रूपये 5962.58 लाख एवं 12 प्रशिक्षण सह संग्रहण केन्द्र-आजीविका भवन की लागत राशि रूपये 273.00 लाख एवं 56 सामुदायिक भवन लागत राशि रूपये 937.50 लाख तथा 49 अन्य निर्माण कार्य राशि रूपये 387.64 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये है।
- वर्ष 2020-21 में 11 सामुदायिक भवन लागत राशि रूपये 175.00 लाख तथा 445 सी.सी. रोड निर्माण पुलिया निर्माण कार्य लागत राशि रूपये 3320.79 लाख के स्वीकृत किये गये है ।
- **पुरस्कार योजना** भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण योजना (मूल्यांकन वर्ष 2018-19) वर्ष 2020 में जिला पंचायत नीमच एवं मंदसौर, जनपद पंचायत आलोट एवं होशंगाबाद एवं ग्राम पंचायत भडबडिया, मरामाधों, तुमरी, पोटलोड, बाबईखुर्द, सन्द्रियाल, पनवार चौहान, पाडलिया मारू, केनसर, मुगली, बरखेड़ी नानाजी देखमुख राष्ट्रीय गौरवा ग्राम सभा पुरस्कार ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी जिला सागर को पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत अभियान प्रांरभ से अब तक 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्मित हुये । घरों में शौचालय की सुविधा के साथ प्रदेश के समस्त जिलों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाकर 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है । अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। द्वितीय चरण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को ओडीएफ प्लस बनाना है इस हेतु ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु चरणबद्ध ढंग से **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति** बनाई जा रही है जिससे समूचे प्रदेश में शुद्ध वातावरण का निर्माण हो सके एवं गोकाष्ठ परियोजना को क्रियान्वयन किया जाना है ।

नगरीय विकास

राज्य की योजनायें : शहरी क्षेत्र में रोजगार

8.55 दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है। यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है। जिसमें क्षमता संवर्धन, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा संस्थागत विकास के द्वारा शहरी गरीबों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है ।

यह योजना वर्ष 2011 से जनगणना के आधार पर अक्टूबर 2013 से प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है। वर्तमान में 378 शहरों में लागू है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :

8.56 योजना के प्रमुख घटक :

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास ।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से
- स्वरोजगार कार्यक्रम
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 8.9 निम्नानुसार है :

तालिका 8.9

शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति

(रुपये लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1	सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास	2019-2020	स्वसहायता समूह का गठन-4000	गठित स्वसहायता समूह-3269
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		आवेदको को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य -56790	कुल प्रशिक्षित आवेदक-16851
3	स्वरोजगार कार्यक्रम		व्यक्तिगत ऋण- 10000	व्यक्तिगत वितरित ऋण - 4421
1	सामाजिक एकजुटता एवं संस्थागत विकास	2020 -2021 (माह जनवरी, तक)	स्वसहायता समूह का गठन-1750	गठित स्वसहायता समूह-2652
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार।		आवेदको को प्रशिक्षण प्रदाय करने का लक्ष्य-29900	कुल प्रशिक्षित आवेदक-12137
3	स्वरोजगार कार्यक्रम		व्यक्तिगत ऋण- 5000	व्यक्तिगत वितरित ऋण - 341

राज्य शासन की नवीन योजनायें

8.57 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि योजना) : कोविड-19 महामारी के दौरान शहरी नगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग पथ विक्रेताओ का रहा है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इनकी आजीविका पर सर्वाधिक असर पड़ा है और इनकी आमदनी समाप्त हो गई है। कोविड़-19 महामारी में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये तथा इन पथ विक्रेताओ के कार्य को गति प्रदान करने के लिये भारत सरकार के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि) जून 2020 से प्रारंभ की गई है।

माह जनवरी 2021 तक पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत 3 लाख 64 हजार शहरी पथ विक्रेताओं द्वारा पोर्टल पर ऋण हेतु आवेदन कर दिया गया है इनमें से 2 लाख 48 हजार ऋण आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत व 2 लाख 21 हजार शहरी पथ विक्रेताओं को 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। पथ विक्रेताओं का पंजीयन कार्य प्रगति पर है, प्रदेश में योजनांतर्गत 5 लाख पात्र शहरी पथ विक्रेता चिन्हित किये जा चुके है।योजना अंतर्गत देश में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है।

8.58 मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना :यह योजना वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ की गई है। योजना अंतर्गत केवल कृषक पुत्री/पुत्र को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उद्यम स्थापित करने हेतु परियोजना लागत रूपये 50.00 हजार से रूपये 2.00 करोड़ तक की सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत की 15.20 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। ब्याज अनुदान परियोजना लागत का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम रूपये 5.00 लाख प्रतिवर्ष) उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13 हितग्राहियों को 46.98 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है ।

8.59 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना : शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी, 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना प्रारंभ की गई है । उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत 2.00 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2019-20 में 324 हितग्राहियों को ई-रिक्शा में राशि रूपये 626.97 लाख तथा 17 हितग्राहियों को ई-लोडर में राशि रूपये 56.99 लाख का वितरण कर लाभान्वित किया गया ।

8.60 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना :योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत50 .00 हजार रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत की 15.50 प्रतिशत राशि मार्जिन मनी अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2019-20 में 12657 हितग्राहियों को राशि रूपये 5702.13 लाख की सहायता उपलब्ध करायी गई थी वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक 493 हितग्राहियों को राशि रूपये 285.98 लाख की सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है ।

8.61 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 50.00 हजार से अधिकतम 10.00 लाख रूपये तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 15-30 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की एवं महिला उद्यमी हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकम 7 वर्षों तक (अधिकतम राशि रूपये 25 हजार) उपलब्ध कराया जाता है वर्ष 2020-21 में 1.00 हजार हितग्राहियों को राशि रूपये 1820.09 लाख की सहायता उपलब्ध कर लाभान्वित किया गया ।

केन्द्रीय योजनायें :-

8.62 प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अभी तक सभी 378 निकायों में परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है । स्वीकृत परियोजनाओं में 7.27 लाख आवासीय इकाईयों की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है, जिनमें से 2.20 लाख आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है एवं शेष पर निर्माण की कार्यवाही प्रचलित है । योजना अवधि में कुल 11.52 लाख आवासीय इकाईयां बनाया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त 74.38 हजार हितग्राहियों को योजना के क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम घटक से भी लाभान्वित किया गया है।

8.63 अटल नवीनकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं औंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि रूपये 6459.78 करोड़ की परियोजना क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया गया है । वर्तमान में भारत सरकार से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त कुल राशि रूपये 2396.29 करोड़ प्राप्त हो चुकी है । जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है । अभी तक 115 परियोजनाओं पर राशि रूपये 1795.43 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। परियोजनाओं के क्रियान्वयन में वर्तमान तक राशि रूपये 4103.71 करोड़ का व्यय हुआ है। शहरी सुधार कार्यक्रम पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा कुल राशि रूपये 156.33 करोड़ की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है।

8.64 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी):- मध्यप्रदेश के समस्त निकाय 2 अक्टूबर 2017 को खुले में शौच (ओ.डी.एफ.) से मुक्त घोषित किया जा चुका है। खुले में शौच से मुक्त के अगले चरण में 234 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस तथा 107 निकाय ओ.डी.एफ. डबल प्लस घोषित किये जा चुके है। राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य विकेन्द्रीकृत मॉडल पर किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समस्त निकायों को कचरा वाहन प्रदान किये गये हैं। ठोस अपशिष्ट पृथक्करण हेतु निकायों में मटेरियल रिकवरी फेसीलिटी का निर्माण कराया गया है। निकायों में कचरे से खाद बनाने तथा मल शोधन हेतु संयंत्रों की स्थापना किया जा रहा है। कचरा रहित शहरों में इन्दौर देश में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में विभिन्न श्रेणियों में प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुये।

8.65 स्मार्ट सिटी मिशन :- इस योजना के तहत 392 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 7217.91करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं । 188 प्रोजेक्ट लागत राशि रूपये 11305 करोड़ के कार्य आदेश जारी किये जा चुके है। 81 प्रोजेक्ट लागत राशि रुपये 5517.39 करोड़ के निविदा प्रक्रिया में है।10 प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि रुपये 192.48 करोड़ की डी.पी.आर. स्वीकृत हो चुकी है। 55 प्रोजेक्ट अनुमानित लागत राशि रुपये 2091.41करोड़ की डी.पी.आर. बनाए जाने की प्रक्रिया में है ।

भारत सरकार के India Smart City Award 2020 के द्वितीय चरण हेतु छः स्मार्ट सिटी क्रमश:- भोपाल इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान एवं इंदौर स्मार्ट सिटी को चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है तथा देश में स्टेट स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्यप्रदेश राज्य को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

समस्त स्मार्ट सिटी शहरों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा महामारी की रोकथाम एवं बचाव से संबंधित कार्य एवं समन्वय के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कॉल सेंटर के रूप में प्रभावशाली कार्य किया गया।

8.66 मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना :-

- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत राशि रूपये 1800.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
- रूपये 1800.00 करोड़ में राशि रूपये 360 करोड़ (20 प्रतिशत) अनुदान एवं 1440.00 करोड़ (80 प्रतिशत) ऋण है ।
- वर्तमान तक नगरीय निकायों को निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

क्र.	विवरण	कुल प्रावधानित राशि (करोड़ रूपये)	स्वीकृत राशि (करोड़ रूपये)
1	नवगठित नगरीय निकायों के अधोसंरचना विकास एवं कार्यालय भवन	150.00	150.00
2	अधोसंरचना विकास संबंधी राज्य सरकार की घोषणाएं	400.00	400.00
3	योजना के प्रथम चरण में शेष एवं अन्य शहरों में अधोसंरचना विकास, यथा मार्ग निर्माण/उन्नयन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पार्किंग एवं यातायात सुधार कार्य, धरोहर संरक्षण, नगरीय सौन्दर्यीकरण, पर्यटन विकास कार्य, खेल मैदानों का विकास, आमोद-प्रमोद संरचनायें, हाट बाजारों का विकास कार्य, नवीनीकरण, पार्क, ग्रीन लंग्स का विकास तथा सामुदायिक महत्व की अधोसंरचनायें	950.00	950.00
4	राज्य स्तरीय स्मार्ट सिटी अधोसंरचना विकास	300.00	300.00
		1800.00	**1800.00**

- 378 नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास योजना के कार्यो की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें 473 परियोजनाओं में नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर की राशि रूपये 1800.19 करोड़ की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है ।
- 92 परियोजनाओं को कार्य अप्रारंभ होने से निरस्त किया गया है तथा दो परियोजना में संशोधन किया गया है।
- 382 परियोजनाओं में निकायों को वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें अधिकांश निकायों में कार्य प्रगतिरत है।
- प्रदेश के 14 शहरों (अमरकंटक, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, मुंगावली, गुना, सीधी, सिंगरौली, दतिया, गंजबसौदा रतलाम, पन्ना शिवपुरी एवं चंदिया) को मिनी स्मार्ट के अंतर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- रूपये 360.00 करोड़ अनुदान में से राशि रूपये 338.44 करोड़ अनुदान वर्तमान तक निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है।

- इलाहाबाद बैंक से राशि रूपये 244.40 करोड़ ऋण उपलब्ध कराया गयाहै। 170 परियोजनाओं हेतु राशि रूपये 384.01 करोड़ केनरा बैंक से विमुक्त कराया गया है।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही हैं । बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं उन्हें कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन 453 बाल विकास परियोजनाओं मे कुल 84.47 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12.67 हजार मिनी ऑगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

8.67 पूरक पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार पर व्यय की जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है ।

हितग्राही	01-04-2018 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रू-8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अति कम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रू. 12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता एवं किशोरी बालिका	रू. 9.50 प्रति हितग्राही प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री महिलायें :** प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एग्रो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन पोषण आहार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है ।

  कोविड़ -19 के दौरान आंगनवाडी केन्द्र पर बच्चो की उपस्थिति बंद रखी गई है। इस दौरान सभी बच्चों को साप्ताहिक रूप से रेडी टू ईट (RTE) का प्रदाय किया जा रहा है।

- **3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे :** शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन साप्ताहिक मीनू के अनुसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिया जा रहा है।

- **6 माह से 6 वर्ष तक के अति कम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील:** 6 माह से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन तथा मंगलवार गुरूवार एवं शनिवार को नाश्ता दिये जाने का प्रावधान है।

- **3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय:** आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगबाड़ी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को 100 एम.एल. मीठा सुगन्धित स्किम्ड फ्लेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है।

- 17 सितम्बर 2020 से 6 माह से 6 वर्ष तक के मध्यम कुपोषित एवं गभीर कुपोषित सभी बच्चो को प्रतिदिन 10 ग्राम की मात्रा अनुसार माह में 25 दिवस 250 ग्राम के दूध पैकेट पाउडर रूप में दुग्ध संघ के माध्यम से प्रदाय किया जाता है।

8.68 किशोरी बालिका योजना : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित जिलों में किशोरी बालिका योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है ।

8.69 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन :प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा पांच वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार करने के उद्देश्य से मिशन प्रांरभ किया गया है, ताकि वर्तमान में प्रदाय की जा रही पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं और उनके सभी घटकों जैसे- वित्तीय संसाधनों का सही और उचित समय पर उपयोग, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने आदि के सुदृढ़ीकरण पर भी ध्यान दिया जा सके। वर्ष 2020 हेतु मिशन के लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण एवं रणनीति का अनुमोदन अटल बिहारी बाजपेयी बाल आरोग्य मिशन की साधारण सभा द्वारा निम्नानुसार किया गया।

क्र.	विवरण	एन.एफ.एच.एस.4	अटल बाल मिशन में वर्ष 2020 हेतु निर्धारित लक्ष्य
1	5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर	65	40
2	सामान्य से कम वजन वाले बच्चों का प्रतिशत	42.8	30
3	गंभीर कुपोषण (SAM) का प्रतिशत	9.2	<5

मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling के माध्यम से सेवाओं का सुदृढीकरण किया जा रहा है।

8.70 MAM कार्यक्रम :- इसके अंतर्गत गैर चिकित्सीय जटिलता वाले गंभीर कुपोषित बच्चों का पोषण प्रबंधन परिवार स्तर पर समुदाय द्वारा एवं चिकित्सीय जटिलता वाले बच्चों का प्रबंधन संस्था आधारित NRC में किया जा रहा है।

सुपोषित परिवार-पोषित मध्यप्रदेश अंतर्गत लगभग 62.50 हजार बच्चों का प्रति तिमाही पोषण प्रबंधन किया जाना है। इसमें परिवार की सहभागिता सुनिश्चित करने एवं परिवार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में परिवार की महिला सदस्य के खाते में दो किस्तों में प्रति किस्त राशि रूपये 200/- का प्रदाय किया जाना है। गंभीर कुपोषित बच्चें की श्रेणी में सुधार होकर मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी में आने पर प्रथम किश्त 200 रूपये एवं मध्यम गंभीर कुपोषित श्रेणी से सामान्य श्रेणी में सुधार होने पर द्वितीय किश्त 200 रूपये प्रदाय की जायेगी।

8.71 वन स्टॉप सेन्टर) सखी (योजना : इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधायें जैसे-अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्तमान में राज्य के सभी जिलो में वनस्टॉप सेंटर स्थापित कर संचालित किये जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर 23.87 हजार महिलाऐं/बालिकाऐं पंजीकृत कर सहायता प्रदाय की गई।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा स्टॉप सेन्टर संचालन एवं भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 4.24 करोड़ सीधे जिलो को प्रदाय की गई थी, जिसमें से राशि रूपये 0.86 करोड़ व्यय की गई है एवं 7 जिलो में शासकीय भवन पूर्ण किये जा चुके है।

8.72 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा घरेलू हिंसा के प्रकरण दर्ज किये जाने हेतु 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी/ वरिष्ठ पर्यवेक्षक) नियुक्त किये गये हैं।

8.73 स्वाधार आश्रयगृह योजना : कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय, पोषण, वस्त्र, स्वास्थ्य सुविधा, कानूनी सलाह सहायता व अन्य आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराते हुए उनके पुर्नवास की व्यवस्था हेतु भारत सरकार महिला बाल विकास द्वारा स्वाधार आश्रयगृह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में निराश्रित, विधवांए, जेल से छूटी हुई महिला कैदी, प्राकृतिक विपदाओं से निराश्रित हुई महिलाएं, अनैतिक व्यापार में लिप्त महिलाएं, हिंसा से पीड़ित मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं आदि

आश्रयगृह में आवास सुविधा सहित पोषण एवं पुर्नवास का लाभ पाती है। इस योजना में जमीन, भवन निर्माण/ किराया राशि गृह की व्यवस्था, परामर्श सेवा, पुर्नवास हेतु आर्थिक गतिविधि एवं प्रशिक्षण के लिए राशि दिये जाने का प्रावधान है। 14 जिलों में 16 स्वाधारगृह संचालित है। वर्तमान में 200 से अधिक महिलाएं एवं 50 बच्चें निवासरत है। योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार की राशि 60:40 के अनुपात में व्यय की जाती है। वर्ष 2019-20 में योजना पर रूपये 240.87 लाख व्यय किए गये। वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना हेतु 250.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.74 लाड़ली लक्ष्मी योजना :- बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है। योजनांर्गत बालिका के नाम से शासन की ओर से 1.18 लाख का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसमें बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर या कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर 1.00 लाख रूपये का अंतिम भुगतान किया जायेगा यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो। लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में 3.40 लाख नवीन बालिकाओं का पंजीयन किया गया जिसके विरूद्ध 3.31 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 921.48 करोड़ के आवंटन के विरूद्ध राशि रूपये 718.95 करोड़ का व्यय किया गया । इसी अवधि में लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में प्रवेशित 1.72 लाख पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति का वितरण किया गया।

8.75 समेकित बाल संरक्षण योजना :- कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न विभागों के तहत संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केन्द्रीय रूप से सम्मिलित कर प्रारंभ की गयी है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार , सर्वेक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालिका की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन भी मुख्य घटक है।

समेकित बाल संरक्षण योजना के उददेश्य :-

- अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढीकरण
- सभी स्तरों पर क्षमतायें बढ़ाना

- बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डेटावेस और ज्ञान आधार सृजन करना
- परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण
- सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना

समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रबंधन व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई (एस.जे.पी.यू.) विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड बाल संरक्षण समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और बाल संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यर्पित बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुनर्वास हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवांए प्रदाय की जा रही है।

8.76 संस्थागत एवं गैर संस्थागत सेवाएं :- संस्थागत सेवाऐ में विभिन्न गतिविधियां जैसे विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण, बालगृह, खुला आश्रयगृह, संप्रेक्षणगृह एंव विशेषगृह कार्य योजनाओं संचालित की जाती है। गैर संस्थागत सेवाओं में दत्तक ग्रहण पालन-पोषण देखभाल, स्पांसरशिप योजना एवं पश्चात्वर्ती देखभाल के कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

महिला वित्त एवं विकास

महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं के हित के लिए निम्नांकित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

8.77 तेजिस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक अवसरों का भरपूर उपयोग करने के लिए सशक्त करना है। अंतराष्ट्रीय कृषि विकास कोष के सहयोग से योजना

प्रदेश के 6 जिले डिण्डैरी, मण्डला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर एवं टीकमगढ़ में क्रियान्वित की जा रही है। जिलों का चयन आदिवासी बाहुलता, व्यापक गरीबी तथा महिलाओं की स्थिति में असमानता के आधार पर किया जाता है । सामुदायिक संस्था का विकास, सूक्ष्म वित्तीय सेवायें, आजीविका एवं उदयम विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय व समानता योजना के प्रमुख घटक है।

योजना से जुड़ने के पश्चात 80 प्रतिशत महिलाओं की आय में बढ़ोत्तरी हुई है तथा 60 प्रतिशत परिवारों में भोजन उपलब्धता बढ़ी है। तेजस्विनी कार्यक्रम अन्तर्गत 6 जिलों के 45 विकासखंडो के 2707 ग्रामों में 16.75 हजार स्व-सहायता समूह के माध्यम से 2.09 लाख महिलाये संगठित है। वर्ष के दौरान स्व-सहायता समूहो द्वारा स्वयं की बचत 46.24 करोड़ रूपये की गई है। समूहो द्वारा 76.92 करोड़ रूपयो का आन्तरिक लेन देन किया गया। तेजस्विनी महिलाओं की औसत मासिक आय 163 प्रतिशत बढ़ी है। जबकि इस योजना से जुडने के पश्चात 63 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हैं। पंचायती राज व्यवस्था में तेजस्विनी की महिलाओं के प्रतिनिधित्व में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है साथ ही महिलाओं के पारिवारिक सम्पति में 10 प्रतिशत के विरूद्ध 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

8.78 आदिवासी महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण योजना:- योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। मण्डला जिले के विकासखण्ड निवास में कुल 1470 महिलाओं के साथ राई एवं रामतिल की आधुनिक पद्धति से कृषि विपणन एवं आईल एक्सपेलर यूनिट की स्थापना की गई है। जिला बालाघाट के क्षेत्र गढ़ी में आदिवासी महिलाओ के साथ अलसी क्रय विक्रय व रोस्ट यूनिट की स्थापना की गयी है ।

8.79 संवेदना कार्यक्रम : निगम द्वारा जाबाली योजना के अंतर्गत संवेदना कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेडिया, बॉछडा, साँसी, जाति की महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है व इन जाति में प्रचलित कुरीतियों को हतोत्साहित करना है।

8.80 डिंडोरी के 9 विकासखंडों में उन्नत कृषि:- योजनांतर्गत आदिवासी विभाग द्वारा जिले में 4.5 हजार आदिवासी महिला कृषकों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जिसमें 9 तेजस्विनी महिला महासंघ की 500 आदिवासी महिला सदस्य को शामिल कर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

8.81 ममत्व मेला: मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम द्वारा स्व-सहायता समूहो/विभिन्न महिला समूहों तथा ग्रामीण /शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई गई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए बड़े शहरों में ममत्व मेला (म.प्र. महिला त्वरित विकास) का आयोजन किया जाता है। मेले के माध्यम से महिला उद्यमियों, विशेष तौर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों को सीधे शहर में बेचने का अवसर मिलता है। इससे महिलाओं में रोजगारोन्मुखीकरण के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है।

कन्जरवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर के अंतर्गत वर्तमान में मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा 4500 बैगा आदिवासी महिलाओं के साथ जिला डिण्डौरी में कोदो कुटकी उत्पादन प्रसंस्करण इकाई बाजार उपलब्ध कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम अर्न्तगत 4500 एकड़ भूमि में कोदो कुटकी की खेती की जाती है। संघों द्वारा न्युट्री बिस्किट बेकरी कोदो प्रोसेसिग यूनिट का संचालन किया जा रहा है एवं निर्मित उत्पादन को महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो, पर्यटन विकास निगम एवं खुले बाजार में सप्लाई किया जाता है।

अनुसूचित जातियों का विकास

इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाऐं संचालित कर रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है। इसी अनुपात में राज्य की कुल आयोजन का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजन के नियंत्रण के लिए अनुसूचित जाति विभाग नोडल विभाग है।

अत्याचार निवारण: अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलो में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है। 10 ऐसे जिले जहां उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये है वहां प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त पक्ष समर्थन के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

शिक्षा के क्षेत्र में गतिविधियां : विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 571 जूनियर छात्रावास) कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु115 (3 सीनियर छात्रावासों) कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु (संचालन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 4 छात्रावास संचालित किये जा रहे है। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित है। इन समस्त छात्रावासों में 99.35 हजार विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

तालिका 8.10
अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जुनियर छात्रावास	256	12008	315	16107	571	28115
2	सीनियर छात्रावास)उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रो सहित(	633	30168	520	25354	1153	55522
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	2800	10	2800	20	5600
	योग	**1007**	**50746**	**926**	**48606**	**1933**	**99352**

छात्रावासों में रहने वाले बालकों को रूपये1230 एवं बालिकाओं को रूपये 1270 प्रतिमाह शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है।

अस्वच्छ धंधो में कार्यरत परिवारों के बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना ।

राज्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है:

कक्षा	छात्रावासी विद्यार्थि (10 माह हेतु)	गैर छात्रावासी विद्यार्थि (10 माह हेतु)
1से 10	-	2250/- छात्रवृत्ति + 750/- सहायक अनुदान
3 से 10	7000/- छात्रवृत्ति + 1000/- सहायक अनुदान	-

वर्ष 2019-20 में कुल राशि रूपये 586.80 लाख का व्यय राज्य छात्रवृत्ति में किया जाकर 100057 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया तथा वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 672.00 लाख बजट प्रावधान किया जाकर वितरण स्कूल शिक्षा द्वारा किया जा रहा है।

8.82 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण :प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले)जहां मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुंची है (में विद्युत लाइन विस्तार करने संबधी योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से यह योजना अनुसूचित बस्ती विकास में समाहित अनुसार कुल 522 कार्य स्वीकृत किये जाकर राशि रूपये 5126.96 लाख का व्यय किया गया तथा वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 8000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

8.83 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों क निर्माण : वर्तमान में कुल 1933 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है, जिनमें से 459 संस्थाऐं भवन विहीन है। वर्ष20 20-21 में भवन निर्माण में राशि रूपये 50.00 करोड़ का बजट प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 12.20 करोड़ का व्यय किया गया है। जिससे 5 छात्रावास तथा ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया गया है।

8.84 अनुसूचित जाति के कृषकों के कुंओं तक विद्युत लाईन का विस्तार विकासः प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम 2018 के तहत् संशोधित योजनाओं का संचालन किया जाता है। आर्थिक रूप में विपन्न, लघु एवं सीमांत अनुसूचित जाति के कृषक गण अपने छोटे-छोटे खेतों की सिंचाई करने के लिए अपने कुंओं तक विद्युत लाईन लेने में असमर्थ रहते हैं। इस कमी को दूर करने के लिये राशि प्रदाय की जाती है, जिससे कुंओं तक विद्युत लाईन पहुंच सकें ।

वर्ष 2019-20 में बजट प्रावधान राशि रूपये 4000.00 लाख के विरूद्ध 1702.47 लाख का व्यय कर लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2000.00 लाख का बजट प्रावधान किया है।

8.85 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2019-20 में किए गए उल्लेखनीय कार्य :

- **मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना:-** मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 3233 हितग्राहियों को 31 मार्च 2019 तक स्वरोजगार प्रकरणों में लाभांवित कर राशि रूपये 16458.34 लाख ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया।

- **मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना:-** योजनांतर्गत 3723 हितग्राहियों को प्रशिक्षित किये जाकर राशि रूपये 583.03 लाख व्यय वर्ष 2019-20 में किया गया।

- **मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना:-** इस योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में 2304 हितग्राहियों के प्रकरणों में स्वरोजगार स्थापित करने हेतु राशि रूपये 1378.77 लाख ऋण अनुदान वितरित किया गया है।

- **विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति:-** वर्ष 2019-20 में 40 विद्यार्थी विभिन्न देशों के शिक्षण संस्थाओं से लाभान्वित हुये जिन पर 871.57 लाख रूपये व्यय किया गया है। वर्ष 2020-21 में 11 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर दिसम्बर 2020 तक राशि रूपये 508.00 लाख व्यय किया गया है।

- **परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र:-** वर्ष 2019-20 में 7 संभागीय मुख्यालयों में कुल 1240 अभ्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण दिया गया है।

- **विद्यार्थी आवास सहायता योजना:-** गत वर्ष प्रवेशित रहे 4840 हजार विद्यार्थियों को राशि रूपये 7274.00 लाख का भुगतान कर लाभान्वित किया गया । वर्ष 2020-21 में माह जनवरी, 2020 तक ऑनलाईन के माध्यम से 75.00 हजार विद्यार्थियों को लाभांवित कर लिए राशि रूपये 6000.00 लाख का व्यय किया गया ।

- **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना:-** वर्ष 2019-20 में संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में सफल 28 अभ्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

- **सिविल सेवायें आई.ए.एस., आई.पी.एस. की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग:-** वर्ष 2019-20 में 100 विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश हेतु चयन किया गया जिसमें 89 विद्यार्थियों पर राशि रूपये 208.09 लाख व्यय हुये।

- **अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना:-** वर्ष 2019-20 में 742 युगल को योजनांतर्गत रूपये 1592.40 लाख राशि वितरित की गई तथा वर्ष 2020-21 में माह दिसम्बर 2020 तक 598 युगल को लाभांवित कर राशि रूपये 1196.00 लाख वितरित की गई।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाऐं प्रमुख हैं । विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए भी योजनाऐं संचालित की जा रही है ।

जनगणना 2011 अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी का 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है । इन जनजातियों के विकास हेतु 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाऐं 05 मध्यम परियोजनाऐं 30 माड़ा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत है । प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड है ।

वर्ष 2019-20 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है-:

8.86 शैक्षणिक संस्थायें : प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही है । शिक्षा में सुधार लाने के लिये इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है । वर्ष 2019-20 का विवरण **तालिका 8.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 8.11

आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान

संस्था का नाम	**संख्या**
प्राथमिक शालाएं	22913
माध्यमिक शालाएं	6788
हाई स्कूल	1133 (731 विभागीय 402 RMSA)
उ.मा.वि.	860
आदर्श आवासीय उ.मा.वि.	08
कन्या शिक्षा परिसर	54
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	64
क्रीड़ा परिसर	16
जूनियर छात्रावास	198
सीनियर छात्रावास	980
आश्रम शालाएं	1083
उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास	216
महाविद्यालयीन छात्रावास	152

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर कक्षा 6वीं से 8वीं तक 60 रुपये मासिक एवं 9वीं से कक्षा 11वीं तक 130 रुपये मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। कक्षा 10वीं से 11वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रवेशित बालिकाओं को राशि रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कक्षा 11वीं हेतु प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित की जा रही है। वर्ष 2019-20 में 37.50 हजार कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 2281.50 लाख की राशि पुर्नविनियोजन कर लोक शिक्षण को हस्तांतरित की जा रही है।

8.87 राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को तथा कक्षा 6 से 10 तक के बालक-बालिकाओं को, दस माह हेतु निम्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जिसका विवरण **तालिका 8.12** में दर्शाया गया है-:

तालिका 8.12

अनुसूचित जनजाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

कक्षा	बालक /वार्षिक	बालिका /वार्षिक
1 से 5	250/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए(	250/-
6 से 8	200/-	600/-
9 से 10	600/-	1300/-

जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है उन विद्यार्थियों के लिए केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक योजना भी संचालित है साथ ही गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों के दिव्यांग कक्षा 9 से 10 तक के अंध दिव्यांग को परिवहन भत्ता, गंभीर रूप से 30 प्रतिशत अधिक को परिवहन भत्ता 1600 रूपये दिया जाता है । मानसिक दिव्यांग के लिये 2400 रूपये भत्ता दिया जाता है ।

8.88 पोस्टमैट्रिक एवं महाविद्यालयीन छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत): शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को रूपये 2.50 लाख से अधिक की आय सीमा होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी, किन्तु केवल पूर्ण शुल्क की पात्रता हो ।

अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु जिनके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक होने पर निर्वाह भत्ते की पात्रता नहीं होगी। रूपये 2.50 लाख से 6.00 लाख तक की आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु देय निर्धारित से शिक्षण शुल्क सहित नान रिफन्डेबल अनिवार्य शुल्क की आधी राशि का भुगतान किया जावेगा ।

8.89 विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 50 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है ।

वर्ष 2019-20 में 05 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाकर राशि रूपये 197.75 लाख व्यय किये। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 220.00 लाख का प्रावधान है ।

8.90 क्रीड़ा परिसर : आदिवासी बच्चों के खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये प्रदेश में 100 सीटर कुल 24 आवासीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 18 बालकों के लिए तथा 06 बालिकाओं के लिए हैं। इंदौर में विशिष्ट क्रीड़ा परिसर संचालित है जिसमें 200 सीट स्वीकृत है। वर्तमान में 16 क्रीड़ा परिसर संचालित है ।

वर्ष 2019-20 में 272 खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय एवं 518 खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर पदक प्राप्त किये गये हैं।

राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता हैः-

(राशि रूपयों में)

	राष्ट्रीय स्तर (एकल)	**राज्य स्तर(सामूहिक)**	**राज्य स्तर पर शाला**
प्रथम स्थान	21000	10000	7000
द्वितीय स्थान	15000	7000	5000
तृतीय स्थान	11000	5000	3000

8.91 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधाऐं यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़क, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण, आदि उपलब्ध कराना है।

वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 10000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 8064.13 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 1074.81 लाख व्यय किये गये है ।

8.92 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु नवीन सायकिल प्रदाय योजना: योजनांतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी के जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय नहीं की गई है तथा जिन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 2 किमी से अधिक की दूरी तय करनी पड़ती है, ऐसी बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में 1025 बालिकाओं को लाभान्वित कर राशि रूपये 32.72 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2020-21 में 900 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.93 मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार योजना : इस योजना में दो प्रकार की पुरूस्कार योजनाऐं संचालित हैं :-

- **शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरूस्कार योजना** : माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (सी.बी.एस.ई.) एवं इंडियन सर्टिफिकेट एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) अंतर्गत आदिवासी वर्ग की प्रावीण्य सूची के कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं के 52-52 बालक/बालिकाओं को जिला स्तर पर रूपये 1000/- एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। जिन विद्यार्थियों को शंकर शाह एवं रानी दुर्गावती पुरस्कृत प्राप्त हो गया है। उन्हें यह पुरस्कार देय नहीं होगा। वर्ष 2018-19 में राशि 8.59 व्यय की जाकर 13 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना:** 12वीं बोर्ड परीक्षा में विज्ञान संकाय में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं गणित विषय के अंकों को ही आधार मानकर इन विषयों के प्राप्तांक मानकर सर्वाधिक अंक से न्यूनतम 90 प्रतिशत की सूची में 10 जनजाति वर्ग की बालिकाओं को राशि रूपये 50.00 हजार के मान से पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2020-21 में भी राशि रूपये 15.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

8.94 विद्यार्थी कल्याण : अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1.	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोशाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	3000/-
2.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
3.	असामयिक विपत्ति	-	25000/-
4.	कैंसर, टी.बी .हृदय रोग आदि	-	10000/-
5.	मृत्यु होने पर	-	25000/-

वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 33.88 लाख राशि व्यय की जाकर 5.58 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2020-21 हेतु राशि रूपये 10.00 लाख प्रावधानित है।

8.95 आवास भत्ता सहायता योजना /छात्रगृह योजना : इस योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए संभाग स्तर पर रूपये 2.00 हजार प्रति विद्यार्थी तथा जिला स्तर पर प्रति विद्यार्थी रूपये 1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय पर रूपये 1.00 हजार प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 12000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 62.81 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया तथा एम.पी टास के माध्यम से द्वितीय किश्त में 30.24 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 15000.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 70.00 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है ।

8.96 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना - राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया हैं। योजनांतर्गत विभिन्न स्तरो पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है -:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर — रूपये 40.00 हजार
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर — रूपये 60.00 हजार
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर — रूपये 50.00 हजार

उपरोक्तानुसार प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की पात्रता के लिए आय सीमा का बंधन नहीं होगा ।

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए - (अभिभावकों की आय राशि रूपये 8.00 लाख अधिक न हो) तथा दूसरी बार उत्तीर्ण होने पर 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

- प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर — रूपये 20.00 हजार
- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर — रूपये 30.00 हजार
- साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर — रूपये 25.00 हजार

वर्ष 2019-20 में 53 विद्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रूपये 10.70 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान कर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.97 अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग -:

- अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी संघ लोकसेवा आयोग की विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, इस हेतु दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग दिलाये जाने हेतु अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के लिए निजी कोचिंग योजना स्वीकृत की गई है।

- अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये हों को उक्त योजनांतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

वर्ष 2019-20 में 56 अभ्यार्थियों को लाभान्वित कर राशि रूपये 214.18 लाख व्यय किये गये एवं वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 500.00 लाख का प्रावधान के विरूद्ध 100 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.98 पिछड़ा वर्ग कल्याण :राज्य में वर्तमान में 93 जाति /उपजाति /वर्ग समूहों को पिछड़ी जातियों के रूप में शासन द्वारा मान्य किया गया है। इन जातियों के शैक्षणिक उन्नयन, रोजगार मूलक प्रशिक्षण एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें क्रियान्वित कर लाभान्वित किया जा रहा है। योजनायें निम्नानुसार हैं :

8.99 राज्य छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति पिछडा वर्ग के उन विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरंतर विद्याध्ययन के लिये प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है जिनके अभिभावक आयकरदाता की सीमा में नहीं आते हैं या दस एकड़ से अधिक कृषि भूमि धारक नहीं हैं। छात्रवृत्ति की जानकारी निम्नानुसार हैं :-

प्रतिमाह दर (दस माह हेतु)

कक्षा	बालक	बालिका
6 से 8	रु. 20.00	रु. 30.00
9 एंव 10	रु. 30.00	रु. 40.00

वर्ष 2019-20 में कुल राशि रुपये 190.00 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है, जिसके विरुद्ध के 27.21 लाख विद्यार्थियों को राशि रु. 135.56 करोड़ की राज्य तथा कक्षा 11वीं एंव 12वीं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रु. 170.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर माह नवम्बर, 2020 तक कुल राशि रूपये 170.00 करोड़ स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है। जिसके विरूद्ध छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है।

8.100 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति :पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठयक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरो पर प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 3.00 लाख से कम हो। वर्ष 2019-20 में 3.87 लाख विद्यार्थियों को राशि रुपये 580.81 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 511.40 करोड़ के बजट का प्रावधान किया जाकर 4.50 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह नवम्बर, 2020 तक 2.49 लाख विद्यार्थियों को कुल राशि रूपये 325.23 करोड़ की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है।

8.101 राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र (पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) : पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों को 350 रूपये प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति एवं निशुल्क आवास सुविधा तथा पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तांकों की वरीयता के आधार पर किया जाता है। वर्ष201 9-20 में राशि रूपये 112.86 लाख के आवंटन विरूद्ध राशि रूपये 70.74 लाख व्यय किये गये है तथा कुल 116 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये। साथ ही 4 अन्य प्रशिक्षणार्थी विविध शासकीय सेवाओं में चयनित हुये है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रुपये 1.06 करोड का प्रावधान किया गया है, जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2020 तक रुपये 70.00 लाख व्यय किये गये। वर्तमान में 116 प्रशिक्षणार्थियों को ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

8.102 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में से पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को रूपये 1 लाख, द्वितीय स्थान पाने वाले को रूपये 50 हजार एवं तृतीय स्थान

पाने वाले को रूपये 25 हजार की राशि पुरस्कार में दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1.75 लाख का व्यय कर 03 अभ्यार्थियों को प्रतिभा पुरस्कार राशि वितरित की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपयें 1.75 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.103 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण **तालिका 8.13** में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.13
प्रोत्साहन राशि

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रूपये में	
	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	**100000**	**50000**

वर्ष 2019-20 में 60अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर राशि रूपये 12.70 लाख की राशि व्यय की गई है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 58.00 लाख का प्रावधान किया जाकर नवम्बर, 2020 तक 5 अभ्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई। इस पर राशि रूपये 3.25 लाख व्यय किया गया है ।

8.104 पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है। योजनान्तर्गत 10वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रूपये 5 हजार, 12 वी के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है । वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 15.28 लाख प्रावधान के विरूद्ध 19.90 लाख व्यय कर 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15.30 लाख का प्रावधान किया गया है। इससे 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.105 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : पिछड़ा वर्ग के चयनित विदयार्थियों को विदेशों स्नात्तकोत्तर पाठयक्रमों, शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिवर्ष 50 विद्यार्थियों को लाभन्वित करने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1300.00 लाख प्रावधान के विरूद्ध 35 विद्यार्थियों पर राशि रूपये 1274.65 लाख व्यय की गई । वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 1200.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध नवम्बर, 2020 तक राशि रूपये 831.69 लाख व्यय किये जाकर 30 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.106 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : प्रदेश में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि उद्योग व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 2019-20 में कुल राशि रूपये 586.75 लाख बजट अप्राप्त हुआ ।

8.107 पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गांरटी योजना) : इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 15.00 करोड़ प्रावधान से गत वर्ष के शेष प्रशिक्षण पूर्ण किये गये वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया । किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नही किये गये है।

8.108 राम जी महाजन महात्मा ज्योतीबाफुले एवं सावित्रीबाई फुले स्मृति पुरस्कार : योजना में प्रतिवर्ष पिछड़े वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरूष सम्मिलित होते है प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ति पत्र से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 14.55 लाख के प्रावधान किया गया था किन्तु आयोजन न होने के कारण कोई व्यय नही हुआ है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 14.55 लाख का प्रावधान किया गया है।

8.109 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो, के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत् 2 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की

प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के भवन का मासिक किराया प्रति छात्र 1000/- की दर से निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 56.96लाख व्यय की गई है तथा 917 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों को छात्र गृह में प्रवेश नही दिया गया है।

8.110 पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास निर्माण : केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 में जिला उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवन का निर्माण प्रगति पर है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 570.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध नवम्बर, 2020 राशि रूपये 100.15 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तातंरित की गई है ।

8.111 पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना की गई है। जिला शाजापुर में 50 सीटर जबलपुर में 500 सीटर, दमोह में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक

कन्या छात्रावासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2020-21 में कुल राशि रूपये 1200.00 लाख का प्रावधान किया गया है।जिसके विरूद्ध नवम्बर 2020 तक राशि रूपये 270.60 लाख निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**
  अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की है जिसमें (1) शहीद अशफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खां पुरस्कार (3) मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। प्रत्येक पुरस्कार की राशि रूपये 1 लाख है। इसमें 03 समाज सेवियों को पुरूस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 46.38 लाख का प्रावधान किया गया है। किन्तु आयोजन न होने के कारण राशि व्यय नही हुई है। वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 46.38 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना)** - अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 280.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 1400 अभ्यार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1.45 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
- **म.प्र में हज कमेटी** - भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण कराया गया है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में 180.59 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रूपये 178.09 लाख व्यय की गई है । वर्ष 2019 में 5875 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 186.90 लाख का प्रावधान है।
- **प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम** - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 600.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाऐं

8.112 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध पारसी एवं जैन) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना मे अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

योजनांतर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 2896 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 माह नवम्बर, 2020 तक 1350 विद्यार्थियों को लाभांवित करने का लक्ष्य है।

8.113 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो, उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 में कुल 34756 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 7500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया हैं ।

8.114 प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत् अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये से अधिक न हो । वर्ष 2019-20 में कुल 1.70 लाख विद्यार्थियों को योजनांतर्गत लाभान्वित किया गया। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 20.00 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रखा गया हैं ।

सामाजिक न्याय

8.115 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : प्रदेश में वर्ष 1981 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत जो म.प्र. का मूल निवासी हो, 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध,18 वर्ष से 79 वर्ष की आयु की विधवा महिलायें जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों,18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो, वर्ष 6 से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के नि:शक्त व्यक्ति जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, लाभान्वित होंगे। उक्त को दी जाने वाली पेंशन दिनांक 1 सितंबर 2016 से **'दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि'** के नाम से दी जा रही है। 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांगजन जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है। वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंत:वासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो वह अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहे हो उन्हें इस योजनान्तर्गत एक अप्रैल, 2019 से योजनांतर्गत राशि रूपये 600 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले के नेत्र संक्रमित 58 हितग्राहियों को राशि रूपये 5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019-20	87936.84	87936.84	2346906
2020-21 (नवम्बर 2020)	89874.97	74050.47	2523507

वर्ष 2019-20 में निराश्रित निधि से राशि रूपये 74147.50 लाख एवं वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक राशि रूपये 41249.33 लाख व्यय किया गया है।

8.116 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रदेश में अप्रैल, 2009 से प्रारंभ की जाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के नि:शक्तजनों को भारत सरकार के मद से राशि रूपये केन्द्रांश 300/- एवं राज्यांश मद से 300/- कुल राशि 600 प्रति हितग्राही प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा है । यह राशि दिनांक 1 अप्रैल 2019 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के निर्धारित स्टेट केप के अतिरिक्त 8.21 हजार हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019-20	6824.35	6630.42	99924
2020-21 (नवम्बर 2020)	7302.92	4442.33	99924

वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक निराश्रित निधि से राशि रूपये 862.25 लाख व्यय किया गया है।

8.117 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है । योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । योजनान्तर्गत परिवार के 60 वर्ष से 79 वर्ष के हितग्राहियो को राशि रूपये 200/- केन्द्रांश तथा 400/- राज्यांश सम्मिलित कर कुल राशि रूपये 600/- एवं 80 वर्ष से अधिक बी.पी.एल परिवारों को केन्द्र सरकार द्वारा राशि रूपये 500/- तथा राशि रूपये 100/- राज्यांश कुल राशि 600/- प्रति माह प्रति हितग्राहियों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । राज्य शासन द्वारा फरवरी 2019 से सभी पेंशन माह मार्च 2019 से रूपयें 600/- के मान से स्वीकृत की जाकर मार्च पेड अप्रैल 2019 से पेंशन प्रदाय किये जाने के निर्देश दिये है। भारत सरकार के निर्धारित स्टेटकेप के अतिरिक्त 5.83 लाख हितग्राहियों को शासन की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के आवंटन से लाभांवित किया जा रहा है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**हितग्राही**
2019-20	102983.87	101701.85	15,69,627
2020-21 (नवम्बर 2020)	114353.32	72928.59	15,69,627

वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक निराश्रित निधि से राशि रूपये 11831.26 लाख व्यय किया गया है।

8.118 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ इस योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- एवं राशि रूपये

केन्द्राश 300/- राज्य सरकार द्वारा कुल रूपये 600/- प्रतिमाह प्रतिहितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है । राज्य शासन द्वारा माह मार्च पेड अप्रैल 2019 से पेंशन भारत सरकार के निर्धारित स्टेट केप के अतिरिक्त 4.61 हितग्राहियों सामाजिक सुरक्षा निधि पेंशन योजना से लाभांवित किया जा रहा है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**हितग्राही**
2019-20	36122.00	35547.42	5,36,412
2020-21 (नवम्बर 2020)	39201.32	23344.95	536412

वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक निराश्रित निधि से राशि रूपये 5132.23 लाख व्यय किया गया है।

8.119 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है, की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को एक मुश्त सहायता प्रदान करना है। यह केन्द्रीय योजना है, योजना को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य शासन की है । परिवार के कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रूपये 20.00 हजार की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	**आवंटन**	**व्यय**	**हितग्राही**
2019-20	5901.17	4285.71	21428
2020-21 (नवम्बर 2020)	5901.17	2717.45	13587

8.120 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब,जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु **"मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना"** 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई है।

- मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनांतर्गत दिनांक 14/10/2019 द्वारा संसोधन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनांतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थिति अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को राशि रूपये 3000.00 प्रति कन्या के मान से तथा शेष राशि रूपये 48000.00 संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा कराई जायेगी ।
- आदिवासी अंचलों में जनजातियों में प्रचलित विवाह प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाह में कन्या विवाह सहायता राशि दी जायेगी ।
- शासन द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतंर्गत कन्या विवाह सहायता की राशि का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है ।
- इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना दिनांक 06/04/2018 के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक आयु की कल्याणियों को विवाह सहायता हेतु राशि रूपये 2.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019-20	25506.17	20291.25	42011
2020-21 (नवम्बर 2020)	15000.00	8223.65	14900

8.121 मुख्यमंत्री निकाह योजना : वर्ष 2012 से प्रारंभ इस योजना में गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ही राशि रूपये 3000/- प्रति कन्या के मान से शेष राशि रूपये 48000.00 संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में जमा की जाती है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019-20	1159.37	1015.73	3049
2020-21 (नवम्बर 2020)	1159.00	648.77	1350

8.122 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : यह योजना 1 अप्रैल 2013 से प्रारभं की गई है। 1 अप्रैल 2019 से योजनांतर्गत हितग्राहियों को रूपये 600/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन दिये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नि में से किसी की भी एक आयु 60 वर्ष या उससे अधिक आयु हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, तथा हितग्राही आयकरदाता न हो।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2019-20	3867.47	3439.92	57790
2020-21 (नवम्बर 2020)	3867.47	1898.56	59867

वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक निराश्रित निधि से राशि रूपये 906.44 लाख व्यय किया गया है।

8.123 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों एवं व्यक्ति को आर्थिक सहायता : मध्यप्रदेश के सभी 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित दिव्यांग व्यक्ति को राशि रूपये 600/- प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है । योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है। यह योजना दिनांक 18.06.2009 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर 2020 तक 75.68 हजार हितग्राही लाभान्वित हुए।

8.124 दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना : योजना में दम्पत्ति में कोई एक के दिव्यांग होने पर रूपये 2.00 लाख एवं दोनों नि:शक्त होने पर रूपये 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है । पात्रता हेतु दम्पति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन विवाह प्रोत्साहन योजना दिनांक 18-08-2008 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर, 2020 तक 935 हितगाही लाभान्वित हुए है । इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अन्त्येष्टि सहायता योजना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का क्रियान्वयन एवं नशाबंदी कार्यक्रम संचालित है।

अध्याय 09

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं : मध्यप्रदेश राज्य में 11 केन्द्रीय जेल, 41 जिला जेल, 73 सब जेल एवं 06 खुली जेल कुल 131 जेल संचालित है। इन जेलों की कुल अधिकृत बंदी आवास क्षमता **28659** बंदियों को रखे जाने की है, जबकि दिनांक 30 नवम्बर,, 2020 की स्थिति में 44758 बंदी परिरुद्ध हैं।

विभागीय उपलब्धियां:-

9.1 छिन्दवाड़ा में नया जेल कॉम्पलेक्स एवं इंदौर में नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण:- छिन्दवाड़ा में नया जेल कॉम्पलेक्स (संकुल) के निर्माण हेतु राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा राशि रूपये 224.68 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन्दौर में नवीन केन्द्रीय जेल निर्माण हेतु मंत्री परिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रथम चरण में राशि रूपये 208.68 करोड़ में से राशि रूपये 60.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई।

9.2 पर्सपेक्टिव प्लान :- भिंड में नई जेलों का निर्माण कराया जा रहा हैं, जिसमें भिंड जेल का कार्य अंतिम सौपान पर हैं ।

9.3 खुली जेल कॉलोनी:- केन्द्रीय जेल भोपाल में मार्च, 2019 को खुली जेल प्रांरभ की गई। शासन द्वारा केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर परिसर में 20 बंदियों हेतु खुली जेल के निर्माण के लिए राशि रूपये 227.50 लाख की स्वीकृति अक्टूबर, 2019 को प्रदान की गई ।

9.4 ई-प्रिजन कार्यक्रम:- प्रदेश की 40 केन्द्रीय, जिला एवं सब जिलों में ई-प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 299.00 लाख उपलब्ध कराई गई है ।

9.5 बंदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जाना:- प्रदेश की समस्त जेलों को उनके संबंधित न्यायालयों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। सभी जेलों की बंदियों की पेशी एवं सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा रही हैं ।

9.6 पैरोल प्रकरण :- जनवरी 2020 से 8 अक्टूबर 2020 तक 3790 (अपील/पश्चातवर्ती) पैरोल प्रकरणो का निराकरण किया गया है। साथ ही आपात महामारी के दौरान लगभग 3800 बंदियों को छुट्टी पर छोडा गया।

इसी प्रकार कोरोना महामारी में प्रदेश की 22 बड़ी जेलो में मास्क बनाये जा रहे है, जिसका उपयोग जेलो के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ-साथ बंदियों द्वारा किया जा रहा है। तथा जेलों में लगभग 1.50 लाख मास्क विभिन्न विभागों को प्रदाय किये गये है।

पुलिस विभाग :

9.7 बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा (सी.सी.टी.व्ही.) :- बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आतंकियों, जेहादियों एवं अन्य आपराधिक तत्वों पर सतत् निगरानी हेतु आधुनिक तकनीकि पर आधारित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सर्विलान्स सिस्टम प्रतिस्थापित कराये जाना है जिसके तहत् प्रथम चरण में प्रदेश के 11 बड़े शहरों में तथा द्वितीय चरण में 50 मध्यम व छोटे शहरों में सीसीटीवी सर्विलान्स सिस्टम प्रतिस्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश के कुल 61 शहरों में प्रमुख चौराहों पर लगभग 2000 लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाये गये हैं तथा भोपाल में आधुनिकतम राज्य स्तरीय कण्ट्रोल रूम (सेफ सिटी मॉनीटरिंग एण्ड रिस्पॉन्स सेण्टर/**SCMRC**) भी स्थापित कराया गया है। वित्तीय वर्ष **2020-21** में राशि रूपये **24.26** करोड़ का बजट प्रावधान हुआ है। जिसमे से 30 नवम्बर 2020 की स्थिती में 13.41 करोड़ का व्यय किया हुआ है।

9.8 मुख्यमंत्री पुलिस आवासीय योजना : शासन द्वारा मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25000 आवासगृहों को 05 वर्षो में बनाये जाने हेतु रूपये 5726.25 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रतिवर्ष 5000 आवास प्रारंम्भ करने के लिये वर्ष 2017-18 में रूपये 1055.62 करोड़, वर्ष 2018-19 में रूपये 1056.23 करोड़, वर्ष 2019-20 में रूपये 1223.09 करोड़, वर्ष 2020-21 में रूपये 1154.61 करोड़ तथा वर्ष 2021-22 में रूपये 1236.70 करोड़ की राशि शासन से प्राप्त होनी है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त राशि रूपये 324.00 करोड़ का बजट प्रावधान कर रूपये 166.53 करोड़ व्यय कर लिया गया है एवं शेष राशि से बचे हुये आवास गृहों का कार्य प्रगति पर है।

9.9 स्ट्रेथिंग होम लैण्ड सिक्यूरिटी सुदृढीकरण : वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक अपराध सामाजिक अपराधों के ट्रेंड में काफी परिवर्तन आने के कारण आंतरिक सुरक्षा एक गंभीर समस्या बन गई है। संगठित अपराध जघन्य मामले (वामपंथी /साम्प्रदायिक गतिविधियां) मादक पदार्थों की तस्करी एवं वन्य जीव अपराध तथा कानून-व्यवस्था अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष शाखा एंव नवीन विशिष्ट इकाइयों के लिये इंटीग्रेटेड सिक्यूरिटी कॉम्पलेक्स का निर्माण करना तथा आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यवसायिकता एवं दक्षता के उन्नयन हेतु होमलेण्ड सिक्यूरिटी के अंतर्गत प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक रूपये 51.75 करोड़ की राशि व्यय हुई है जिससे लगभग 65 प्रतिशत कार्य

पूर्ण हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रूपये 23.50 करोड़ राशि का प्रावधान हुआ था । जिसमें से राशि रूपये 20.24 करोड़ का व्यय किया गया है। तथा वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 16.11 करोड़ राशि के विरूद्ध राशि रूपये 9.01 करोड़ व्यय किये जा चूंके है।

9.10 केन्द्रीयकृत पुलिस काल सेन्टर एवं नियन्त्रण कक्ष तंत्र (डायल-100): प्रदेश की जनता को त्वरित आपातकालीन पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा 01 नवम्बर 2015 को डायल-100 योजना प्रारम्भ की गई । इस योजनांतर्गत भोपाल में 110 सीट का अत्याधुनिक डायल-100 कॉलसेंटर स्थापित है। समस्त जिलों में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित 1000 चार पहिया एफआरव्ही (टाटा सफारी) वाहन तथा 150 एफआरव्ही मोटर साइकल्सतैनात है। प्रदेश की जनता को शीघ्र पुलिस सहायता पहूँचाने हेतु डायल-100 का मोबाईल-एप भी लौच किया गया है। डायल-100 कॉलसेंटर में कॉलर्स की लोकेशन प्राप्त करने के लिये **LBS (Location Based System)** स्थापित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल बजट आवंटन राशि रूपये 149.50 करोड़ प्राप्त हुआ जिसमें से 30 नवम्बर 2020 की स्थिति में रूपये 78.22 करोड़ का व्यय हो चुका है। उक्त प्रावधानित राशि से शेष कार्य किये जावेगें।

9.11 पुलिस आधुनिकीकरण योजना : पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2018-19 के अंतर्गत राशि रूपये 561.60 लाख में से राशि रूपये 353.37 लाख से डीएनए लैब इन्दौर व डीएनए लैब भोपाल हेतु उपकरणों का क्रय किया गया है। डीएनए लैब भोपाल में परीक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष राशि रूपये 208.23 लाख से उपकरणों की खरीदी का कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही डीएनए लैब इन्दौर में परीक्षण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत आवंटित राशि रूपये 424.00 लाख से आरएफएसएल ग्वालियर में डीएनए लैब उपकरणों का क्रय किया जाने प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। शीघ्र ही डीएनए लैब् ग्वालियर में परीक्षण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

9.12 निर्भया फण्ड : वित्तीय वर्ष 2019-20 में पाक्सो एक्ट के प्रकरणों में अनिवार्य डीएनए परीक्षण हेतु निर्भया फण्ड के तहत कुल राशि रूपये 8.66 करोड़ का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जिसमें डीएनए विश्लेषण एवं संबंधित संविधाओं के लिए म.प्र सरकार को प्रथम किस्त राशि रूपये 4.33 करोड़ का आवंटन प्रदाय किया गया था। इस राशि से Next Gen Sequencing (NGS) System **का क्रया तथा डीएनए किट्स/कन्ज्यूमेब्ल्स का क्रय किया गया है।**

9.13 फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य /क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन एवं नवीन क्षेत्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना : वर्ष 2019-20 व 2020-21 में क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक/वित्तीय लक्ष्य तथा लक्ष्यों के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धियां बिन्दु अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में आरएफएसएल भोपाल में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त बजट 2.30 करोड़ की राशि से वाईस लैब, उच्च क्षमता डीएनए लैब, साइबर फोरेंसिक लैब व बैलिस्टिक्स लैब हेतु उच्च तकनीक हाईटेक काम्प्लेक्स भवन स्थापित किया गया है। डीएनए प्रयोगशाला हेतु प्राप्त आवंटन राशि रूपये 131.14 लाख से उपकरण जेनेटिक एनालाइजर का क्रय किया गया है। जिससे डीएनए परीक्षण का कार्यआरम्भ हो चुका है।

डीएनए प्रयोगशाला सागर के उन्नयन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवंटन रूपये 190.00 लाख से रूपये163.396 लाख से उपकरण जेनेटिक एनालाइजर,आरटी पीसीआर, आटोमेटेड डीएनए एक्सट्रेक्शन सिस्टम एवं पीसीआर मशीन का क्रय किया गया है, जिससे अब अधिक प्रकरणों का परीक्षण किया जा रहा है।

9.14 पुलिस लायब्रेरी का पुनर्गठन : मध्यप्रदेश पुलिस में पूर्व में पुलिस के परम्परागत पुलिस प्रशिक्षण संस्थान एवं एक अकादमी तथा राज्यस्तर पर एक ग्रंथालय स्थापित था। पुलिस की विशिष्ट इकाईयों में विशिष्ट प्रशिक्षण संस्थान गुप्तचर प्रशिक्षण शाला, दूरसंचार शाला एवं मोटरवाहन प्रशिक्षण शाला भी अस्तित्व में थी की वहॉ ग्रथालयों का अभाव था। उपरोक्त संसाधनों से प्रशिक्षणार्थियों को उनके अनुकूल पुस्तकालय वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। जिसमें सहविषयो पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर आत्मविश्वास एवं आत्मबल मे वृद्धि कर सकें एवं आम जनता के साथ ही महिला और बच्चो एवं समाज के कमजोर वर्ग से सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन कर अपने आचरण सभ्यता रखते हुये प्रदेश पुलिस द्वारा प्रतिप्रादित सत्यनिष्ठा के मूल्यो के प्रति समर्पण एवं अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सम्मानपूर्वक कर सकें। शासन की नीति के अनुसार अजा महिला

एवं गरीब बच्चों के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करने हेतु ग्रंथालय में उपलब्ध पुस्तके प्रेरित करेगी, ताकि आम आदमी के कल्याण प्रचलित विधि एवं नियमों के अनुरूप कार्य कर शासन की नीतियों को क्रियान्वित कर सकें।

9.15 नव गठिन 36 वीं भारत रक्षित वाहिनी, **विसबल**, **बालाघाट** : मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त बनाना है। मध्यप्रदेश के जिले मुख्यत: बालाघाट, मण्डला, डिण्डोरी, उमरिया, सिंगरोली आदि नक्सल समस्या से पीड़ित है। इन गतिविधियों के रोकथाम हेतु 4 अगस्त 2015 को मान. मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में

हुई केबिनेट की बैठक में विशेष भारत रक्षित वाहिनी, को बालाघाट में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। निर्णय अनुसार 36वीं भारत रक्षित वाहिनी, विसबल बालाघाट के लिये भवन निर्माण, वाहन, उपकरण, शस्त्र गोला बारूद इत्यादि की व्यवस्था किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय तक राशि में रूपये 55.05 का व्यय किया जा चुका है।

9.16 अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था :- सीसीटीएनएस गृह मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है । योजना में सम्मिलित थानों एवं वरिष्ठ कार्यालयों में सीसीटीएनएस कोर ऐप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से समस्त प्रकार के पंजीयन एवं अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रूपये 9.70 करोड़ बजट का प्रावधान था वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 5.74 करोड़ का बजट प्रावधान हुआ, जिसमें से राशि रूपये 0.02 करोड़ व्यय किया गया है।

अध्याय 10

सामाजिक आर्थिक विकास उपलब्धियां एवं चुनौतियां

सामाजिक-आर्थिक विकास : उपलब्धियां एवं चुनौतियां

प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रदेश के समाजार्थिक विकास के विभिन्न पक्षों का आकंलन करना है, एवं प्रदेश की प्रगति एवं समृद्धि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों की उपलब्धि एवं दिशा ज्ञात करना है । प्रगति का मुख्य लक्ष्य मानव विकास है । मानव विकास का लक्ष्य जहां एक और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर इंगित करता है । वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में समाज को प्रगति की ओर ले जाने में सहायता करता है । मानव संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा उसके विकास के लिए प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है ।

10.1 प्रति व्यक्ति आय :- मध्यप्रदेश एवं देश की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है।

मध्यप्रदेश एवं भारत की प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (अग्रिम)**
मध्यप्रदेश	51849	55678	62080	74324	81973	90487	103288	98418
भारत	79118	86647	94797	104880	115224	125883	134186	126968
म.प्र. की आय का भारत से प्रतिशत	65.5	64.3	65.5	70.9	71.1	71.9	77.0	77.5

वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रचलित मूल्य पर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रूपये 98418 थी, जो देश की प्रति व्यक्ति आय रूपये 126968 का 77.5 प्रतिशत है।

10.2 कृषि क्षेत्रक (Agriculture Sector) :- मध्यप्रदेश में विगत 5 वर्षों में फसलों से प्राप्त होने वाला मूल्य संवर्धन की वृद्धि दर का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (अग्रिम)
भारत	0.6	6.8	6.6	2.6	4.3	3.4
मध्यप्रदेश	- 0.4	26.2	0.2	- 0.2	11.0	4.2

* - कृषि वानिकी एवं मत्स्योद्योग शामिल है ।

आधार वर्ष 2011-12 पर आंकलित

उपरोक्त तालिका में देश एवं प्रदेश की कृषि फसलों के मूल्य संवर्धन में वार्षिक वृद्धि दर के तुलनात्मक आकडों से स्पष्ट है कि जहां राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर का उतार-चढ़ाव सीमित है, वहीं मध्यप्रदेश में वृद्धि दर मे उतार-चढ़ाव ज्यादा है। उतार-चढ़ाव का प्रमुख कारण कृषि की मानसून पर निर्भरता है। मानसून पर निर्भरता के कारण कृषकों द्वारा खेती में किए गए निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

10.3 फसल क्षेत्र - मध्यप्रदेश में वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत फसल क्षेत्र गत वर्ष की तुलना में 3.66 प्रतिशत की वृद्धि रही है ।

10.4 सिंचित क्षेत्र : प्रदेश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में वर्ष 2018-19 संशोधित में 7.48 प्रतिशत की वृ्द्धि हुई है । शुद्ध सिंचित वर्ष 2017-18 में 10565.9 हजार हेक्टर था, जो वर्ष 2018-19 में बढकर 11356.2 हजार हेक्टर हो गया है।

10.5 पेयजल व्यवस्था : प्रदेश की 1.29 लाख बसाहटों में लगभग 5.57 लाख हैंड पंपों एवं 16.38 हजार नलजल प्रदाय योजनाएं है जिसके माध्यम से 1.08 लाख वसाहटों में 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से जल उपलब्ध कराया जा रहा है1

10.6 पोषण : अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत प्रदेश के बच्चों में व्याप्त कुपोषण को रोकने तथा 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिये उचित समय पर उपयोग एवं लक्ष्य प्राप्ति के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 2020 में मिशन के लक्ष्यों का पुर्न निर्धारण कर वर्ष 2015-16 के NFHS-4 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर (UFMR) 94.2 प्रति हजार से घटकर 65 प्रति हजार हुई है इसे 40 प्रति हजार किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सामान्य से कम वजन के बच्चों की दर

60 प्रतिशत से घटकर 42.8 प्रतिशत हो गई जिसे 30 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार गंभीर कुपोषण (SAM) की दर 12.6 से घटकर 9.2 प्रतिशत हो गई है, जिसे पांच प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

10.7 शिक्षा : जनगणना के 2001 अनुसार देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रमश 64.8 :एवं 63.7 प्रतिशत थी जो जनगणना 2011 में देश एवं प्रदेश की साक्षरता क्रम : 73.0एवं 69.3 प्रतिशत रही है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सूचकांकों पर मध्यप्रदेश स्थिति निम्नानुसार है:-

- वर्ष 2019-20 की स्थिति में प्रायमरी स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात गत वर्ष के 75.9 से बढ़कर 76.2 प्रतिशत हो गया ।

- शाला त्यागी दर वर्ष 2018-19 के 2.86 से घटकर वर्ष 2019-20 (प्रा.) में 1.05 रह गई है।

10.8 स्वास्थ्य : सतत् विकास लक्ष्यों के अनुसरण हेतु नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये विश्लेषण के अनुसार "अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाली" के सूचकांक में देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रदेश की स्थिति अभी ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित करती है । मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुये प्रमुख सूचकांकों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

- राज्य में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर (IMR) 48 है । राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार है।
- प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर (MMR) प्रति एक लाख प्रसवों पर 173 है, जो राष्ट्रीय दर 130 से अधिक है ।
- प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों को राष्ट्रीय स्तर के समकक्ष लाना एक प्रमुख चुनौती है।

10.9 उर्जा : राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता गत वर्ष से 3.26 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2020 माह नवम्बर में 21220 मेगावाट हो गई है ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	382
पुरूष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	32.6	25.5
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.2	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.6	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	3.0	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		**2020-21 (अ.)**	**2020-21 (अ.)**
प्रचलित भावों पर	रूपये	98418	126968
स्थिर (2011-12) भावों पर	रूपये	58425	86456

परिशिष्ट - 1

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
साक्षरता		**जनगणना, 2011**	**जनगणना, 2011**
कुल	प्रतिशत	69.3	73.0
पुरूष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		**सितंबर 2018**	**सितंबर 2018**
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	24.6	20.0
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	6.7	6.2
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	48	32
बैंकिंग		**मार्च 2020**	**मार्च, 2020**
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	9	11
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	48554	104784
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	33356	79631
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	68.70	76.00

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या एवं 2011 की जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

परिशिष्ट - 2

खनिज

प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2017-18 (सं.)	2018-19 (प्रा.)	2019-20 (सं.)	2020-21 नवम्बर, 2020 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	1121.27	1186.61	1283.97	880.70
बाक्साईट	5.94	7.23	6.29	3.80
ताम्र अयस्क	23.39	25.42	25.44	13.54
आयरन ऑर	27.43	27.92	25.07	22.67
मैंगनीज अयस्क	8.37	9.44	9.80	4.23
रॉक फास्फेट	1.13	0.99	1.00	0.84
हीरा (कैरेट में)	39699.00	38437	28815.75	10997.68
चूनापत्थर	430.60	497.62	416.99	235.67

नोट: खनिजो का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

परिशिष्ट - 3

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2017-18 (सं)	2018-19 (प्रा.)	2019-20 (सं)	2020-21 नवम्बर, 2020 तक (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	NA	NA	1529701.09	981081.25
बाक्साईट	4429.07	5776.94	4751.33	1875.40
ताम्र अयस्क	NA	NA	35567.02	17245.04
आयरन ऑर	12397.12	14492.07	19956.29	7863.78
मैंगनीज अयस्क	67601.06	78209.52	70575.22	32884.40
रॉक फास्फेट	1041.37	792.96	893.399	754.05
हीरा (कैरेट में)	3741.1	5810.58	3665.85	2251.99
चूना पत्थर	107793.67	107634.88	133194.38	42142.52

नोट: वर्ष 2018-19 तक आंकडे आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर है, जबकि 2019-20 एवं 2020-21 के आंकड़े जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार ।

(सं.) = संशोधित ।
(प्रा.) = प्रावधिक ।

परिशिष्ट - 4

खनिज

प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य

(रूपयों में)

खनिज	2017-18 (सं)	2018-19 (प्रा.)	2019-20 (सं)
1	2	3	4
कोयला	1367	NA	1191.38
बाक्साईट	782	767	755.84
ताम्र अयस्क	46665	NA	NA
आयरन ओर	472	578	796.02
मैंगनीज अयस्क	8228	12707	7198.57
रॉक फास्फेट	873	815	896.35
हीरा (कैरेट में)	10346	15701	12722
चूनापत्थर	206	332	319.42

नोट: वर्ष 2018-19 तक आंकडे आई.बी.एम. की रिपोर्ट के आधार पर है, जबकि 2019-20 के आंकड़े जिला कार्यालयों से प्राप्त जानकारी अनुसार ।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्राविधिक ।

परिशिष्ट - 5

श्रम एवं रोजगार
रोजगार समंक

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत आवेदकों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज आवेदकों की संख्या		नौकरी दिलाये गये आवेदकों की संख्या		
			समस्त आवेदक (हजार में)	शिक्षित आवेदक (हजार में)	कुल (हजार में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जनजाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
2014	48	392	2004	1672	1.3	67	71
2015	48	423	1560	1377	0.334	88	10
2016	52	345	1411	1123	0.129	19	32
2017	52	1705	2385	2179	0.109	48	7
2018	52	747	2682	2434	0.054	33	0
2019	52	846	2933	2901	0.360	0	0
2020	52	611	2472	2308	3.605	0.731	0.342

स्त्रोत : आयुक्त, रोजगार संचालनालय मध्यप्रदेश ।

परिशिष्ट - 6

श्रम एवं रोजगार

मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	446762	447262	452439	472307	554991
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	63449	59634	56869	47180	47028
नगरीय स्थानीय निकाय	84079	85961	88367	35284	34957
ग्रामीण स्थानीय निकाय	141236	138855	130291	5635	5290
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1739	1687	1657	866	829
विश्वविद्यालय	6872	6372	5936	4568	4700
योग	**744137**	**739771**	**735559**	**565840**	**647795**

नोट :- वर्ष 2019 में कार्यभारित, आकस्मिक निधी से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कोटवारों, संविदा के कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया हैं ।

स्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
भूतल मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल- 462004
फोनः-0755 - 2551395, फेक्स : 0755 -2551225
वेबः http : //des.mp.gov.in
ई-मेल : des@mp.gov.in